



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19012021-224544
CG-DL-E-19012021-224544

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 22] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 19, 2021/पौष 29, 1942
No. 22] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 19, 2021/PAUSHA 29, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

(अंतिम जांच परिणाम)

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2021

मामला सं. : ओआई-31/2019

विषय: ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ, हांगकांग, रूस, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "ग्लेज्ड न्यूजप्रिंट को छोड़कर रोलों अथवा शीटों में न्यूजप्रिंट" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच।

फा. सं. 6/40/2019-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) तथा उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आंकलन और संकलन तथा क्षति निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे इसके पश्चात पाटनरोधी नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए:

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें यहां आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) को ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ, हांगकांग, कोरिया गणराज्य, न्यूजीलैंड, रूस, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "ग्लेज्ड न्यूजप्रिंट को छोड़कर रोलों अथवा शीटों में न्यूजप्रिंट" (जिसे यहां आगे "संबद्ध सामान" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी" भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में अधिनियम तथा नियमावली के

तहत पाटनरोधी जांच की शुरुआत का अनुरोध करते हुए घरेलू उत्पादकों अर्थात इमामी पेपर मिल्स लिमिटेड, खन्ना पेपर मिल्स लिमिटेड और श्रीराम न्यूजप्रिंट लिमिटेड की ओर से इंडियन न्यूजप्रिंट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (जिसे यहां आगे "आवेदक" भी कहा गया है) से दिनांक 10 दिसंबर, 2019 का एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ। आवेदकों ने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ, हांगकांग, कोरिया गणराज्य, रूस, सिंगापुर, न्यूजीलैंड और संयुक्त अरब अमीरात से पाटन तथा उसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता घरेलू उत्पादकों को क्षति का दावा किया। तथापि, वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) के आयात आंकड़ों के आधार पर न्यूजीलैंड और कोरिया गणराज्य से क्षति मार्जिन नकारात्मक था। तदनुसार, वर्तमान जांच ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ, हांगकांग, रूस, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात के विरुद्ध शुरू की गई थी।

2. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ, हांगकांग, रूस, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने तथा पाटनरोधी शुल्क की उस राशि, जो यदि लगाई जाती है और घरेलू उद्योग को तथाकथित क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार जांच की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 20 जनवरी, 2020 की अधिसूचना संख्या 6/40/2019-डीजीटीआर जारी की।

ख. प्रक्रिया

3. इस जांच के संबंध में, नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:

- (i) प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियम 5 के उप नियम (5) के अनुसार जांच की शुरुआत करने की कार्यवाही करने के पूर्व वर्तमान पाटनरोधी आवेदन के प्राप्त होने के बारे में भारत में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ, हांगकांग, रूस, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात के दूतावासों को अधिसूचित किया।
- (ii) प्राधिकारी ने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ, हांगकांग, रूस, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात से संबद्ध सामानों के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 20 जनवरी, 2020 की सार्वजनिक सूचना जारी की।
- (iii) प्राधिकारी ने भारत में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ, हांगकांग, रूस, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात के दूतावासों, इन देशों के ज्ञात उत्पादकों तथा निर्यातकों, ज्ञात आयातकों, आयातक/प्रयोक्ता एसोसिएशनों, घरेलू उद्योग और अन्य घरेलू उत्पादकों तथा आवेदन पत्र में उल्लिखित अन्य हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 20 जनवरी, 2020 की जांच की शुरुआत की अधिसूचना की प्रति भेजी और उनसे अनुरोध किया कि वे नियमावली के नियम 6(2) और 6(4) के अनुसार निर्धारित समय-सीमा के भीतर लिखित में अपने ज्ञात विचार दें।
- (iv) प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों तथा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ, हांगकांग, रूस, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात के दूतावासों को आवेदन पत्र के अगोपनीय रूपांतर की प्रति उपलब्ध कराई।
- (v) भारत में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ, हांगकांग, रूस, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात के दूतावासों से यह भी अनुरोध किया था कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए अपने-अपने देशों के निर्यातकों/ उत्पादकों को सलाह दें। ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति उन्हें संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नामों और पतों के साथ भेजी गई थी।
- (vi) प्राधिकारी ने समय-समय पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर उनके उत्तरों तथा अनुरोधों का 20 मई, 2020 तक कई बार समय बढ़ाए जाने की स्वीकृति दी।
- (vii) निम्नलिखित सरकारों ने लिखित अनुरोध उपलब्ध कराए:
 - 1) कनाडा दूतावास, नई दिल्ली;
 - 2) हांगकांग दूतावास, नई दिल्ली;

- 3) स्पेन दूतावास, नई दिल्ली;
 - 4) यूरोपीय प्रतिनिधिमंडल, नई दिल्ली;
 - 5) आर्थिक विकास मंत्रालय, रूसी संघ;
- (viii) प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ, हांगकांग, रूस, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजीं:
- 1) एडोनिस लिमिटेड, हांगकांग
 - 2) अमीगो टेकप्रो लिमिटेड, हांगकांग
 - 3) अनिका इंटरनेशनल एफजेडई, यूएई
 - 4) कैटेलिस्ट पल्प एंड पेपर सेल्स इंक, कनाडा
 - 5) सेंट्रल नेशनल - गोट्समैन ई, ऑस्ट्रिया
 - 6) सेंट्रल नेशनल एशिया लिमिटेड, हांगकांग
 - 7) सेंट्रल नेशनल कनाडा यूएलसी, कनाडा;
 - 8) कॉर्नर ब्रुक पल्प एंड पेपर लिमिटेड, कनाडा
 - 9) एलोफ्र हैन्सन ट्रेड एबी, स्वीडन;
 - 10) एफआईएस ट्रेडिंग जीएमबीएच, ऑस्ट्रिया;
 - 11) फोकस कॉर्पोरेशन, कोरिया आरपी;
 - 12) गो पेपर जीएमबीएच यूएनडी कं. केजी, जर्मनी;
 - 13) गो पेपर पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर;
 - 14) इंडो ग्लोबल कमर्शियल (एफजेडई), यूएई;
 - 15) इंकोर, ऑस्ट्रिया;
 - 16) अंतर्राष्ट्रीय फाइबर रिसोर्सेस प्रा. लिमिटेड, सिंगापुर;
 - 17) जैकब जुर्गेसन पापियर यूएनडी, जर्मनी;
 - 18) जोंजू पेपर कॉर्पोरेशन, कोरिया आरपी;
 - 19) संयुक्त स्टॉक कंपनी वोल्गा, रूस;
 - 20) कूगर इंक, कनाडा;
 - 21) केटीपी एक्सपोर्ट्स पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर;
 - 22) एलएलसी करजला-पल्प, रूस
 - 23) मेपको गल्फ कमोडिटीज डीएमसीसी, यूएई
 - 24) नॉरसेल एशिया, सिंगापुर
 - 25) ओटेक इंक, कनाडा
 - 26) पापरेसा एस.ए., स्पेन;
 - 27) प्रिंट मीडिया ट्रेडिंग एफजेडई, यूएई
 - 28) रिजॉल्यूट एफपी यूएस इंक, कनाडा;
 - 29) सैंडी लिमिटेड, हांगकांग;

- 30) स्टोरा एन्सो लैंजरब्रग एन.वी., बेल्जियम
- 31) ट्रेडकॉम सर्विसेज पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर
- 32) ट्रिगोन गल्फ एफजेडओ, यूएई;
- 33) यूपीएम सेल्स ओवाई, टैम्पियर फिनलैंड
- 34) विलफायर्ड हेंजेल एजीएल, ऑस्ट्रिया

(ix) उत्तर में निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं:

- 1) अमीगो टेकप्रो लिमिटेड, हांगकांग
- 2) अनिका इंटरनेशनल एफजेडई, यूएई;
- 3) बीडी व्हाइट बिर्च इन्वेस्टमेंट एलएलसी डेलावेयर, यूएसए;
- 4) सेंट्रल नेशनल एशिया, हांगकांग
- 5) सेंट्रल नेशनल कनाडा यूएलसी, कनाडा;
- 6) सेंट्रल नेशनल गोट्समैन यूरोप जीएमबीएच, ऑस्ट्रिया;
- 7) सेंट्रल नेशनल गोट्समैन इंक, यूएसए;
- 8) कॉर्नर ब्रुक पल्प एंड पेपर लिमिटेड, कनाडा;
- 9) एफएफ सौसी डब्ल्यूबी जनरल पार्टनर लिमिटेड (जीपी), कनाडा;
- 10) एफआईएस ट्रेडिंग जीएमबीएच, ऑस्ट्रिया;
- 11) गेब्रूडर लैंग जीएमबीएच पापियरफैब्रिक, जर्मनी
- 12) गो पेपर जीएमबीएच एंड कंपनी केजी, जर्मनी;
- 13) गो पेपर पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर;
- 14) होल्मेन पेपर एबी, स्वीडन;
- 15) हॉरिजन फोकस लिमिटेड, हांगकांग;
- 16) इंडो ग्लोबल कमर्शियल एफजेडई, यूएई;
- 17) इंकोर जीएमबीएच, ऑस्ट्रिया;
- 18) जे. अंगेरथ एबी, स्वीडन;
- 19) जैकब जुर्गेसेनपियर यूएनडी जेल्सटॉफ जीएमबीएच, जर्मनी;
- 20) ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कोंडोपोगा पल्प एंड पेपर मिल, रूस;
- 21) ज्वाइंट स्टॉक कंपनी वोल्गा, रूस;
- 22) जेएससी सोलीकैमसक्वमप्रोम, रूस;
- 23) करजला पल्प एलएलसी, रूस;
- 24) कूगर ब्रॉम्पटन एल.पी., कनाडा;
- 25) कूगर ट्रॉइस-रिवेयर्स एल.पी., कनाडा;
- 26) मेपको गल्फ कमोडिटीज डीएमसीसी, यूएई;
- 27) मोंडी पेपर सेल्स जीएमबीएच, ऑस्ट्रिया;
- 28) मोंडी साइकित्वकर जेएससी, रूस;

- 29) ओटीसीएल इंक, कनाडा;
 - 30) पापियर मेसन डब्ल्यूबी जनरल पार्टनर लिमिटेड, कनाडा;
 - 31) पापरेसा एस. ए (पापरेसा), स्पेन;
 - 32) प्रिंट मीडिया ट्रेडिंग एफजेडई, यूएई;
 - 33) प्रिंस्टेक्स एसआईए, लातविया;
 - 34) पीटीजी पेपर ट्रेडिंग ग्रुप एसए, स्विट्जरलैंड;
 - 35) रिजॉल्यूट एफपी यूएस इंक, कनाडा;
 - 36) रीन पापियर जीएमबीएच, जर्मनी
 - 37) आरकेपी हांगकांग लिमिटेड, हांगकांग।
 - 38) सैंडी लिमिटेड, हांगकांग;
 - 39) स्टैडाकोना डब्ल्यूबी जनरल पार्टनर लिमिटेड, कनाडा;
 - 40) स्टोरा एन्सो लैंजरब्रग एनवी, बेल्जियम;
 - 41) स्टोरा एन्सो पेपर एबी, स्वीडन;
 - 42) स्टोरा एन्सो सचसेन जीएमबीएच, जर्मनी;
 - 43) ट्रेडकॉम सर्विसेज पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर;
 - 44) ट्रिगोन गल्फ एफजेडसीओ, यूएई;
 - 45) यूपीएम कम्युनिकेशन पेपर्स ओवाई, फिनलैंड;
 - 46) यूपीएम फ्रांस एस.ए.एस., फ्रांस;
 - 47) यूपीएम जीएमबीएच, जर्मनी
 - 48) यूपीएम सेल्स ओवाई, फिनलैंड;
 - 49) यूपीएम-काइमेन्ने (यूके) लिमिटेड;
 - 50) यूपीएम-काइमेन्ने ऑस्ट्रिया जीएमबीएच, ऑस्ट्रिया;
 - 51) वीसी पेपर रिसोर्सेज पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर;
 - 52) व्हाइट बिर्च मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन, यूएसए;
 - 53) व्हाइट बर्च पेपर कनाडा कंपनी एनएसयूएलसी, कनाडा;
 - 54) विलफायर्ड हेंजेल एजी, ऑस्ट्रिया;
- (x) प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार, आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आयातक प्रश्नावली भेजी:
- 1) आज का आनंद पेपर्स लिमिटेड, महाराष्ट्र;
 - 2) आज प्रेस, इलाहाबाद;
 - 3) आजकल पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता;
 - 4) एबीपी प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता;
 - 5) अचरन प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड, ग्वालियर;
 - 6) एक्शन इंडिया, दिल्ली;

- 7) एक्शन इंडिया, दिल्ली;
- 8) एक्टिव संदेश, राजस्थान;
- 9) आफताब प्रेस, श्रीनगर;
- 10) अखबर ई मशरिक प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली;
- 11) अमर उजाला लिमिटेड, उत्तर प्रदेश;
- 12) अमर उजाला पब्लिकेशन लिमिटेड, लखनऊ;
- 13) आनंद विक्टन पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, तमिलनाडु;
- 14) अरिहंत मीडिया प्रमोटर्स, मेरठ;
- 15) असम ट्रिब्यून प्राइवेट लिमिटेड, असम;
- 16) बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड, मुंबई;
- 17) बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड, उत्तर प्रदेश;
- 18) भास्कर प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, मध्य प्रदेश;
- 19) बिजनेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली;
- 20) चैतन्य लोक, मध्य प्रदेश;
- 21) सिटी मीडिया, अंबाला;
- 22) सीएमवाईके प्रिन्टेक लिमिटेड, नई दिल्ली
- 23) दैनिक हिंदी मिलाप, आंध्र प्रदेश;
- 24) दैनिक मेट्रो एनकाउंटर, जालंधर;
- 25) दैनिक थन्थी, तमिलनाडु;
- 26) दैनिक (डेली) नवज्योति, राजस्थान;
- 27) दैनिक भास्कर, जयपुर;
- 28) दैनिक जागरण प्रेस, इलाहाबाद;
- 29) दैनिक सवेरा न्यूज एंड मीडिया नेटवर्क, पंजाब;
- 30) दिल्ली प्रेस पत्र प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली;
- 31) ईस्टर्न मीडिया लिमिटेड, ओडिशा;
- 32) एम्प्लायमेंट न्यूज, दिल्ली;
- 33) जी. शांतिकुमारी देवी, मणिपुर;
- 34) गुडगांव मेल, हरियाणा;
- 35) गुडगांव टुडे, गुडगांव;
- 36) एच. टी. मीडिया लिमिटेड, दिल्ली;
- 37) एचटी मीडिया लिमिटेड, नई दिल्ली;
- 38) आयडियल पब्लिकेशन ट्रस्ट, केरल;
- 39) इनसाइट ब्रैंडकॉम प्राइवेट लिमिटेड, असम;
- 40) जगती पब्लिकेशन लिमिटेड, आंध्र प्रदेश;

- 41) जागरण प्रकाशन लिमिटेड (जेडब्ल्यू), नोएडा;
- 42) जयपुर ब्यूरो, जयपुर;
- 43) जननायक, जयपुर;
- 44) जेके प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन, जम्मू;
- 45) कैलाश प्रिंट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, हमीरपुर;
- 46) कस्तूरी एंड संस लिमिटेड, चेन्नई;
- 47) खबरों की दुनिया, राजस्थान;
- 48) लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड, उत्तर प्रदेश;
- 49) लोक भारती, कानपुर;
- 50) लोक प्रकाशन लिमिटेड, गुजरात;
- 51) मध्य प्रदेश टुडे मीडिया लिमिटेड, मध्य प्रदेश;
- 52) मध्य प्रदेश टुडे मीडिया प्राइवेट, भोपाल;
- 53) मेल टुडे न्यूजपेपर्स प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली;
- 54) मंजुश्री तालुकदार, पश्चिम बंगाल;
- 55) मेट्रो हेराल्ड, अहमदाबाद;
- 56) मिडडे इन्फो मीडिया, नवी मुंबई;
- 57) मॉर्निंग न्यूज, जयपुर;
- 58) नव भारत प्रेस (नागपुर), महाराष्ट्र;
- 59) नवजात प्रिंटर और मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, ओडिशा;
- 60) नवलोक टाइम्स, आगरा;
- 61) नया इंडिया, दिल्ली;
- 62) न्यूज टुडे मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, तमिलनाडु;
- 63) पत्रिका, ग्वालियर;
- 64) प्यूपिल समाचार, भोपाल;
- 65) प्रधान टाइम्स, हरिद्वार;
- 66) प्रतिदिन अखबार, महाराष्ट्र;
- 67) पंजाब केसरी, जालंधर;
- 68) राजस्थान प्रदीप, बीकानेर;
- 69) राजहंस पब्लिकेशन, नई दिल्ली;
- 70) राष्ट्रीय छवि, गंगानगर;
- 71) रतन ऑफसेट, बीकानेर;
- 72) रोज़ाना स्पोक्समैन, मोहाली;
- 73) सकल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, महाराष्ट्र;
- 74) समयुक्ता कर्नाटक, कर्नाटक;

- 75) संध्या बॉर्डर टाइम्स, गंगानगर;
 - 76) संगम पेपर्स कॉर्पोरेशन, उत्तर प्रदेश;
 - 77) सनमर्ग प्राइवेट लिमिटेड, पश्चिम बंगाल;
 - 78) सरहद केसरी, फाजिल्का;
 - 79) सात्विक प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड, रांची;
 - 80) सौराष्ट्र ट्रस्ट, महाराष्ट्र;
 - 81) सीमा संदेश, गंगानगर;
 - 82) शाह टाइम्स, मुजफ्फरनगर;
 - 83) एसपीआर पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, आंध्र प्रदेश;
 - 84) सुम्मा रियल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, ओडिशा;
 - 85) द डेली कश्मीर फ्रंटियर, श्रीनगर;
 - 86) द हॉक डेली, हरिद्वार;
 - 87) द हिंद समाचार लिमिटेड, शिमला;
 - 88) द इंडियन एक्सप्रेस (पी) लिमिटेड, नोएडा;
 - 89) द प्रिंटर्स (मैसूर) लिमिटेड, कर्नाटक;
 - 90) द स्टेट्समैन लिमिटेड, पश्चिम बंगाल;
 - 91) द ट्रिब्यून ट्रस्ट, चंडीगढ़;
 - 92) थॉमसन प्रेस इंडिया लिमिटेड, दिल्ली;
 - 93) टाइम्स प्रेस, श्रीनगर;
 - 94) ट्रिनिटी प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स लिमिटेड, दिल्ली;
 - 95) संयुक्त भारत, इलाहाबाद;
 - 96) उषोदया इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, तेलंगाना;
 - 97) वी5 पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड;
 - 98) विजिलेंट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, चंडीगढ़;
 - 99) विला मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद;
 - 100) विशालांध्रा विघ्न समिति, आंध्र प्रदेश;
- (xi) उत्तर में निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने उत्तर दिए हैं और आयातक प्रश्नावली के उत्तर तथा कानूनी अनुरोध दायर किए:
- 1) एबीपी प्राइवेट लिमिटेड
 - 2) अमर उजाला लिमिटेड
 - 3) बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड
 - 4) दैनिक भास्कर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
 - 5) ईस्टर्न मीडिया लिमिटेड
 - 6) हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स लिमिटेड;

- 7) एचटी मीडिया लिमिटेड
 - 8) जागरण प्रकाशन लिमिटेड
 - 9) लोक प्रकाशन लिमिटेड
 - 10) पोद्दार गोबल प्राइवेट लिमिटेड
 - 11) सकल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
 - 12) मलयाला मनोरमा कंपनी लिमिटेड
 - 13) टीएचजी पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड
 - 14) उषोदया इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
- (xii) प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार, आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध सामानों की निम्नलिखित ज्ञात प्रयोक्ता एसोसिएशनों को अधिसूचना की प्रति भेजी:
- 1) द इंडियन न्यूजपेपर एसोसिएशन
- (xiii) निम्नलिखित एसोसिएशनों ने अपने उत्तर दायर किए:
- 1) द इंडियन न्यूजपेपर एसोसिएशन
 - 2) सेव अवर सोसायटी
- (xiv) इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित ने भी पंजीकरण पत्र/कानूनी अनुरोध प्रस्तुत किए हैं:
- 1) अमर उजाला लिमिटेड
 - 2) कैटेलिस्ट पल्प और पेपर सेल्स इंक, सिएटल, डब्ल्यूसी
 - 3) कन्फैडरेशन ऑफ यूरोपियन पेपर इंडस्ट्रीज (सीईपीआई)
 - 4) डी. बी. कॉर्प. लि.
 - 5) एम्प्लायमेंट न्यूज
 - 6) एचटी मीडिया लिमिटेड
 - 7) एचटी मीडिया वेंचर्स लिमिटेड
 - 8) टीएचजी पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड
- (xv) वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2019-31 दिसंबर, 2019 (9 माह) है। क्षति विश्लेषण अवधि में 2016-17, 2017-18, 2018-19 और जांच की अवधि शामिल है।
- (xvi) डीजीसीआईएंडएस और प्रणाली महानिदेशालय (डीजीएस) से जांच की अवधि तथा पिछले तीन वर्षों के लिए लेन-देन वार आयात आंकड़े प्राप्त किए गए थे। प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध सामानों के आयातों की मात्रा और मूल्य का परिकलन करने के लिए डीजीसीआईएंडएस और डीजीएस के आंकड़ों पर विश्वास किया है।
- (xvii) इसके अतिरिक्त, आवेदकों से आवश्यक समझी गई सीमा तक सूचना मांगी गई थी। घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए आंकड़ों का सत्यापन वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझी गई सीमा तक किया गया था।
- (xviii) प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुले में रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया। सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उनके अनुरोधों के अगोपनीय रूपांतर ई-मेल करने के लिए उन सभी को उसमें किए गए अनुरोध के साथ डीटीजीआर की वेबसाइट पर अपलोड किए गए थे क्योंकि जारी वैश्विक महामारी के कारण सार्वजनिक फाइल वास्तविक रूप से पहुँच में नहीं थी।

- (xix) घरेलू उद्योग ने उनके सनदी/लागत लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित वित्तीय आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) और नियमावली के अनुबंध-III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत और निर्माण एवं बिक्री लागत के आधार पर क्षति रहित कीमत (एनआईपी) निर्धारित की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क (एडीडी) घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- (xx) नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को 4 दिसंबर, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार देने का अवसर प्रदान किया। जिन पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए, उनसे यह अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त अपने विचारों के लिखित अनुरोध दायर करें और उसके बाद प्रत्युत्तर अनुरोध दें।
- (xxi) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों, जांच प्रक्रिया के दौरान विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए तर्कों और दी गई सूचना पर साक्ष्य से समर्थित होने और वर्तमान जांच के लिए संगत मानी गई सीमा तक इन अंतिम जांच परिणामों में प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त रूप से विचार किया गया है।
- (xxii) प्राधिकारी ने जांच प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की परिशुद्धता के संबंध में यथासंभव सीमा तक स्वयं को संतुष्ट किया, जो कि इन अंतिम जांच परिणामों का आधार बनती है और संगत तथा संभव मानी गई सीमा तक घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों/दस्तावेजों का सत्यापन किया।
- (xxiii) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की गोपनीयता के दावों की उनकी पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी उचित था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर प्रस्तुत करें।
- (xxiv) जहां कहीं किसी हितबद्ध पक्षकार ने सूचना देने से इंकार किया है अथवा अन्यथा वर्तमान जांच प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना नहीं दी है अथवा जांच में काफी बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे हितबद्ध पक्षकारों को असहयोगी माना है तथा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर ये जांच परिणाम रिकार्ड किये हैं।
- (xxv) नियमावली के नियम 16 के अनुसार, जांच के अनिवार्य तथ्य ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 24 दिसंबर, 2020 के प्रकटन विवरण के माध्यम से प्रकट किए गए थे और उन पर प्राधिकारी द्वारा संगत मानी गई टिप्पणियों को इन जांच परिणामों में हल कर दिया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अधिकतर प्रकटन पश्चात अनुरोध उनके पूर्व अनुरोधों की केवल पुनरावृत्ति हैं। तथापि, संगत मानी गई सीमा तक प्रकटन पश्चात अनुरोधों की इन अंतिम जांच परिणामों में जांच की जा रही है।
- (xxvi) इन अंतिम जांच परिणामों में *** किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई तथा प्राधिकारी द्वारा नियमावली के तहत मानी गई सूचना दर्शाते हैं।
- (xxvii) संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 71.24 रुपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) और समान वस्तु का क्षेत्र

4. जांच की शुरुआत के स्तर पर विचाराधीन उत्पाद निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया था:

"न्यूजपेपर की प्रिंटिंग के लिए प्रयुक्त एक अनकोटेड पेपर की किस्म का न्यूजप्रिंट, जिसका मैकेनिकल तथा रासायनिक-मैकेनिकल प्रक्रिया द्वारा प्राप्त बुड फाइबर से युक्त कुल फाइबर मात्रा का भार में 50 प्रतिशत से कम न हो, बिना आकार का अथवा बहुत ही हल्के आकार का हो, जिसमें प्रत्येक ओर 2.5 माइक्रोमीटर (माइक्रोन) पर सरफेस रफनेस पार्कर प्रिंट सर्फ (1 एमपीए) हो, जिसका वजन 40 ग्राम/एम² से कम न हो और 65 ग्राम/एम² से अधिक न हो और:

क. 28 सेंटीमीटर से अधिक चौड़ाई की स्ट्रिप तथा रॉल्ल्स में; अथवा

ख. आयताकार (वर्ग सहित) शीट्स जिनकी फोल्ड न की गई स्थिति में एक साइड 28 सेंटीमीटर से अधिक और दूसरी साइड 15 सेंटीमीटर से अधिक न हो।"

ग.1 घरेलू उद्योग के अनुरोध

5. विचाराधीन उत्पाद अथवा समान वस्तु के क्षेत्र के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- (i) विचाराधीन उत्पाद ग्लैज्ड न्यूजप्रिंट को छोड़कर रॉल्लों अथवा शीटों में न्यूजप्रिंट है। न्यूजप्रिंट सामान्य रूप से 40, 42 और 45 जीएसएम में उपलब्ध होता है। घरेलू उद्योग ने प्रमुख रूप से 42 और 45 जीएसएम न्यूजप्रिंट का उत्पादन और बिक्री की है, परंतु उसमें 40 जीएसएम का उत्पादन करने की क्षमता है क्योंकि उन्हीं मशीनों का प्रयोग 45, 42 और 40 जीएसएम न्यूजप्रिंट का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। 40 जीएसएम का उत्पादन केवल आदेशों के अभाव के कारण नहीं किया गया है।
- (ii) विभिन्न जीएसएम के न्यूजप्रिंट भौतिक गुणधर्मों, वाणिज्यिक और तकनीकी प्रतिस्थापनीयता के संदर्भ में समान हैं।
- (iii) विचाराधीन उत्पाद एचएस कोड 48010090 के तहत वर्गीकृत है, परंतु 480110010 के तहत आयातित भी किया जाता है।
- (iv) न्यूजप्रिंट का विनिर्माण करने के लिए भारतीय उद्योग रिसाइक्लिड पेपर का उपयोग करता है जिसे पल्प/फाइबर में परिवर्तित किया जाता है जिसमें यह पेपर के सभी गुणधर्मों को खो देता है और सीधे ही लकड़ी से प्राप्त पल्प/ फाइबर जैसा हो जाता है। फाइबर प्राप्त करने की प्रक्रिया सीमा शुल्क वर्गीकरण 4801 में परिभाषित किए गए अनुसार रासायनिक-मैकेनिकल प्रक्रिया है।
- (v) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने माना है कि घरेलू न्यूजप्रिंट पूर्व की पाटनरोधी जांच में आयातित न्यूजप्रिंट की समान वस्तु है।
- (vi) यह अनुरोध है कि 42 जीएसएम को कम गुणवत्ताओं के आधार पर अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि कानून में केवल इस बात पर विचार करने की अपेक्षा है कि क्या समान वस्तु का उत्पादन किया गया था। घरेलू उद्योग ने केवल 42 जीएसएम का उत्पादन ही नहीं किया है बल्कि जांच में भाग लेने वाले प्रयोक्ताओं को उसकी आपूर्ति भी की है।
- (vii) यह नहीं दर्शाया गया है कि 45 और 42 जीएसएम न्यूजप्रिंट समान वस्तु ही हैं। 40, 42 और 45 जीएसएम के आयात समान बाजार में प्रतिस्पर्धा करते हैं, जैसा कि इस तथ्य से सिद्ध है कि प्रयोक्ता 2018-19 में उस समय घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित 45 जी एस एम में चले गए, जब आयातित उत्पादों की कीमत में वृद्धि हुई।
- (viii) 40 जीएसएम की कीमत क्षति की अवधि में अधिक थी और उसका हिस्सा कम था। जांच की अवधि के दौरान 40 जीएसएम अधिक लागत के बावजूद सस्ता हो गया जिससे इसकी मांग में वृद्धि हो गई।
- (ix) घरेलू उत्पादकों में 40 जीएसएम न्यूजप्रिंट का विनिर्माण करने की क्षमता है क्योंकि नए गठन की आवश्यकता नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा 42 जीएसएम का उत्पादन उस सीमा तक किया गया, जितने उसके पास आदेश थे, 40 जीएसएम का उत्पादन आदेशों के अभाव के कारण नहीं किया गया है।
- (x) प्रयोक्ताओं ने 2018-19 में उस समय घरेलू न्यूजप्रिंट की खपत की, जब आयातित उत्पादों की कीमत अधिक थी। तथापि, जब आयातित उत्पादों की कीमत जांच की अवधि में कम हो गई तो प्रयोक्ता आयातित उत्पादों में चले गए। यह दर्शाता है कि आयातित और घरेलू उत्पाद समान वस्तु हैं क्योंकि प्रयोक्ताओं द्वारा कोई नई मशीनें स्थापित नहीं की गई थीं।
- (xi) ओक्सो एल्कोहल्स इंडस्ट्रीज एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी पर विश्वास गलत बताया गया है क्योंकि उपर्युक्त मामले में हटाया जाना इस आधार पर था कि घरेलू उद्योग समान वस्तु का उत्पादन नहीं कर रहा था जो कि वर्तमान जांच में मामला नहीं है।

- (xii) इस संबंध में इन तर्कों के विपरीत, कच्ची सामग्री के रूप में पल्प अथवा रिसाइकिल्ड पेपर का प्रयोग कर उत्पादित उत्पाद की तकनीकी विशेषताओं में कोई अंतर नहीं है। किसी भी दशा में संबद्ध देशों में कई उत्पादक रिसाइकिल पेपर अथवा रिसाइकिल्ड पेपर के मिश्रण और वुड पल्प का प्रयोग करके न्यूजप्रिंट का उत्पादन कर रहे हैं।
- (xiii) इस बात पर ध्यान न देते हुए कि पल्प और रिसाइकिल्ड पेपर का प्रयोग किया जाता है, पहले फाइबर को अलग किया जाता है और फिर उस फाइबर को न्यूजप्रिंट के उत्पादन के लिए प्रयुक्त किया जाता है।
- (xiv) याचिकाकर्ता ने यह कभी नहीं कहा है कि उत्पादित 42 जीएसएम न्यूजप्रिंट की गुणवत्ता ग्राहकों द्वारा स्वीकार नहीं की जाती है, इसकी बजाए उस पर जोर दिया है कि प्रयोक्ता कम कीमत वाले आयातों की मौजूदगी के कारण उससे नहीं खरीद रहे हैं।
- (xv) इस तर्क के संबंध में कि उच्च गति की प्रेसों में घरेलू न्यूजप्रिंट का प्रयोग व्यवहार्य नहीं है, यह अनुरोध है कि श्री राम न्यूजप्रिंट पिछले 25-30 वर्षों से टीओआई को आपूर्ति करता आ रहा है। घरेलू उत्पादकों के रिवाइंडर उपभोक्ताओं की हाई स्पीड मशीनों से कहीं अधिक गति पर चलती हैं और न्यूजप्रिंट उस पर फटता नहीं है। इसके अतिरिक्त, प्रयोक्ता एसोसिएशनों को अपने इस दावे को सिद्ध करने के लिए कि शुल्क लगाए जाने के कारण प्रयोक्ताओं को हानि होगी, इसके ब्यौरे देने चाहिए कि कितने प्रयोक्ता हाई स्पीड मशीनों का प्रयोग कर रहे हैं।
- (xvi) इसके अतिरिक्त, लॉकडाउन के दौरान प्रिंटरों ने सरकार को यह उल्लेख करते हुए देखा कि उन्हें इमामी पेपर मिल्स और लोहिया पेपर एवं ब्रॉड प्राइवेट लिमिटेड सहित घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्पादित न्यूजप्रिंट की आवश्यकता है तथा इन उत्पादकों को प्रचालन की अनुमति दी जानी चाहिए।
- (xvii) इस तर्क के उत्तर में कि वान-इफ्रा रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि भारतीय न्यूजप्रिंट में सुधार की आवश्यकता है, यह अनुरोध है कि यह रिपोर्ट 2012 में प्रकाशित हुई थी और उद्योग तब से विकसित और परिवर्तित हो गया है। 2019 में भारतीय न्यूजप्रिंट का परीक्षण सरकार द्वारा सीपीपीआरआई लैब में किया गया था और रिपोर्ट ने यह दर्शाया कि भारतीय न्यूजप्रिंट आयातित न्यूजप्रिंट के तुलनीय है।
- (xviii) उपभोक्ताओं द्वारा यह सिद्ध करने के लिए कोई भी परीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई है कि घरेलू और आयातित न्यूजप्रिंट गुणवत्ता में भिन्न हैं। प्रयोक्ताओं के सामने 2018-19 में उस समय घरेलू न्यूजप्रिंट का प्रयोग करने में कोई कठिनाई नहीं आई, जब आयात कीमतें अधिक थीं। घरेलू न्यूजप्रिंट की मांग में कमी सस्ते आयातों के कारण है न कि गुणवत्ता के कारण।
- (xix) न्यूजप्रिंट नियंत्रण आदेश के तहत, पंजीकरण के समय प्रत्येक उत्पादक को तीन समाचार पत्रों से प्रमाण-पत्र प्रदान करने की अपेक्षा थी, जिनके पेपर की गुणवत्ता उनके प्रकाशन के मुद्रण के लिए संतोषजनक और स्वीकार्य थी। घरेलू न्यूजप्रिंट बीआईएस मानकों के अनुरूप है।
- (xx) श्री राम न्यूजप्रिंट और खन्ना पेपर मिल की वेबसाइट का संदर्भ लें कि वे 45 और 48.8 जीएसएम का ही उत्पादन करते हैं। जीएसएम उत्पाद की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जीएसएम के न्यूजप्रिंट समान वस्तु हैं। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि प्रत्येक घरेलू उत्पादक प्रत्येक किस्म के न्यूजप्रिंट का उत्पादन करे।
- (xxi) इस तर्क का उत्तर देते हुए कि विशेष किस्म के न्यूजप्रिंट को अलग किया जाना चाहिए, यह अनुरोध किया जाता है कि उत्तरदाताओं ने उस उत्पाद को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया है जिसे अलग किए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न विशिष्टियों के न्यूजप्रिंट कुछ हल्के संशोधनों के बाद उन्हीं मशीनों पर उत्पादित किए जा सकते हैं। अतः चमकीला अथवा भारी विभेदक कारक नहीं हो सकता। ये उत्पाद भी वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं।
- (xxii) उत्तरदाताओं ने स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या यूपीएम द्वारा मशीन से परिष्कृत विशेषता के उत्पाद क्षेत्र के अंतर्गत हैं, परंतु उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है कि इन्हें भारत में विनिर्मित न्यूजप्रिंट से क्या चीज अलग करती है। यदि वे विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, तो उन्हें शामिल किया जाना चाहिए।

- (xxiii) अन्य हितबद्ध पक्षकारों के दावों के विपरीत, 45 जीएसएम की मांग 10 प्रतिशत से अधिक है जो कि प्रस्तुत आंकड़ों से सिद्ध है।

ग.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

6. विचाराधीन उत्पाद अथवा समान वस्तु के क्षेत्र के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- (i) 45 जीएसएम का कम का न्यूजप्रिंट, जिसमें 40, 42 और 43 जीएसएम शामिल है, विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग किये जाने की आवश्यकता है क्योंकि घरेलू उद्योग इन उत्पादों का उत्पादन वाणिज्यिक मात्राओं में नहीं करता है।
- (ii) वुड पल्प का प्रयोग करके उत्पादित 40-42 जीएसएम के आयातित न्यूजप्रिंट को रिसाइकिल पेपर का प्रयोग करके घरेलू रूप से उत्पादित न्यूजप्रिंट की समान वस्तु नहीं माना जा सकता, जो कि गुणवत्ता नियंत्रण, तनन शक्ति, ओपेसिटी, चमक, क्षरण, मुद्रण योग्यता और उत्पादन प्रक्रिया के संदर्भ में घटिया है और आधुनिक हाई स्पीड प्रिंटिंग प्रेस में उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, विभिन्न बाजार अध्ययन इन दावों को सिद्ध करते हैं।
- (iii) कम ग्रामेज वाले न्यूजप्रिंट का प्रिंट योग्य क्षेत्र अधिक होता है, समान प्रिंट रन में कम प्रयोग किया जाता है, कम रॉल तैयारी की आवश्यकता होती है, कम टेप लगता है, पेपर की बर्बादी कम होती है, कम डिलीवरीज की आवश्यकता होती है, क्षति कम होती है, भंडारण की आवश्यकता कम होती है और इसमें वेब ब्रेक कम होते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से यह बेहतर भी है तथा आर्थिक रूप से अर्थक्षम है क्योंकि उपभोक्ताओं को 45 जीएसएम और 42.5 जीएसएम के बीच 6 प्रतिशत बचत का लाभ होता है तथा 42.5 जीएसएम से 40 जीएसएम तक अन्य 6 प्रतिशत का लाभ होता है।
- (iv) डीआईपीपी की 2010-11 के लिए उस वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार आयातित न्यूजप्रिंट की तुलना में घरेलू न्यूजप्रिंट समान वस्तु नहीं है जिसमें यह उल्लेख है कि आयातों को गुणवत्ता की दृष्टि से घरेलू मांग पूरी करनी होती है क्योंकि भारत में विनिर्दिष्ट कुछ न्यूजप्रिंट हाई स्पीड प्रिंटिंग प्रेसों के लिए बहुत उपयुक्त नहीं हैं।
- (v) वान-इफ्रा ने अपनी रिपोर्ट में भारतीय न्यूजप्रिंट की गुणवत्ता की तुलना आयातित न्यूजप्रिंट से की है और सुझाव दिया कि भारतीय न्यूजप्रिंट में कई क्षेत्रों में, जैसे ग्रामेज कंट्रोल में सुधार की आवश्यकता है क्योंकि इससे प्रकाशकों को भारी हानि होती है और निष्कर्ष निकाला कि भारतीय न्यूजप्रिंट ग्रामेज, न्यूजप्रिंट के शेड, तनन शक्ति और कठोरता की दृष्टि से घटिया था।
- (vi) कई प्रकाशकों ने वेब ब्रेकों के कारणों के रूप में फटे हुए पेपर, पिन होल, कमजोर रील ज्वाइंट की शिकायत की है और याचिकाकर्ता तथा घरेलू उत्पादकों के बीच हुए कई पत्राचार घरेलू रूप से उत्पादित न्यूजप्रिंट के सामने आए गुणवत्ता संबंधी कई मुद्दों को सिद्ध करते हैं।
- (vii) खन्ना पेपर मिल और श्रीराम न्यूजप्रिंट की वेबसाइट यह दर्शाती है कि वे केवल 45 और 48.8 जीएसएम न्यूजप्रिंट का उत्पादन करते हैं।
- (viii) घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित न किए गए उत्पादों को अलग करने की प्राधिकारी की सतत् परिपाटी है और वही हाई स्पीड स्टील, कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील शीट, स्टेनलेस स्टील के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पाद, प्लेन मीडियम डेनसिटी फाइबर बोर्ड, विस्कॉस फिलामेंट यार्न, कोटेड पेपर, एलस्टोमेरिक फिलामेंट यार्न और रेसिन अथवा अन्य ऑर्गेनिक सबस्टेंस बॉन्डेड वुड अथवा लिग्नस फाइबर बोर्डों से संबंधित जांच में किया गया था।
- (ix) सेसटेट ने चीन से डेड बर्न्ड मैग्रेसाइट (डीबीएम) – इंडियन रिफैक्ट्री मेकर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी, मैग्रेट यूजर एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी और ओक्सो एल्कोहल इंडस्ट्रीज बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित न किए गए उत्पादों को हटाने का समर्थन किया है।

- (x) अत्यधिक चमकदार, भारी आदि जैसे विशेषता वाली न्यूजप्रिंट, जो लागत, जीएसएम तथा तकनीकी विशिष्टियों के संदर्भ में भिन्न हैं और घरेलू उद्योग द्वारा जिनका विनिर्माण नहीं किया जाता है, विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से हटाए जाने चाहिए।
- (xi) प्राधिकारी को एक-एक करके संबद्ध सामानों की तुलना करनी चाहिए क्योंकि व्हाइट बिर्च ग्रुप ने घरेलू बाजार में कई जीएसएम न्यूजप्रिंट और विशेषता वाले न्यूजप्रिंट बेचे हैं, जबकि भारतीय बाजार में केवल कुछ जीएसएम निर्यात किए जाते हैं।
- (xii) घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पाद वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय अथवा यूपीएम ग्रुप द्वारा बेचे गए उत्पादों का परस्पर परिवर्तनीय नहीं है और उसे "समान वस्तु" नहीं माना जा सकता।
- (xiii) मशीन फिनिशड स्पेशियलटी उत्पाद अर्थात् यूपीएम ब्राइट, यूपीएम ईको प्राइम, यूपीएम ओपेलाइट और यूपीएम बुक्स का उत्पादन भारत में नहीं होता है और एक स्पष्टीकरण आवश्यक है कि क्या ये उत्पाद वर्तमान जांच के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल हैं।
- (xiv) प्राधिकारी का स्पष्टीकरण अपेक्षित है कि क्या न्यूजप्रिंट हाई ब्राइट, न्यूजप्रिंट बल्की, न्यूजप्रिंट बल्की हाई-ब्राइट वर्तमान जांच के क्षेत्र में शामिल हैं।
- (xv) प्राधिकारी द्वारा स्पष्टीकरण अपेक्षित है कि क्या 100 प्रतिशत रिसाइकिल्ड पल्प से उत्पादित न्यूजप्रिंट, जिसमें डेकिंग प्रक्रिया के माध्यम से वुड फाइबर की 50 प्रतिशत से अधिक मात्रा है, जो कि मैकेनिकल अथवा रासायनिक-मैकेनिकल प्रक्रिया है, इस जांच का भाग बनता है।
- (xvi) प्राधिकारी द्वारा स्पष्टीकरण अपेक्षित है कि क्या 50 प्रतिशत वुड फाइबर पल्प और 50 प्रतिशत रिसाइकिल्ड फाइबर पल्प, जो कि मानक न्यूजप्रिंट नहीं है, का प्रयोग करके उत्पादित हाई बल्की प्रिंटिंग न्यूजपेपर इस जांच के अंतर्गत शामिल है।
- (xvii) याचिका में लाख वर्ग मीटर के रूप में व्यक्त क्षेत्र के संदर्भ में विचाराधीन उत्पाद की माप यूनिट परिभाषित की गई है जबकि उन्होंने स्वीकार किया है कि विचाराधीन उत्पाद मीट्रिक टन में बेचा जाता है।
- (xviii) याचिकाकर्ता ने झूठा दावा किया है कि उनके पास 42 जीएसएम का न्यूजप्रिंट उत्पादित करने की क्षमता है जबकि उन्होंने यह उल्लेख करते हुए अनुरोध किए हैं कि उन्होंने वाणिज्यिक मात्राओं में उपर्युक्त न्यूजप्रिंट का उत्पादन और बिक्री नहीं की है।
- (xix) याचिकाकर्ता ने गलत दावा किया है कि उन्होंने उपर्युक्त न्यूजपेपर के देश में किए जा रहे 95 प्रतिशत आयातों के बावजूद क्रय आदेशों की कमी के कारण 40 जीएसएम के न्यूजप्रिंट का उत्पादन नहीं किया है। याचिकाकर्ता के इस दावे को अस्वीकार किया जाना चाहिए अथवा याचिकाकर्ता को इसका कारण बताना चाहिए कि उपभोक्ताओं ने उनको कोई आदेश क्यों नहीं दिए।
- (xx) घरेलू उद्योग द्वारा उल्लिखित मामले की जांच 1997-98 में की गई थी। अतः वर्तमान मामले के तथ्यों के साथ उन तथ्यों की तुलना करना तकनीकी और वाणिज्यिक आधार पर हास्यास्पद है। न तो हितबद्ध पक्षकारों ने 40 जीएसएम और 42 जीएसएम को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल करने का मुद्दा उठाया है और न ही प्राधिकारी ने प्राधिकारी (प्राथमिक तथा अंतिम जांच परिणामों) द्वारा की गई पूर्व की जांचों में इसकी जांच की है। अतः आवेदकों द्वारा किया गया यह दावा कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पूर्व की पाटनरोधी जांच में पहले ही माना है कि घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित न्यूजप्रिंट भारत में आयातित न्यूजप्रिंट की समान वस्तु है, गलत किया गया है।
- (xxi) भारत में अधिकतर आयात 40-42 जीएसएम के न्यूजप्रिंट के हैं जो मांग में बहुत अधिक हैं, जैसा कि याचिकाकर्ता के दावे का विरोध किया गया है कि 45 जीएसएम का न्यूजप्रिंट देश में आयात किया जा रहा है।

- (xxii) 40-42 जीएसएम का न्यूजप्रिंट संतुलनकारी उपस्कर संस्थापित किए बिना और आवश्यक प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों के बिना 45 जीएसएम के न्यूजप्रिंट का उत्पादन करने के लिए प्रयुक्त मशीनरी पर उत्पादित नहीं किया जा सकता।
- (xxiii) जिन न्यूजपेपर प्रिंट मीडिया हाउसों ने हाई स्पीड प्रिंटिंग प्रेसों में भारी निवेश किया है, वे याचिकाकर्ताओं के इस दावे के विपरीत कम ग्रामेज के न्यूजप्रिंट उनकी सतत् गुणवत्ता के कारण आयात करने को प्राथमिकता देते हैं कि अधिकतर मीडिया हाउसों में लोअर स्पीड मशीनें हैं जिनमें घरेलू तौर पर उत्पादित न्यूजप्रिंट का प्रयोग करने में कोई कठिनाई नहीं है।
- (xxiv) रिसाइकिल्ड पेपर का प्रयोग करके उत्पादित 45 जीएसएम के न्यूजप्रिंट की गुणवत्ता बार-बार रिसाइकिलिंग की प्रक्रिया से ह्रास होने के लिए बाध्य है और इसीलिए वह वर्जिन पल्प/फाइबर से बने न्यूजप्रिंट की गुणवत्ता से मेल नहीं खा सकती।
- (xxv) विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय के पास उपलब्ध 100,000 प्रतियों से अधिक के परिचालन वाले दैनिक समाचार पत्रों की सूची के अनुसार वे प्रकाशक हाई स्पीड प्रिंटिंग मशीनों का प्रयोग करते हैं जो कम ग्रामेज वाले न्यूजप्रिंट को प्राथमिकता देते हैं।
- (xxvi) घरेलू उद्योग ने मौखिक सुनवाई में स्वीकार किया कि 42 जीएसएम के न्यूजप्रिंट का उत्पादन केवल परीक्षण के लिए था जो प्रयोक्ताओं को स्वीकार्य नहीं था।
- (xxvii) घरेलू न्यूजप्रिंट के प्रयोग से उसकी कम प्रिंटिंग गुणवत्ता के कारण समाचार पत्र प्रकाशकों के लिए विज्ञापनों से राजस्व की हानि होती है।
- (xxviii) याचिकाकर्ता ने झूठा अनुरोध किया है कि विभिन्न जीएसएम के न्यूजप्रिंट भौतिक गुणधर्मों, वाणिज्यिक और तकनीकी प्रतिस्थापनीयता के संदर्भ में समान हैं, वान-इफ्रा रिपोर्ट के विपरीत हैं।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

7. विचाराधीन उत्पाद से संबंधित मुद्दों के संबंध में घरेलू उद्योग और अन्य हितवद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच और समाधान निम्नलिखित रूप में किया गया है:
8. न्यूजपेपर की प्रिंटिंग के लिए प्रयुक्त एक अनकोटेड पेपर की किस्म का न्यूजप्रिंट, जिसका मैकेनिकल तथा रासायनिक-मैकेनिकल प्रक्रिया द्वारा प्राप्त बुड फाइबर से युक्त कुल फाइबर मात्रा का भार में 50 प्रतिशत से कम न हो, बिना आकार का अथवा बहुत ही हल्के आकार का हो, जिसमें प्रत्येक ओर 2.5 माइक्रोमीटर (माइक्रोन) पर सरफेस रफनेस पार्कर प्रिंट सर्फ (1 एमपीए) हो, जिसका वजन 40 ग्राम/एम² से कम न हो और 65 ग्राम/एम² से अधिक न हो और केवल पेपर पर लागू होता है:
 - क. 28 सेंटीमीटर से अधिक चौड़ाई की स्ट्रिप तथा रॉल्स में; अथवा
 - ख. आयताकार (वर्ग सहित) शीट्स जिनकी फोल्ड न की गई स्थिति में एक साइड 28 सेंटीमीटर से अधिक और दूसरी साइड 15 सेंटीमीटर से अधिक न हो।
9. न्यूजप्रिंट सामान्यतः बिना उन रासायनिक प्रक्रियाओं के मैकेनिकल मिलिंग प्रक्रिया से निर्मित किया जाता है जिनका प्रयोग प्रायः पल्प से लिग्रिंग हटाने के लिए किया जाता है। लिग्रिंग हवा अथवा धूप में रखे जाने पर, पेपर को नाजुक तथा पीला बना देता है। पारंपरिक रूप से न्यूजप्रिंट का निर्माण पेड़ों की विभिन्न मुलायम प्रजातियों (सर्वाधिक सामान्य रूप से, नरम वृक्ष, देवदार, गुलमेहंदी देवदार अथवा चीड़) से निकाले गए फाइबर से किया जाता है। तथापि, विश्व भर में अब न्यूजप्रिंट बढ़ती हुई प्रतिशतता में रिसाइकिल्ड फाइबर से बनाया जाता है।
10. भारतीय उद्योग इस उत्पाद का विनिर्माण करने के लिए रिसाइकिल्ड पेपर का प्रयोग करता है जबकि कई संबद्ध देशों में कई उत्पादक विचाराधीन उत्पाद का विनिर्माण बुड पल्प का प्रयोग करके करते हैं। यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों में कुछ उत्पादक भी संबद्ध सामानों का विनिर्माण करने के लिए रिसाइकिल्ड पेपर का प्रयोग करते हैं। यह भी नोट किया जाता है कि विभिन्न कच्ची सामग्री के प्रयोग से अंतिम उत्पाद भिन्न नहीं हो जाते। रिसाइकिल्ड पेपर और बुड, दोनों को पहले पल्प/फाइबर में परिवर्तित किया जाता है। पल्प प्राप्त करने के चरण के

बाद प्रक्रिया वही रहती है और प्राप्त अंतिम उत्पाद भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के संदर्भ में समान होता है। इस प्रकार, कच्ची सामग्री में अंतर से घरेलू न्यूजप्रिंट बुड पल्प का प्रयोग करके उत्पादित न्यूजप्रिंट से भिन्न नहीं होता।

11. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि 42जीएसएम और उससे कम के न्यूजप्रिंट को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि इसका उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने वर्तमान मामले में 42जीएसएम के न्यूज प्रिंट का उत्पादन किया है और उसकी बिक्री की है और इस कारण से उसे पीयूसी के दायरे से बाहर रखना आवश्यक नहीं है। इसके अलावा, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह एक मानी गई स्थिति है कि घरेलू उद्योग द्वारा 42जीएसएम न्यूजप्रिंट का उत्पादन और बिक्री भारत में इस विशेष ग्रेड की मांग की तुलना में बहुत अधिक हद तक कम है और इस तथ्य पर प्राधिकारी द्वारा इस मामले में पाटनरोधी शुल्क लगाने की अपनी सिफारिश करते समय विधिवत् विचार किया जाएगा।
12. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने स्वीकार किया है कि वह 42 जीएसएम के न्यूजप्रिंट का उत्पादन नहीं कर रहा है, अतः प्राधिकारी 42 जीएसएम से कम के न्यूजप्रिंट को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग करना मानते हैं।
13. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने भी यह दावा किया है कि हाई बल्क और हाई ब्राइट न्यूजप्रिंट को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग किया जाना चाहिए। तथापि, उत्पाद की स्पष्ट विशेषता तथा विनिर्दिष्टि के अभाव में ऐसे गैर-विशिष्ट मानदंडों के आधार पर किसी उत्पाद को हटाना कार्यान्वित करने के लिए अत्यधिक प्रचलन में होगा और लगाए गए किसी भी पाटनरोधी शुल्क को अप्रभावी कर सकता है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि उत्पादन प्रक्रिया में छोटे-मोटे संशोधन करके चमक तथा बल्क प्राप्त की जा सकती है और इसके लिए अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण के लिए, अधिक चमक प्राप्त करने के लिए बेहतर वेस्ट कागज का प्रयोग किया जा सकता है अथवा अधिक ब्लिचिंग की जा सकती है। अतः यह नहीं माना जा सकता कि ये उत्पाद वाणिज्यिक रूप से और तकनीकी रूप से भिन्न हैं। तदनुसार, प्राधिकारी इन्हें हटाने के लिए अनुरोध में कोई औचित्य नहीं पाते।
14. मशीन फिनिशड स्पेशियलटी उत्पाद अर्थात् निर्यातक द्वारा हटाए जाने के लिए पहचाने गए यूपीएम ब्राइट, यूपीएम ईको प्राइम, यूपीएम ओपेलाइट और यूपीएम बुक्स ब्रांड नाम हैं। हितबद्ध पक्षकारों ने उत्पादों की पहचान नहीं की है जिसके लिए उनके गुणों, विशिष्ट और गुणधर्मों के अनुसार उन्हें हटाए जाने की मांग की गई है। इसके अतिरिक्त, हितबद्ध पक्षकारों ने यह नहीं दर्शाया है कि ये उत्पाद कैसे वाणिज्यिक और तकनीकी रूप से घरेलू उत्पादों के साथ प्रतिस्थापनीय नहीं हैं। जब तक इस संबंध में अपेक्षित साक्ष्य के साथ औचित्य नहीं दिया जाता, उन्हें विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग करना उपयुक्त नहीं होगा।
15. सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच करने के बाद, प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद "निम्नलिखित को छोड़कर रॉल अथवा शीट में न्यूजप्रिंट है।
क. ग्लैज्ड न्यूजप्रिंट; और
ख. 42 जीएसएम से कम का न्यूजप्रिंट।"
16. न्यूजप्रिंट सीमा शुल्क वर्गीकरण 4801 के अंतर्गत वर्गीकृत है। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।
17. यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि में हांगकांग से 42 तथा उससे अधिक जीएसएम के न्यूजप्रिंट का आयात मात्रा की शर्तों में न्यूनतम से कम है। अतः इस जांच के संबद्ध देश ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ, रूस, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात हैं।

घ. घरेलू उद्योग और आधार

घ.1 घरेलू उद्योग के अनुरोध

18. घरेलू उद्योग एवं आधार के संबंध में आवेदकों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

(i) वर्तमान आवेदन पत्र इंडियन न्यूजप्रिंट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा दायर किया गया है।

- (ii) निम्नलिखित उत्पादकों ने जांच में भाग लिया है और वर्तमान याचिका के प्रयोजन के लिए अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराई है:
- क. श्री राम न्यूजप्रिंट लिमिटेड
- ख. इमामी पेपर मिल्स लिमिटेड
- ग. खनन पेपर मिल्स लिमिटेड
- (iii) इस याचिका का इस उत्पाद के 24 घरेलू उत्पादकों ने समर्थन किया है। दो कंपनियों ने समर्थक उत्पादकों के लिए निर्धारित प्रपत्र में आंकड़े उपलब्ध कराए हैं।
- (iv) याचिकाकर्ता घरेलू उत्पादकों का कुल घरेलू उत्पादन में 32 प्रतिशत हिस्सा है और समर्थकों के साथ उनका कुल घरेलू उत्पादन में 83 प्रतिशत हिस्सा है।
- (v) जब न्यूजप्रिंट के तीन सबसे बड़े उत्पादकों को पाटन के कारण क्षति हो रही है तो इस दावे का कोई आधार नहीं है कि छोटे उत्पादकों को क्षति नहीं हो रही है। इस आवेदन पत्र का समर्थन कई छोटे उत्पादकों ने किया है।
- (vi) घरेलू उद्योग ने अन्य उत्पादकों से अनुरोध किया है कि वे सूचना दें, परंतु उनको सूचना देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। तथापि, घरेलू उत्पादकों ने निर्धारित प्रपत्र के अनुसार सूचना संकलित करने में कठिनाई व्यक्त की।
- (vii) व्यापार सूचना 11/2018 में यह उल्लेख है कि जो पक्षकार प्रपत्र के अनुसार सूचना दायर नहीं करते, उन्हें भी जांच में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। निर्यातक, आयातक और प्रयोक्ता उत्तर दायर किए बिना जांच में नैमित्तिक रूप से भाग लेते हैं।
- (viii) आदित्यश्विन पेपर मिल्स का एक समर्थन पत्र उत्पादक द्वारा प्राधिकारी के समक्ष सीधे ही दायर किया गया है, न कि एसोसिएशन के माध्यम से।
- (ix) बैठक का कार्यवृत्त और सदस्यों की सूची याचिका के गोपनीय रूपांतरण में संलग्न की गई है।
- (x) आरोप के विपरीत याचिकाकर्ता ने उत्पादकों और समर्थकों की पहचान की है। 17 प्रतिशत उत्पादन के हिस्से वाले अन्य उत्पादकों ने समर्थन अथवा विरोध व्यक्त नहीं किया है। यहां तक कि यदि ये उत्पादक जांच का विरोध करने वाले माने जाते हैं, तो आधार का परीक्षण संतुष्ट है।
- (xi) इस तर्क में कोई औचित्य नहीं है कि समर्थकों ने आरंभिक तौर पर समर्थन व्यक्त किया और बाद में सूचना देने से मना कर दिया क्योंकि समर्थकों ने कभी यह नहीं कहा कि वे आगे और आंकड़े देंगे। प्राधिकारी ने रिकार्ड में उपलब्ध सूचना से स्वयं संतुष्ट होने के बाद जांच शुरू की और वही समर्थन के पत्र हैं।
- (xii) वर्तमान मामले में किसी भी उत्पादक ने विरोध व्यक्त नहीं किया है। यहां तक कि यदि समर्थक हटाए जाएं तो घरेलू उत्पादक नियम 5(3) में निर्धारित अपेक्षा को पूरा करेंगे।
- (xiii) इस संबंध में दावों के विपरीत, नियम 5(3) की व्याख्या के तहत, समर्थन व्यक्त करने वाले उत्पादकों का उत्पादन समर्थन अथवा विरोध व्यक्त करने वाले उत्पादकों के उत्पादन के अनुपात से 50 प्रतिशत से अधिक होना चाहिए, न कि कुल भारतीय उत्पादन से।
- (xiv) इस संबंध में, आरोपों का उत्तर देते हुए यह अनुरोध है कि मालू पेपर का केवल एक संयंत्र एनपीयूसी में ले जाया गया है और अन्य संयंत्र ने उत्पादन किया है तथा यह समर्थन पत्र से ही सिद्ध है। नेपा लिमिटेड का उत्पादन आधार निर्धारित करते समय शून्य माना गया है।
- (xv) यह तर्क कि इमामी पेपर ने सूचित किया है कि पेपर और पेपर बोर्ड 100 प्रतिशत राजस्व का योगदान करते हैं और इसीलिए न्यूजप्रिंट का उत्पादक नहीं है, भ्रामक है क्योंकि न्यूजप्रिंट अपने आप में पेपर और पेपर बोर्ड डिवीजन का एक भाग है।

- (xvi) इन आरोपों का उत्तर देते हुए कि खन्ना पेपर राइटिंग प्रिंटिंग पेपर से बहुत राजस्व निकालता है, यह अनुरोध है कि खन्ना पेपर मिल्स को यह दर्शाने की आवश्यकता नहीं है कि विचाराधीन उत्पाद का उनके कुल कारोबार में बहुत बड़ा हिस्सा है।
- (xvii) अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्क के विरुद्ध ईसी-फासनर ने अपीलीय निकाय में यह नहीं माना कि 27 प्रतिशत प्रमुख अनुपात नहीं हो सकता, बल्कि नोट किया कि प्रमुख अनुपात पूरे आंकड़े देकर निर्धारित किया जाना चाहिए जो सही-सही विश्लेषण सुनिश्चित करे। लुबरीजोल (इंडिया) प्रा. लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में यह माना गया था कि 31 प्रतिशत प्रमुख अनुपात है।
- (xviii) कई जांचों में प्राधिकारी ने लगभग 30 प्रतिशत हिस्से को प्रमुख अनुपात माना है।
- (xix) अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह नहीं दर्शाया है कि घरेलू उत्पादकों द्वारा निर्मित उत्पादन समग्र रूप से घरेलू उत्पादकों का प्रतिनिधि कारक कैसे नहीं है।

घ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

19. घरेलू उद्योग के क्षेत्र एवं आधार के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- (i) आवेदन पत्र के अनुसार जांच की अवधि में तीन आवेदकों का कुल उत्पादन पूरी क्षति अवधि के लिए 31.2 प्रतिशत तथा लगभग 31 प्रतिशत है। यहां तक कि यदि समर्थकों पर विचार किया जाए तो उत्पादन अंक 51 प्रतिशत तक पहुँचते हैं जो नियमावली के नियम 5 और 2(ख) के तहत निर्धारित घरेलू उत्पादन के प्रमुख अनुपात की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता और इस संबंध में अक्षरशः पूरे विश्व में विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा कई नियम/आदेश हैं।
- (ii) कुल उत्पादन में आवेदक उत्पादकों का हिस्सा केवल 31.2 प्रतिशत है और इस प्रकार ईसी-फासनर (चीन) में निर्धारित परीक्षण लागू करते हुए पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के तहत प्रमुख अनुपात नहीं माना जा सकता।
- (iii) याचिकाकर्ता पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) में निर्धारित 50 प्रतिशत से अधिक के आधार का अनिवार्य परीक्षण पास करने में विफल रहते हैं।
- (iv) विविधीकृत व्यापार प्रचालन वाली याचिकाकर्ता कंपनियों के बारे में, इस बात की जांच करने की आवश्यकता है कि पात्रता निर्धारित करने के लिए क्या गैर-न्यूजप्रिंट प्रचालन अलग किए गए हैं।
- (v) उत्पादकों का 30-32 प्रतिशत पूरे उद्योग का प्रतिनिधि कारक नहीं हो सकता।
- (vi) याचिका का समर्थन करने वाली कंपनियों ने व्यापार सूचना संख्या 13/2018 तथा 14/2018 का अनुपालन नहीं किया है।
- (vii) समर्थकों ने आरंभिक तौर पर अपना समर्थन व्यक्त किया, परंतु बाद में व्यापार सूचना द्वारा अपेक्षित सूचना देने से इंकार कर दिया।
- (viii) याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया है कि याचिकाकर्ता कंपनियों को समर्थन देना केवल एक हस्ताक्षर अभियान है। यहां तक कि यद्यपि पूर्व में समर्थक कंपनियां एक सामान्य पत्र के रूप में समर्थन दायर करतीं, तो व्यापार सूचना का उद्देश्य समर्थकों से सार्थक और पर्याप्त सूचना प्राप्त करना होता।
- (ix) भाग लेने से उत्पादकों के मना करने के मद्देनजर, यहां तक कि यद्यपि वे प्राधिकारी के समक्ष हैं, क्षति विश्लेषण सार्थक रूप से पूरा नहीं किया जा सकता।
- (x) समर्थकों की प्रतिभागिता उपर्युक्त व्यापार सूचनाओं का अनुपालन न किए जाने के कारण अनदेखी किया जाना अपेक्षित है।
- (xi) आईएनएमए उप नियमों की प्रति, एसोसिएशन ज्ञापन, प्रबंधन ढांचे के ब्यौरे, जिस बैठक में यह संकल्प लिया गया कि एसोसिएशन सार्थक टिप्पणियां करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को समर्थ बनाने हेतु अपनी याचिका में पाटनरोधी याचिका दायर करेगा, उस बैठक के कार्यवृत्त की प्रति जैसे दस्तावेज देने में विफल रहा है।

- (xii) आवेदक एसोसिएशन ने विभिन्न श्रेणियों अर्थात् आवेदक, उत्पादक, समर्थक, विरोधी याचिकाकर्ता तथा निष्क्रिय अथवा मौन उत्पादकों की पहचान नहीं की है, जो घरेलू उद्योग का आधार निर्धारित करने के लिए 25 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत पात्रता परीक्षण लागू करने के लिए महत्वपूर्ण है।
- (xiii) एसोसिएशन ने आवेदन पत्र दायर करने के लिए प्राधिकृत करते हुए आवेदक उत्पादकों द्वारा अपने पक्ष में जारी किए गए प्राधिकार पत्र प्रस्तुत नहीं किए हैं और उन सदस्यों की सूची भी नहीं दी है जिन्होंने आवेदन पत्र के संबंध में समर्थन किया है, विरोध किया है अथवा निष्क्रिय रहे हैं।
- (xiv) इमामी पेपर ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के क्रियाकलाप भाग में सूचित किया है कि पेपर और पेपर बोर्ड का कारोबार में 100 प्रतिशत योगदान है। इस प्रकार, लक्ष्मी पेपर ने 2019-20 में न्यूजप्रिंट का उत्पादन नहीं किया है और घरेलू उत्पादक नहीं है।
- (xv) राइटिंग प्रिंटिंग पेपर के विनिर्माण का खन्ना पेपर के कारोबार में 99.72 प्रतिशत का हिस्सा है और इसलिए वह याचिका का समर्थन नहीं कर सकता क्योंकि वह घरेलू उद्योग की परिभाषा को पूरा नहीं करता।
- (xvi) याचिकाकर्ता ने समर्थकों की सूची में कुछ घरेलू उत्पादकों को शामिल किया है और साथ ही उन्हें बंद की गई यूनिटों (उदाहरणार्थ नेपा लिमिटेड और मालू लिमिटेड) की सूची में भी शामिल किया है।
- (xvii) याचिकाकर्ता ने अद्यतन याचिका में उन "अन्य उत्पादकों" के नाम प्रकट नहीं किए हैं जिन पर भारत में घरेलू उत्पादकों का कुल उत्पादन निर्धारित करने के लिए विचार किया गया है।
- (xviii) याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए भारत में कुल घरेलू उत्पादन के अनुमान केवल अवधारणाएं हैं और विश्वसनीय सूचना पर आधारित नहीं हैं।
- (xix) प्राधिकारी को अन्य घरेलू उत्पादकों को "घरेलू उद्योग" के घटक के रूप में शामिल करना चाहिए क्योंकि याचिकाकर्ता ने निरंतर दावा किया है कि कई भारतीय उत्पादक आयातों के कारण बंदी की कगार पर हैं।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

20. नियमावली के नियम 2(ख) में निम्नलिखित प्रावधान है:

“घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में “घरेलू उद्योग” पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।

21. वर्तमान मामले में यह आवेदन पत्र घरेलू उद्योग की ओर से इंडियन न्यूजप्रिंट मैनुफैक्चरर्स (आईएनएमए) द्वारा दायर किया गया है। आईएनएमए के निम्नलिखित सदस्यों (जिन्हें यहां "याचिकाकर्ता घरेलू उत्पादक" कहा गया है) ने अपनी पूरी लागत संबंधी सूचना दी है:

- क. इमामी पेपर मिल्स लिमिटेड
- ख. खन्ना पेपर मिल्स लिमिटेड
- ग. श्री राम न्यूजप्रिंट लिमिटेड

22. उपर्युक्त तीन कंपनियों के अलावा, जिन्होंने अपने लागत संबंधी आंकड़े दिए हैं, निम्नलिखित चौबीस (24) उत्पादकों ने आवेदन पत्र का समर्थन किया है:

- क. अकुला बोर्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
- ख. आदित्यसविन पेपर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
- ग. आनंद ट्रिपल बोर्ड लिमिटेड
- घ. चड्ढा पेपर्स लिमिटेड

- ड. चामुंडा पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड
 च. जीवीजी पेपर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
 छ. लोहिया पेपर एंड बोर्ड प्राइवेट लिमिटेड
 ज. मैग्रम वेंचर्स लिमिटेड
 झ. मालू पेपर मिल्स लिमिटेड
 ञ. नेपा लिमिटेड
 ट. एन आर अग्रवाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 ठ. रामा पेपर मिल्स लिमिटेड
 ड. संगल पेपर्स लिमिटेड
 ढ. सफ्फायर पेपर मिल (पी) लिमिटेड
 ण. श्री कृष्णा पेपर मिल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 त. श्री राजेश्वरानंद पेपर मिल्स लिमिटेड
 थ. श्री हरि कृष्णा पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड
 द. शाह पेपर मिल्स लिमिटेड
 ध. शाह पल्प एंड पेपर मिल्स लिमिटेड
 न. श्री रामदास पेपर बोर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
 प. श्रीपति पेपर एंड बोर्ड (पी) लिमिटेड
 फ. सूर्य चंद्र पेपर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
 ब. वामशधारा पेपर मिल्स लिमिटेड
 भ. वेंकटलक्ष्मी पेपर एंड बोर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
23. इसके अतिरिक्त, आनंद ट्रिप्लेक्स बोर्ड लिमिटेड और मालू पेपर मिल्स लिमिटेड ने व्यापार सूचना 13/2018 द्वारा निर्धारित सूचना दी है।
24. यह नोट किया जाता है कि एसोसिएशन ने सभी संगत दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं जिनमें पंजीकरण प्रमाण-पत्र, ज्ञापन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, सदस्यों की सूची और उस बैठक का कार्यवृत्त शामिल है जिसमें उपर्युक्त आवेदन पत्र दायर करने का निर्णय पास किया गया था। इस प्रकार, इस संबंध में तर्कों की और भी जांच की आवश्यकता है।
25. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित अन्य उत्पादों के उत्पादन पर आधार निर्धारित करते समय विचार नहीं किया जाना चाहिए। यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकारी ने कानून तथा सतत् परिपाटी के अनुसार आधार और क्षति के वर्तमान विश्लेषण के प्रयोजन के लिए समान वस्तु के उत्पादन पर ही विचार किया है।
26. रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार, आवेदक घरेलू उत्पादकों और समर्थकों का उत्पादन निम्नलिखितानुसार है:

विवरण	जांच की अवधि में उत्पादन	कुल उत्पादन में हिस्सा
आवेदक उत्पादक	189,532	32%
समर्थक	303,593	51%
आवेदक + समर्थक	493,125	83%
अन्य उत्पादक	99,063	17%
कुल	592,188	100%

27. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक घरेलू उत्पादकों का कुल उत्पादन में 32 प्रतिशत हिस्सा है और समर्थकों के साथ कुल उत्पादन का 83 प्रतिशत हिस्सा है। कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि समर्थकों के आंकड़ों की व्यापार सूचना 13/2018 के संदर्भ में संगत सूचना दायर न किए जाने के कारण अनदेखी की जाए और यह कि आधार के प्रयोजन के लिए उनके उत्पादन पर विचार न किया जाए। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि 32 प्रतिशत हिस्से को घरेलू उत्पादन के प्रमुख उत्पादन के रूप में नहीं माना जा सकता।
28. प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियम 2(ख) में उल्लिखित "समान वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख अनुपात" नियमावली के नियम 5(3) के साथ पढ़ा जाना है जिसमें घरेलू उत्पादकों के स्पष्ट रूप से कुल घरेलू उत्पादन के 25 प्रतिशत से कम का न हिस्सा होना याचिका का समर्थन करने की अपेक्षा है और याचिका का विरोध करने वाले पक्षकारों का उत्पादन याचिका के याचिकाकर्ताओं और समर्थकों के उत्पादन से कम होने की अपेक्षा है। वर्तमान मामले में, ये दोनों अपेक्षाएं विधिवत पूर्ण हैं।
29. इसके अतिरिक्त, आवेदक उत्पादकों ने भारत में संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है और उसके निर्यातक अथवा आयातक से संबद्ध नहीं हैं। अतः प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक उत्पादक नियमावली के नियम 2(ख) के अभिप्राय से घरेलू उद्योग हैं और आवेदन पत्र नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार के मानदंड को पूरा करता है।

ड. गोपनीयता

ड.1 घरेलू उद्योग के अनुरोध

30. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- निर्यातकों के प्रश्नावली के उत्तर रद्द किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि संबद्ध पक्षकारों के नामों तथा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना के संबंध में उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया गया है। गोपनीय सूचना के बजाए पूरा उत्तर संशोधित किया गया है और व्यापार सूचना 7/2018 की अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया गया है।
 - उत्तरदाता के आरोपों के विपरीत, घरेलू उद्योग ने अच्छे कारण के साथ उसके द्वारा दावा की गई गोपनीयता को औचित्यपूर्ण बताया है।
 - व्यापार सूचना 10/2018 के अनुसार घरेलू उद्योग के लिए प्रपत्र ज उपलब्ध कराया गया है। व्यक्तिगत उत्पादकों के लिए प्रपत्र ज प्रदान करने की कोई अपेक्षा नहीं है।
 - आरोप के विपरीत, प्रत्येक उत्पादक की क्षति रहित कीमत दी गई है। कम कीमत पर बिक्री का परिकलन दिए जाने की आवश्यकता नहीं है।
 - अगोपनीय रूपांतर में उत्पादन प्रक्रिया और कच्ची सामग्री का नाम दिया गया है। विचाराधीन उत्पाद के लिए अलग से जुटाई गई निधियों की पहचान करना संभव नहीं है।
 - घरेलू उत्पादकों के संबंध में क्षेत्र विशिष्ट वित्तीय विवरण देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

ड.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

31. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- आवेदक ने उत्पाद अथवा व्यापार क्षेत्र विशिष्ट वित्तीय विवरण नहीं दिए हैं और इसके बजाए उन कंपनियों की वेबसाइट का लिंक दिया है जिनमें केवल सभी व्यापारिक क्रियाकलापों के लिए समेकित वित्तीय विवरण शामिल हैं।
 - आवेदक ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा करने के लिए अच्छा कारण नहीं दर्शाया है। अपीलीय निकाय ने चीन से कुछ आयरन अथवा स्टील फासनर्स पर यूरोपीय समुदाय-निश्चयात्मक पाटनरोधी उपायों में यह माना है कि गोपनीयता के दावा करने वाले पक्षकार को अच्छा कारण देना चाहिए।
 - आवेदक ने डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6.5 और नियमावली के नियम 7 के तहत अपेक्षित क्षति मानदंडों का समुचित अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध नहीं कराया है।

- (iv) बिक्री मूल्य, पीबीआईटी, कुल पीबीआईटी, ब्याज, मूल्यह्रास और कीमत कटौती से संबंधित सूचना व्यापार सूचना संख्या 10/2018 के तहत अपेक्षानुसार समग्र आंकड़ों के बजाए प्रवृत्तियों में उपलब्ध कराई गई है।
- (v) आवेदक ने (i) निवल बिक्री कीमत और कीमत कटौती, (ii) भारतीय उत्पादन में घरेलू उद्योग और समर्थकों का हिस्सा और (iii) प्रपत्र क से ठ, जिसने इन अनुरोधों के संबंध में किसी उपयुक्त टिप्पणियों को रोका है, के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है।
- (vi) व्यक्तिगत उत्पादकों के प्रपत्र ज में सूचीबद्ध सदस्य भी नहीं हैं।
- (vii) आवेदक ने दावा किया है कि जुटाई गई निधियां तुलन पत्र के अनुसार हैं और खन्ना पेपर के तुलन पत्र को गोपनीय होने का दावा किया है।
- (viii) आवेदक को कारणों का विवरण प्रस्तुत करना चाहिए कि सूचना का सार संभव क्यों नहीं है, यह विवरण कि "सूचना का सार संभव नहीं है" कानूनी अपेक्षा को पूरा नहीं कर सकता।
- (ix) प्राधिकारी द्वारा प्रयुक्त सूचना पर टिप्पणी देने का अधिकार उत्तरदाता को उपलब्ध अधिकार का एक महत्वपूर्ण घटक है। जैसा कि ईसी-फासनर्स (चीन) और ग्वाटेमाला-सीमेंट-II में माना गया है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के विरुद्ध क्लियर फ्लोट ग्लास निर्णायक समीक्षा में प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के गोपनीयता के अनुरोध को रद्द किया है।
- (x) प्राधिकारी को सूचना की गोपनीयता के दावों का मूल्यांकन करना चाहिए और किसी समुचित जांच के बिना सूचना को गोपनीय नाम नहीं देना चाहिए, जैसा कि स्टर्लाइट इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा माना गया है।
- (xi) अत्यधिक गोपनीयता का दावा व्यापार सूचना संख्या 1/2013 के उल्लंघन में किया गया है।
- (xii) चूंकि कमियों वाला पत्र उत्पादकों/निर्यातकों को जारी किया गया है, अतः वह आवेदक को जारी किया जाना चाहिए।
- (xiii) उत्पादकों/निर्यातकों ने प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रश्नावली प्रपत्र के अनुसार और व्यापार सूचना संख्या 10/2018 का अनुपालन करते हुए उत्तर प्रस्तुत किए हैं।
- (xiv) सैंडी लिमिटेड, जेएससी सोलिकमस्कबमपुरम और इंडो ग्लोबर कामर्शियल्स एफजेडई ने व्यापार सूचना 10/2018 के अनुसार संबद्ध सामानों के उत्पादन/ बिक्री/खरीद में शामिल संबंधित पक्षकारों के संबंध में संगत सूचना उपलब्ध कराई है।
- (xv) आवेदक ने अनीका इंटरनेशनल एफजेडई का नाम यह बताए बिना गोपनीयता मानदंडों का उल्लंघन करने वाला बताया है कि किन मानदंडों का उल्लंघन किया गया है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

32. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार निरीक्षण के लिए विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय रूपांतर से युक्त सार्वजनिक फाइल के माध्यम से सभी हितबद्ध पक्षकारों को विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया।

33. सूचना की गोपनीयता के संबंध में नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान है:

"गोपनीय सूचना: (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।"

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में निहित किसी बात को होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि गोपनीयता के लिए अनुरोध न्यायसंगत नहीं अथवा सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा इसको सामान्य तौर पर अथवा संक्षिप्त रूप में उसे प्रकट करने के लिए अनिच्छुक हो, तो ऐसी सूचना की उपेक्षा की जा सकती है।

34. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई थी। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी उचित था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रुपांतर प्रस्तुत करें। प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय रुपांतर हितबद्ध पक्षकारों को यह निर्देश देकर उपलब्ध कराया कि वे ई-मेल के माध्यम से एक-दूसरे के साथ अनुरोधों के अगोपनीय रुपांतर को साझा करें। घरेलू उद्योग के आयातों, निष्पादन मानदंडों और क्षति मानदंडों से संबंधित सूचना सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध कराई गई हैं। व्यापार संवेदी सूचना को परिपाटी के अनुसार गोपनीय रखा गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जो कोई भी सूचना सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध है, उसे गोपनीय नहीं माना जा सकता।
35. प्राधिकारी ने आवेदकों तथा विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए गोपनीयता के दावों पर विचार किया है और उसके बारे में संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने गोपनीयता संबंधी दावे की अनुमति दी है। कोविड-19 महामारी के कारण प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को निर्देश दिया कि वे प्रत्येक हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए अनुरोधों के अगोपनीय रुपांतर को ई-मेल के माध्यम से अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा करें।

च. विविध मुद्दे

च.1 घरेलू उद्योग के अनुरोध

36. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों के उत्तर में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- (i) जांच शुरू कर दिए जाने पर, अद्यतन याचिका दायर करने की कोई आवश्यकता नहीं है और इसके बजाए घरेलू उद्योग को प्राधिकारी द्वारा निर्धारित जांच की अवधि के अनुसार अद्यतन आंकड़े देने की आवश्यकता है। यह अपेक्षा घरेलू उद्योग द्वारा पूरी की गई है।
- (ii) आंकड़ों को अद्यतन करने के स्तर पर पूर्व के आंकड़ों में कुछ त्रुटियां थीं जिन्हें सही कर दिया गया है। इस परिवर्तन से क्षति मानदंडों की प्रवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। घरेलू उद्योग अपने आंकड़ों का पूरा सत्यापन देने का इच्छुक है।
- (iii) इस तर्क का उत्तर देते हुए कि अगोपनीय याचिका जांच की शुरुआत की तारीख के बाद दायर की गई है, यह अनुरोध है कि यह प्राधिकारी का परिपाटी है कि अगोपनीय रुपांतर जांच की शुरुआत के बाद दायर किया जाए और यह याचिका दो दिन बाद दायर करने में कोई अनियमितता नहीं है।
- (iv) प्राधिकारी ने जांच की अवधि 6 माह से बढ़ाकर 9 माह की थी। यहां तक कि यदि दूसरी तिमाही जोड़ी जाए तो यह देखा जाएगा कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में ह्रास हुआ है।
- (v) पाटनरोधी शुल्क लगाना जनहित के विरुद्ध नहीं है क्योंकि पाटनरोधी शुल्क से देश में आयात प्रतिबंधित नहीं होते बल्कि केवल यह सुनिश्चित होता है कि वे उचित कीमतों पर उपलब्ध हैं। देश में मांग-आपूर्ति का कोई अंतराल नहीं है। यद्यपि उपभोक्ताओं को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, तथापि उत्पादकों को भी अपना व्यापार करने का अधिकार है।

- (vi) आरोपों के विपरीत, पाटनरोधी शुल्क लगाना जनहित में है क्योंकि इससे आयातों पर अनावश्यक निर्भरता कम होगी और देश को आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारत में सशक्त घरेलू उद्योग की आवश्यकता का औचित्य बनाती है।
- (vii) कोविड-19 से घरेलू उत्पादकों और ग्राहकों, दोनों प्रभावित हुए हैं। यह महामारी पाटन का औचित्य नहीं बनाती।
- (viii) आवेदक ने पीसीएन के लिए अनुरोध नहीं किया है बल्कि केवल यह उल्लेख किया है कि उसे कोई आपत्ति नहीं है।
- (ix) घरेलू उत्पादकों की उत्पादन प्रक्रिया पर्यावरण के अधिक अनुकूल है क्योंकि वह गैर-वनीकरण से बचते हुए अपशिष्ट कागज पर विश्वास करती है।
- (x) याचिकाकर्ता ने आयातों का पूरा विश्लेषण किया है और केवल उन देशों को चुना है जो भारत में पाटन कर रहे हैं।
- (xi) ट्रेडकॉम सर्विसेज पीटीई लिमिटेड को पाटनरोधी जांच के क्षेत्र से अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि जांच संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों के संबंध में है। निर्यातक ने सीमा शुल्क प्राधिकारी को उद्गम का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है।
- (xii) आवेदक ने व्यापार सूचना के अनुसार पीडीएफ रूप में आयात आंकड़े दिए हैं। सेसटेट आदेश उस समय जारी किया गया था जब प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस के आंकड़े लेने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को अनुमति नहीं दी थी, परंतु अब परिपाटी बदल गई है। वर्तमान जांच में हितबद्ध पक्षकारों के लिए कोई पूर्वाग्रह नहीं किया गया है।

च.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

37. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- (i) आवेदक ने जांच की अद्यतन अवधि के साथ याचिका साझी नहीं की है।
- (ii) मौखिक सुनवाई के बाद पीसीएन सिद्धांत को अपनाने से अंतिम जांच परिणाम जारी करने में विलंब होगा।
- (iii) आरोपित पाटन और क्षति एवं दोनों के बीच कारणात्मक संपर्क का वस्तुपरक मूल्यांकन करने के लिए 9 माह की अवधि अपर्याप्त है, विशेष रूप से जब यह अवधि उस अवधि के अनुरूप हो, जब रिसाइक्लिड न्यूजप्रिंट उत्पादों के लिए वैश्विक बाजार स्थिर होने शुरू हो गए और बदलती हुई चीनी नीतियों से आरंभिक झटके के बाद पुनः समायोजित हों।
- (iv) शुल्क लगाने से प्रयोक्ता उद्योग के हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगे तथा कच्ची सामग्री की कीमत बढ़ाकर सरकार की "मेक इन इंडिया" पहल प्रभावित होगी।
- (v) न्यूजपेपर प्रिंट मीडिया उद्योग में, न्यूजपेपर की उत्पादन लागत अनिवार्य रूप से पाठक से वसूली गई बिक्री कीमत से अधिक है। अतः विज्ञापन राजस्व न्यूजपेपर की बिक्री में हुई हानियों की प्रतिपूर्ति करता है और न्यूजप्रिंट की लागत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसा कि याचिका में गलत उल्लेख किया गया है।
- (vi) आवेदक को जांच के इस देरी के स्तर पर आवेदक उत्पादकों और समर्थकों से संबंधित नई सूचना प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- (vii) एक्सोटिक डेकर प्रा. लिमिटेड एवं अन्य बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में सेसटेट आदेश के अनुपालन में प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि आयात आंकड़ों की सॉफ्ट कॉपी का एक्सल वर्जन याचिकाकर्ता द्वारा प्राधिकारी के समक्ष जांच की अवधि और क्षति की अवधि के लिए उपलब्ध कराया जाए।

- (viii) शुल्क लगाना जनहित के विरुद्ध होगा क्योंकि मांग-आपूर्ति अंतराल है। इससे न्यूजपेपर की कीमत प्रभावित होगी जो कि न्यूजपेपर और न्यूजप्रिंट की मांग को प्रभावित करेगी और यह कम किए गए सीमा शुल्क को अनावश्यक बनाएगी। इससे भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी प्रभावित होगी।
- (ix) महामारी फैलने से न्यूजपेपर का प्रचालन पहले ही प्रभावित हुआ है।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

38. यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए आंकड़ों/ सूचना के आधार पर और प्रथम दृष्टया यह संतुष्ट होने पर कि पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क का पर्याप्त साक्ष्य है, वर्तमान जांच शुरू की।
39. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि 9 माह की जांच की अवधि 2018 में वैश्विक आपूर्ति में कमी के कारण पाटन एवं क्षति की जांच करने के लिए पर्याप्त नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर 6 माह से 18 माह तक हो सकती है। पाटनरोधी परिपाटियों संबंधी समिति ने भी यह सिफारिश की है कि जांच की अवधि कम से कम तीन वर्ष की क्षति की अवधि के साथ 6 माह से कम नहीं होनी चाहिए। प्राधिकारी द्वारा मानी गई जांच की अवधि और क्षति की अवधि समिति की सिफारिशों के अनुरूप हैं। इसके अतिरिक्त, यद्यपि घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के रूप में 6 माह अवधि प्रस्तावित की, तथापि प्राधिकारी ने 9 माह की लंबी अवधि मानी है। प्राधिकारी द्वारा मानी गई जांच की अवधि उपयुक्त है क्योंकि आयात कीमत इस अवधि के दौरान तेजी से गिरी है। इसके अतिरिक्त, पूर्व वर्ष की तुलना करने पर इस अवधि के दौरान आयातों में पूर्ण दृष्टि से और उत्पादन एवं खपत के संबंध में काफी वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने खुद दावा किया कि न्यूजप्रिंट की कीमतें वैश्विक कारकों के कारण असामान्य अवधि के रूप में 2018-19 में बढ़ी थीं। यह स्थिति होने पर इस अवधि को जांच की अवधि के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं माना जा सकता। तदनुसार, प्राधिकारी मानते हैं कि मानी गई जांच की अवधि उपयुक्त है।
40. हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग के आंकड़ों में कुछ अनियमितताओं का भी उल्लेख किया है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के आंकड़ों का सत्यापन किया है और उनकी पर्याप्तता एवं परिशुद्धता की विधिवत जांच करने के बाद उन सत्यापित आंकड़ों को लिया है। वर्तमान जांच परिणाम के प्रयोजन के लिए केवल उन सत्यापित आंकड़ों पर ही विचार किया गया है।
41. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाना जनहित में नहीं है। यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से देश में आयात प्रतिबंधित नहीं होंगे और केवल यह सुनिश्चित करेंगे कि आयातित उत्पाद उचित कीमतों पर उपलब्ध हैं। पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में संबद्ध सामानों की कमी नहीं होगी। देश में मांग-आपूर्ति का कोई अंतराल नहीं है। उत्पादन के पाटन से केवल वर्तमान घरेलू उद्योग को ही वास्तविक क्षति नहीं हुई है, बल्कि देश में अन्य घरेलू उत्पादकों को भी हुई है। इसके अतिरिक्त, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने यह निर्धारित नहीं किया है कि यह शुल्क लगाना कैसे जनहित में नहीं होगा।
42. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि संबद्ध सामानों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित होगी। यह नोट किया जाता है कि मांग पूरी करने के लिए भारत में पर्याप्त क्षमता है। अतः न्यूजपेपर का परिचालन शुल्क लगाने से प्रभावित नहीं होगा। किसी भी दशा में आयात अपाटित और उचित कीमतों पर उपलब्ध होते रहेंगे और इस प्रकार विचाराधीन उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।
43. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से सरकार की "मेक इन इंडिया" पहल प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। तथापि, यह नोट किया जाता है कि अनुचित और पाटित आयातों से घरेलू उद्योग का संरक्षण मेक इन इंडिया पहले के विपरीत नहीं होगा। हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों के विपरीत, घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि देश इस उत्पाद में आत्मनिर्भर है और आयात अनावश्यक हैं।
44. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि उन्हें याचिकाकर्ता द्वारा उस रूप में आयात आंकड़े दिए गए हैं, जो प्राधिकारी को दिए गए तरीके में नहीं हैं। यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने पहले ही सभी हितबद्ध पक्षकारों को प्राधिकृत किया था जिसमें डीजीसीआईएंडएस के लेन-देन वार आयात आंकड़े प्राप्त करने के प्राधिकार की मांग थी। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता ने याचिका में आयात पृथक्करण सिद्धांत दिया है। हितबद्ध पक्षकारों को निदेशालय द्वारा जारी व्यापार सूचना के अनुसार आयात आंकड़े दिए गए हैं। ऐसी स्थिति होने पर हितबद्ध पक्षकारों के लिए कोई पूर्वाग्रह प्रतीत नहीं होता।

45. ट्रेडकॉम सर्विसेज पीटीई लिमिटेड ने दावा किया है कि उनके सामानों को अलग किया जाना चाहिए क्योंकि वे संबद्ध देशों में उत्पादित नहीं किए जाते हैं और केवल सिंगापुर से निर्यात किए जाते हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान जांच का क्षेत्र संबद्ध देशों के मूल के सामान हैं। प्राधिकारी ने केवल उन आयातों पर विचार किया है जो संबद्ध देशों से आयात हैं, जिनको इन संबद्ध देशों के मूल के सामानों के रूप में सीमा शुल्क प्राधिकारियों को घोषित किया गया है। कोई पक्षकार प्राधिकारी द्वारा शुल्क की सिफारिश किए जाने और केंद्र सरकार द्वारा शुल्क लगाए जाने की स्थिति में पाटनरोधी शुल्क का भुगतान किए बिना तीसरे देशों के मूल के सामानों का निर्यात करने के लिए स्वतंत्र है।

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा पाटन और पाटन मार्जिन का निर्धारण

46. अधिनियम की धारा 9क(1)(ग) के अनुसार, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

- (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-
 - (क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा
 - (ख) उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

छ.1 घरेलू उद्योग के अनुरोध

- (i) सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- (ii) आवेदक ने संबद्ध देशों में सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए विभिन्न बाजार रिपोर्टों का हवाला दिया है। जब कभी ये रिपोर्टें उपलब्ध नहीं थीं, तो उस समय सामान्य मूल्य संबद्ध देशों में आयातों के आधार पर निर्धारित किया गया है।
- (iii) यूरोपीय संघ और कनाडा के लिए सामान्य मूल्य क्रमशः इंटर-ईयू ट्रेड आंकड़ों के आधार पर और कनाडा के लिए रिजॉल्यूट फोरेस्ट प्रोडक्ट की रिपोर्ट के आधार पर निर्धारित किया गया है। तथापि, दूसरे देशों के लिए घरेलू बिक्री कीमत उपलब्ध नहीं थी और इसीलिए उस देश में विचाराधीन उत्पाद के आंकड़ों पर विश्वास किया गया है।
- (iv) निर्यात कीमत, समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, पत्तन व्यय और अंतर्देशीय भाड़ा के लिए विधिवत समायोजित डीजीसीआईएंडएस आंकड़ों के अनुसार सीआईएफ कीमत के आधार पर निर्धारित की गई है।
- (v) पाटन मार्जिन काफी है।
- (vi) मौखिक सुनवाई के दौरान, किसी भी निर्यातक ने यह तर्क नहीं दिया कि पाटन नहीं है जिसका यह अभिप्राय है कि सभी निर्यातक जानते हैं कि देश में काफी पाटन है।

- (vii) चूंकि आयात कीमत समान वस्तु की कीमत है, जब निर्यातक देश में खपत के लिए भेजी जाए, तो यह सीधी बिक्री कीमत के संबंध में साक्ष्य के अभाव में धारा 9क(1) के तहत सामान्य मूल्य के लिए आधार का कार्य कर सकती है।
- (viii) चूंकि आयात कीमत और घरेलू बिक्री कीमत एक-दूसरे के अनुरूप कार्य करते हैं, अतः आयात कीमत सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए संबद्ध देशों के घरेलू बाजार में खपत कीमत के रूप में मानी जा सकती है।
- (ix) विगत में भी सामान्य मूल्य जांच की शुरुआत के स्तर पर सीपीवीसी और पॉलिस्टीन के मामले में तथा चीन और कोरिया गणराज्य से पीएक्स 13 (6पीपीडी) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एमबीटी सीबीएस टीडीक्यू, पीवीआई और टीएमटी जैसे रबड़ रसायनों के मामले में प्राथमिक जांच परिणाम में भी और चीनी तैपई, यूरोपीय संघ के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "पीएक्स13" रबड़ रसायनों के मामले में; चीन जन. गण., यूरोपीय संघ और यूएसए के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "एमओआर" तथा चीनी तैपई और यूरोपीय संघ के मूल के अथवा वहां से निर्यातित टीडीक्यू के मामले में अंतिम जांच परिणामों में संबद्ध देश में आयातों के आधार पर निर्धारित किया गया था।
- (x) इस तर्क का उत्तर देते हुए कि आंकड़े प्राप्त करने में असमर्थता सामान्य मूल्य के त्रुटिपूर्ण निर्धारण का कारण नहीं हो सकता, यह अनुरोध किया गया था कि याचिका के स्तर पर आवेदक को केवल सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना देने की ही आवश्यकता है।
- (xi) इस तर्क के संबंध में कि निर्धारित सामान्य मूल्य गलत है, क्योंकि जिस सूचना पर विश्वास किया गया है, वह कनाडा, यूएसए में न्यूजप्रिंट की कुल बिक्री तथा अन्य देशों को निर्यात से संबंधित है, यह अनुरोध किया गया था कि आवेदक को पाटन का प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रदान करने की ही आवश्यकता है और उनसे देश में वास्तविक विद्यमान कीमतों के संबंध में सूचना लेने की उम्मीद नहीं की जा सकती।
- (xii) सार्वजनिक रिकार्ड ने रूस में आयातित न्यूजप्रिंट और रूस से निर्यातित न्यूजप्रिंट के बीच कोई अंतर नहीं दर्शाए। भिन्न-भिन्न जीएसएम की कीमतों के बीच कोई स्पष्ट अंतर नहीं है।
- (xiii) याचिकाकर्ता को उचित तुलना के लिए समायोजन से कोई आपत्ति नहीं है। जीएसएम-वार आधार पर कोई तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि वह पीसीएन नहीं है। विभिन्न जीएसएम परस्पर परिवर्तनीय रूप से प्रयुक्त किए जाते हैं। पूर्व जांच में भी कोई पीसीएन नहीं था।
- (xiv) हितबद्ध पक्षकारों को यह सिद्ध करना चाहिए कि घरेलू और निर्यात बाजारों दोनों के लिए कीमतें अस्थिर थीं। तथापि, चूंकि पाटन मार्जिन न्यूनतम नहीं है, अतः यह सिद्ध है कि कीमतें अस्थिर नहीं थीं।
- (xv) इस तर्क के संबंध में कि यूरोपीय संघ में कीमत वृद्धि भारत की तुलना में बाद में हुई, प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे ऐसे निर्धारित के लिए एक ओर बीजक की तारीख पर विचार करें तथा दूसरी ओर भारत में आयातों पर।
- (xvi) इस तर्क के संबंध में कि कीमतें भारत में 2018 में और यूरोपीय संघ में 2019 में उच्च स्तर पर थीं तथा मांग एवं आपूर्ति पुनः संतुलित होने पर पूर्व वर्षों के स्तर पर वापस आ गई, यह अनुरोध है कि उत्तरदाताओं ने यह दर्शाने के लिए आंकड़े नहीं दिए हैं कि जांच की अवधि के बाद पाटन नहीं हुआ है। पाटन संबंधी कानून में इस बात की जांच की परिकल्पना नहीं है कि पाटन क्यों हुआ।
- (xvii) यदि उत्तरदाता उपयुक्त साक्ष्य देकर यह सिद्ध करने में समर्थ हैं कि वे पाटन नहीं कर रहे हैं तो याचिकाकर्ता को कोई आपत्ति नहीं है। भारतीय प्रिंटर तीन से 6 माह के दीर्घावधिक करार करते हैं। तथापि, जैसे ही आयात कीमतों में गिरावट आई, घरेलू उद्योग के साथ वे संविदाएं रद्द कर दी गईं।

छ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

- 47. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- (i) सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का परिकलन सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की उचित तुलना सुनिश्चित करने के लिए पाटन मार्जिन परिकलनों में उचित समायोजन करने के बाद उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर किया जाना चाहिए।
- (ii) उत्पादकों/निर्यातकों ने संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित अधिकतर निर्यात बिक्री लेन-देनों के लिए पूरी आपूर्ति श्रृंखला उपलब्ध कराते हुए प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं।
- (iii) याचिकाकर्ता ने यह अनुरोध कर जांच की दिशा भटकाने का प्रयास किया है कि उत्पादकों/निर्यातकों ने पाटन के आरोप से इंकार नहीं किया जो कि गलत है क्योंकि हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों को अलग से नहीं माना जा सकता।
- (iv) इंटर-ईयू व्यापार मूल्य के आधार पर पपसेरा एस.ए. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण त्रुटिपूर्ण है क्योंकि यूरोपीय संघ में बेचे गए उत्पाद की गुणवत्ता भिन्न है, उसकी कीमत बहुत अधिक है और भौतिक विशेषताओं तथा अंतिम प्रयोग, विनिर्माण के लिए प्रयुक्त मशीनों, उत्पादन प्रक्रिया और उत्पादन लागत में अंतर तथा बिक्री कीमत और बातचीत की कीमत प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में भारत को निर्यातित उत्पाद से भिन्न है।
- (v) रूस के लिए सामान्य मूल्य रूसी बाजार में बिक्री के बजाए चीन में काफी बिक्री के आधार पर परिकलित किया जाना चाहिए।
- (vi) कॉर्नर ब्रुक पल्प एंड पेपर लिमिटेड, कूगर ट्रॉइज-रिवेरेज एल.पी. और कूगर ब्रॉम्प्टन एल.पी. ने प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं और उनके लिए अलग पाटन मार्जिन निर्धारित किया जाना चाहिए।
इंडो ग्लोबल कामर्शियल्स एफजेडई की भारतीय मूल की कंपनी संबद्ध सामानों की आयातक नहीं है और इस प्रकार वर्तमान जांच में मूल्य श्रृंखला का भाग नहीं है।
- (vii) सैंडी लिमिटेड की मूल कंपनी पोद्दार ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड ने आयातक प्रश्नावली के उत्तर दायर करके जांच में भाग लिया है, जैसा कि प्राधिकारी द्वारा अपनी वेबसाइट पर जारी हितबद्ध पक्षकारों की सूची से सिद्ध है।
- (viii) पेपर ट्रेडिंग ग्रुप (पीटीजी) और उसकी धारक कंपनी वालेनबर्ग एसए संबद्ध सामानों के उत्पादन में लगी कंपनियों से संबद्ध नहीं है।
- (ix) याचिकाकर्ता द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार कनाडा के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमतें गलत हैं तथा वह उनके पाटन और क्षति मार्जिन के परिकलन के लिए उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा दायर उत्तरों के आधार पर होने चाहिए।
- (x) संबद्ध देशों में आयातों की कीमतों पर आधारित सामान्य मूल्य निर्धारण सीमा प्रशुल्क अधिनियम की धारा 9क(1)(ग) के उल्लंघन में है।
- (xi) रूस में आयातित सामानों की कीमतों के आधार पर निर्धारित सामान्य मूल्य गलत है क्योंकि रूस में आयात सामान्यतः 48 जीएसएम के न्यूजप्रिंट के हैं जिसका प्रयोग प्रीमियम बिजनेस प्रेस द्वारा किया जाता है और संदर्भ पुस्तकों के मुद्रण के लिए प्रयुक्त किया जाता है।
- (xii) प्राधिकारी को एक-एक करके तुलना के आधार पर संबद्ध सामानों की तुलना करनी चाहिए क्योंकि उत्तरदाता ने घरेलू बाजार में विभिन्न जीएसएम न्यूजप्रिंट और विशेषज्ञता के न्यूजप्रिंट की बिक्री की है, जबकि भारतीय बाजार में ही कई जीएसएम का निर्यात किया गया है।
- (xiii) 6/9 माह की जांच की अवधि में 2018 में वैश्विक आपूर्ति की कमी के बाद अस्थिर वैश्विक न्यूजप्रिंट कीमतें थीं जिससे अपवादात्मक रूप से उच्च कीमत स्तर बने।
- (xiv) डीजीटीआर से भी अनुरोध है कि वे सामान्य मूल्य और निर्यात कीमतों की उचित तुलना सुनिश्चित करने के लिए पाटन मार्जिन परिकलनों में समायोजन करें। यूरोपीय संघ के बाजार में कीमत वृद्धि भारत की तुलना में बाजार संरचना के कारण बाद में हुई और भारत से तुलना करने पर काफी कम घोषित की गई थी।

- (xv) कीमतें भारत में 2018 में और यूरोपीय संघ में 2019 में उच्च स्तर पर गईं तथा आपूर्ति एवं मांग पुनः संतुलित होने पर पूर्व वर्षों के स्तरों पर वापस आ गई।
- (xvi) भारतीय मुद्रक दीर्घावधि कीमत संविदाएं करने के लिए सहमत नहीं होते और आयात स्थल बिक्री के रूप में किए जाते हैं। अतः वैश्विक आपूर्ति और मांग में किन्हीं परिवर्तनों का भारतीय बाजार की कीमतों पर तत्काल प्रभाव है।
- (xvii) कनाडा से यूएसए और भारत को निर्यात कीमतों की तुलना उपयुक्त नहीं है क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि क्या उत्पाद के उसी ग्रामेज के लिए कीमतों पर विचार किया गया है। इसके अतिरिक्त, वस्तुओं की कीमतें बाजार संचालित होती हैं और आपूर्ति संविदा की अवधि, सुपुर्दगी की शर्तों सहित स्थानीय आर्थिक स्थितियों पर निर्भर होती हैं।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

48. धारा 9क(1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

- (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-
 - (क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा
 - (ख) उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

49. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्राधिकारी द्वारा निर्धारित स्वरूप एवं तरीके में सूचना उपलब्ध कराने के लिए उन्हें सलाह देते हुए प्रश्नावलियां भेजीं। निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने वर्तमान जांच में भाग लिया है:

- क. अमीगो टेकप्रो लिमिटेड, हांगकांग;
- ख. अनिका इंटरनेशनल एफजेडई, यूएई;
- ग. बीडी व्हाइट बिर्च निवेश एलएलसी डेलावेयर, यूएसए;
- घ. मध्य राष्ट्रीय एशिया, हांगकांग;
- ङ. सेंट्रल नेशनल कनाडा यूएलसी, कनाडा;
- च. सेंट्रल नेशनल गोट्समैन यूरोप जीएमबीएच, ऑस्ट्रिया;
- छ. सेंट्रल नेशनल गोट्समैन इंक, यूएसए;
- ज. कॉर्नर ब्रुक पल्प एंड पेपर लिमिटेड, कनाडा;
- झ. एफएफ सौसी डब्ल्यूबी जनरल पार्टनर लिमिटेड (जीपी), कनाडा;
- ञ. एफआईएस ट्रेडिंग जीएमबीएच, ऑस्ट्रिया;
- ट. जिब्रुडर लैंग जीएमबीएच पेपियर फैब्रिक, जर्मनी
- ठ. गो पेपर जीएमबीएच एंड कं केजी, जर्मनी;

- ड. गो पेपर पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर;
- ढ. होल्मेन पेपर एबी, स्वीडन;
- ण. हॉरिजन फोकस लिमिटेड, हांगकांग;
- त. इंडो ग्लोबल कमर्शियल एफजेडई, यूएई;
- थ. इंकोर जीएमबीएच, ऑस्ट्रिया;
- द. जे. अनगरथ एबी, स्वीडन;
- ध. जैकब जुर्गेसेनपियर यूएनडी जेल्सटॉफ जीएमबीएच, जर्मनी;
- न. ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कोंडोपोगा पल्प एंड पेपर मिल, रूस;
- प. ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बोल्गा, रूस;
- फ. जेएससी सोलीकमबम्पम्प्रोम, रूस;
- ब. करजला पल्प एलएलसी, रूस;
- भ. कूगर ब्रॉम्पटन एल.पी., कनाडा;
- म. कूगर ट्रिस-रिवेयर्स एल.पी., कनाडा;
- य. मैपको गल्फ कमोडिटीज डीएमसीसी, यूएई;
- कक. मोंडी पेपर सेल्स जीएमबीएच, ऑस्ट्रिया;
- खख. मोंडी साइक्टीवकर जेएससी, रूस;
- गग. ओटीसीएल इंक, कनाडा;
- घघ. पापियर मेसन डब्ल्यूबी जनरल पार्टनर लिमिटेड, कनाडा;
- ङङ. पापरेसा एस. ए. (पापरेसा), स्पेन;
- चच. प्रिंट मीडिया ट्रेडिंग एफजेडई, यूएई;
- छछ. प्रिंटेक्स एसआईए, लातविया;
- जज. पीटीजी पेपर ट्रेडिंग ग्रुप एसए, स्विट्जरलैंड;
- झझ. रिजॉल्यूट एफपी यूएस इंक, कनाडा;
- ञञ. रहेन पापियर जीएमबीएच, जर्मनी
- टट. आरकेपी हांगकांग लिमिटेड, हांगकांग।
- ठठ. सैंडी लिमिटेड, हांगकांग;
- डड. स्टैडाकोना डब्ल्यूबी जनरल पार्टनर लिमिटेड, कनाडा;
- ढढ. स्टोरा एन्सो लैंजरब्रग एनवी, बेल्जियम;
- णण. स्टोरा एन्सो पेपर एबी, स्वीडन;
- तत. स्टोरा एन्सो सचसेन जीएमबीएच, जर्मनी;
- थथ. ट्रेडकॉम सर्विसेज पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर;
- दद. ट्रिगोन गल्फ एफजेडसीओ, यूएई;
- धध. यूपीएम कम्युनिकेशन पेपर्स ओवाई, फिनलैंड;
- नन. यूपीएम फ्रांस एस.ए.एस., फ्रांस;

- पप. यूपीएम जीएमबीएच, जर्मनी;
 फफ. यूपीएम सेल्स ओवाई, फिनलैंड;
 बब. यूपीएम-किन्ने (यूके) लिमिटेड;
 भभ. यूपीएम-किन्ने ऑस्ट्रिया जीएमबीएच, ऑस्ट्रिया;
 मम. वीसी पेपर रिसोर्सेज पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर;
 यय. व्हाइट बर्च मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन, यूएसए;
 ककक. व्हाइट बर्च पेपर कनाडा कंपनी एनएसयूएलसी, कनाडा;
 खखख. विलफायर्ड हेंजेल एजी, ऑस्ट्रिया

50. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन निर्धारित करने के लिए सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के उत्तरों की जांच की गई है।
51. यह नोट किया जाता है कि ट्रेडकॉम सर्विस पीटीई लिमिटेड ("ट्रेडकॉम" के रूप में उल्लिखित) ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दायर कर दिया है। ट्रेडकॉम न्यूजप्रिंट का उत्पादक नहीं है। यह सिंगापुर से न्यूजप्रिंट का निर्यातक है। भारत को ट्रेडकॉम द्वारा निर्यातित न्यूजप्रिंट किसी संबद्ध देश के मूल का नहीं है। संबद्ध सामानों के उत्पादक द्वारा कोई उत्तर दायर नहीं किया गया है। चूंकि सामान्य मूल्य निर्धारित है और उत्पाद विशिष्ट आधार पर पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की गई है, अतः प्राधिकारी यह पाते हैं कि संबंधित उत्पादक की प्रतिभागिता के अभाव में ट्रेडकॉम के लिए अलग पाटन मार्जिन की सिफारिश नहीं की जा सकती।
52. यह नोट किया जाता है कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कोंडोपोगा पल्प एंड पेपर मिल द्वारा दायर उत्तर से जांच की अवधि में न तो कोई घरेलू बिक्री है और न ही भारत को किए गए कोई निर्यात हैं। अतः प्राधिकारी यह पाते हैं कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कोंडोपोगा पल्प एंड पेपर मिल के लिए अलग से पाटन मार्जिन की सिफारिश नहीं की जा सकती।
53. चूंकि रिजॉल्यूट एफपी यूएस इंक. का उत्तर पूर्ण नहीं था, अतः प्राधिकारी यह पाते हैं कि रिजॉल्यूट एफपी यूएस इंक. के लिए अलग से पाटन मार्जिन की सिफारिश नहीं की जा सकती।

छ.3.1 सामान्य मूल्य का निर्धारण

54. व्यापार परीक्षण की साधारण प्रक्रिया के निर्धारण के लिए संबंधित उत्पाद की उत्पादन लागत की उत्पादक/निर्यातक द्वारा रखे गए रिकार्ड के संदर्भ में जांच की गई थी। इसके अतिरिक्त, यह निर्धारित करने के लिए संबद्ध सामानों की प्राधिकारी द्वारा निर्धारित उत्पादन लागत के संदर्भ में सभी घरेलू बिक्री लेन-देनों की जांच की गई थी कि क्या घरेलू बिक्री व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में थी अथवा नहीं। सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए प्राधिकारी ने संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभप्रद घरेलू बिक्री लेन-देन निर्धारित करने के लिए व्यापार परीक्षण की सामान्य प्रक्रिया की। यदि लाभप्रद लेन-देन 80 प्रतिशत से अधिक हैं तो फिर प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू बाजार में सभी लेन-देनों पर विचार किया। तथापि, जहां लाभप्रद लेन-देन 80 प्रतिशत से कम हैं, वहां सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए केवल लाभप्रद घरेलू बिक्री पर ही विचार किया गया है। तथापि, जहां कहीं सभी लेन-देन घाटा देने वाले पाए गए थे अथवा उन्होंने पर्याप्तता परीक्षण पास नहीं किए अथवा संबद्ध देश (देशों) से कोई उत्तर नहीं था, वहां सामान्य मूल्य नियमावली के अनुसार निर्मित किया गया है।

ऑस्ट्रेलिया से सभी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य

55. प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से किसी भी उत्पादक ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है। तदनुसार, प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर ऑस्ट्रेलिया के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है और वह नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

कनाडा से सहयोगी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य**(i) व्हाइट बिर्च पेपर कंपनी**

56. निर्यातक प्रश्नावली के उत्तरों में दी गई सूचना के आधार पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि व्हाइट बिर्च पेपर कंपनी ग्रुप (डब्ल्यूबीजी) संबद्ध सामानों का उत्पादक है और जांच की अवधि के दौरान असंबद्ध व्यापारियों के माध्यम से भारत को उसने संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। यह ग्रुप "व्हाइट बिर्च पेपर कंपनी" नामक ब्रांड के तहत भारत सहित घरेलू बाजार तथा निर्यात बाजारों में संबद्ध सामानों की बिक्री करता है। यह भी नोट किया जाता है कि एफएफ सॉसी डब्ल्यूबी जनरल पार्टनर्स लि. (जीपी) (उत्पादक/निर्यातक), पेपियर मसन डब्ल्यूबी जनरल पार्टनर्स लि. (उत्पादक/निर्यातक), स्टडकोना डब्ल्यूबी जनरल पार्टनर्स लि. (उत्पादक/निर्यातक), व्हाइट बिरला पेपर कनाडा कंपनी एनएसयूएलसी (विनिर्माता कंपनियों/मिलों की धारक कंपनी), बीडी व्हाइट बिर्च इन्वेस्टमेंट एलएलसी डेलावेयर, यूएसए (मैनेजमेंट कंपनी), व्हाइट बिर्च मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन, यूएसए (मैनेजमेंट कंपनी), वीसी पेपर रिसोर्सेज पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर (असंबद्ध निर्यातक) और अमीगो टेक्प्रो लिमिटेड, हांगकांग (असंबद्ध निर्यातक) ने निर्धारित प्रपत्रों में संबंधित प्रश्नावलियां दायर की हैं।
57. उत्पादक कंपनियों/मिलों के सामान्य मूल्य के भारित औसत पर डब्ल्यूबीजी के सामान्य मूल्य के रूप में विचार किया गया है। डब्ल्यूबीजी ने अंतर्देशीय भाड़ा, पैकेजिंग लागत और कारखाना के बाद के व्यय के रूप में भंडारण का दावा किया है और प्राधिकारी ने उसे स्वीकार किया है। उपर्युक्तानुसार निर्धारित सामान्य मूल्य पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

(ii) कूगर ग्रुप

58. कूगर ट्रॉडस-रिविएरेस एल.पी., कूगर ब्रॉम्पटन एल.पी. और कॉर्नर ब्रुक पल्सर एंड पेपर लिमिटेड ने प्रश्नावली के उत्तर दायर किए। जांच की अवधि के दौरान कू कूगर ब्रॉम्पटन एल.पी. ने भारत में संबद्ध सामानों का निर्यात नहीं किया। इन उत्पादकों/निर्यातकों ने बिक्री के बाद के व्यय के निमित्त समायोजनों का दावा किया है जिनकी प्राधिकारी ने अनुमति दी है। तदनुसार, कूगर ग्रुप के लिए निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

कनाडा से असहयोगी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य

59. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कनाडा से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है और वह नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

यूरोपीय संघ से सहयोगी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य**(i) स्टोरा एन्सो ग्रुप**

60. जांच की अवधि के दौरान तीन कानूनी कंपनियां अर्थात् स्टोरा एन्सो पेपर एबी, स्टोरा एन्सो लैंजरब्रग एनबी और स्टोरा एन्सो सचसेन जीएमबीएच (जिसके इसके बाद सामूहिक रूप से "स्टोरा एन्सो" कहा गया है), जो स्टोरा एन्सो ग्रुप का भाग हैं, विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में लगी हुई थीं। इन तीन कंपनियों ने घरेलू बाजार में सीधे ही विचाराधीन उत्पाद बेचा है। स्टोरा एन्सो ने अंतर्देशीय भाड़ा, बीमा, निकासी/ऋण नोट, सार-संभाल प्रभार, भंडारण, ऋण लागत, कमीशन और अन्य खर्चों के निमित्त समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने सभी समायोजनों को स्वीकार किया है। तीनों कंपनियों के लिए कारखानागत स्तर पर सामान्य मूल्य तदनुसार निर्धारित किया गया है और वह नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

(ii) यूपीएम ग्रुप

61. जांच की अवधि के दौरान निम्नलिखित सात (7) कानूनी कंपनियां, जो यूपीएम ग्रुप का भाग हैं, विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में लगी हुई थीं:

क. यूपीएम-किस्ने (यूके) लिमिटेड, यूनाइटेड किंगडम

ख. रीन पेपियर जीएमबीएच, जर्मनी

- ग. यूपीएम कम्युनिकेशन पेपर्स ओवाई, फिनलैंड
- घ. यूपीएम फ्रांस एस.ए.एस., फ्रांस
- ङ. यूपीएम जीएमबीएच, जर्मनी
- च. गेब्रडर लैंग जीएमबीएच पापियरफैब्रिक, जर्मनी
- छ. यूपीएम-किन्ने ऑस्ट्रिया जीएमबीएच, ऑस्ट्रिया

62. यूपीएम-किन्ने कारपोरेशन अंततः उपर्युक्त यूपीएम उत्पादक कंपनियों पर नियंत्रण करता है। यूपीएम-किन्ने कारपोरेशन का यूपीएम सेल्स ओवाई, फिनलैंड पर भी नियंत्रण है जो उपर्युक्त उत्पादक कंपनियों की बिक्री कंपनी है। उपर्युक्त सभी यूपीएम कंपनियां इसके बाद "यूएमपी" के रूप में उल्लिखित हैं। उपर्युक्त सातों यूपीएम उत्पादक कंपनियां यूपीएम सेल्स ओवाई के माध्यम से घरेलू बाजार में उत्पादों की बिक्री करती हैं। यूपीएम सेल्स ओवाई फिर स्वतंत्र कंपनियों को संबंधित उत्पाद की बिक्री करती हैं। यूपीएम ने साख-पत्रों, अंतर्देशीय भाड़ा, बैंक प्रभार, ऋण लागत, कमीशन और अन्य खर्चों के निमित्त समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने सभी समायोजनों को स्वीकार किया है। यूपीएम कंपनियों के लिए कारखानागत स्तर पर सामान्य मूल्य तदनुसार निर्धारित किया गया है और वह नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

(iii) होलमन पेपर एबी

63. जांच की अवधि के दौरान होलमन पेपर एबी विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में लगी हुई थी। होलमन पेपर एबी ने घरेलू बाजार में सीधे ही विचाराधीन उत्पाद की बिक्री की है। होलमन पेपर एबी ने अंतर्देशीय भाड़ा, ऋण लागत और अन्य खर्चों के निमित्त समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने सभी समायोजनों को स्वीकार किया है। होलमन पेपर एबी के लिए कारखानागत स्तर पर सामान्य मूल्य तदनुसार निर्धारित किया गया है और वह नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

(iv) पपरेसा एस.ए.

64. जांच की अवधि के दौरान पपरेसा एस.ए. विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में लगी हुई थी और उसने घरेलू बाजार में सीधे ही विचाराधीन उत्पाद की बिक्री की। पपरेसा एस.ए. ने छूट तथा अंतर्देशीय परिवहन के निमित्त समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने सभी समायोजनों को स्वीकार किया है। पपरेसा एस.ए. के लिए कारखानागत स्तर पर सामान्य मूल्य तदनुसार निर्धारित किया गया है और वह नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

यूरोपीय संघ से असहयोगी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य

65. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यूरोपीय संघ से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है और वह नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

रूस से सहयोगी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य

(i) मौंडी ग्रुप

66. जांच की अवधि के दौरान मौंडी साइक्लिकल जेएससी विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में लगी हुई थी और उसने घरेलू बाजार में सीधे ही विचाराधीन उत्पाद की बिक्री भी की। मौंडी साइक्लिकल जेएससी ने अंतर्देशीय भाड़ा, एलसी छूट प्रभारों, ऋण लागत, कमीशन और अन्य खर्चों के निमित्त समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने सभी समायोजनों को स्वीकार किया है। मौंडी साइक्लिकल जेएससी के लिए कारखानागत स्तर पर सामान्य मूल्य तदनुसार निर्धारित किया गया है और वह नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

(ii) ज्वाइंट स्टॉक कंपनी "सोलीकम्स्कबमप्रोम"

67. जांच की अवधि के दौरान ज्वाइंट स्टॉक कंपनी "सोलीकम्स्कबमप्रोम" (जिसे यहां आगे "सोलीकम" भी कहा गया है) रूसी कंपनी कानूनों के तहत पंजीकृत एवं विद्यमान एक सार्वजनिक संयुक्त स्टॉक कंपनी है। उत्तर से यह नोट

किया जाता है कि सोलीकम ने घरेलू बाजार में असंबद्ध ग्राहकों को संबद्ध सामानों की सीधे ही बिक्री की है। यह भी नोट किया जाता है कि सोलीकम ने विभिन्न असंबद्ध निर्यातकों के माध्यम से भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। कंपनी और संबंधित निर्यातकों ने भी अपेक्षित सूचना देते हुए निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं।

68. सोलीकम अपने असंबद्ध निर्यातक इंकोर जीएमबीएच, ऑस्ट्रिया, जैकब जुर्गेसन पापियर अंडर जेलस्टॉफ जीएमबीएच (जैकब), जर्मनी एंड गो पेपर जीएमबीएच एंड कंपनी (गो पेपर), जर्मनी को विचाराधीन उत्पाद बेचता है। जैकब एंड गो पेपर संबद्ध कंपनियां हैं जो आगे विचाराधीन उत्पाद भारत में असंबद्ध कंपनियों को बेचती हैं। इंकोर जीएमबीएच भारत को सीधे ही और अपने असंबद्ध निर्यातकों इंडो ग्लोबल कमर्शियल (एफजेडई), यूआई, सैंडी लिमिटेड, हांगकांग और एफआईएस ट्रेडिंग जीएमबीएच, जर्मनी के माध्यम से विचाराधीन उत्पाद बेचता है। इंडो ग्लोबल कमर्शियल (एफजेडई), यूआई भारत में असंबद्ध ग्राहकों को विचाराधीन उत्पाद बेचता है। सैंडी लिमिटेड अपने असंबद्ध निर्यातक अर्थात् एफआईएस ट्रेडिंग जीएमबीएच, जर्मनी को निर्यात करता है। कुछ अल्प मात्राएं भी हॉरिजन फोकस लिमिटेड और आरकेपी हांगकांग लिमिटेड के माध्यम से निर्यात की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, सैंडी लिमिटेड भारत में अपने असंबद्ध ग्राहकों को और अपने संबद्ध आयातक पोद्दार ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड को सीधे ही बिक्री भी करता है जो आगे भारतीय बाजारों में विचाराधीन उत्पाद बेचते हैं।
69. सोलीकम ने अंतर्देशीय परिवहन और ऋण लागत के निमित्त समायोजनों का दावा किया है जिसकी प्राधिकारी ने अनुमति दी है। तदनुसार, सोलीकम के लिए निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

(iii) **करजला पल्प एलएलसी**

70. जांच की अवधि के दौरान करजला पल्प एलएलसी विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में लगी हुई थी और उसने घरेलू बाजार में सीधे ही विचाराधीन उत्पाद की बिक्री भी की। करजला पल्प एलएलसी ने भारत को सीधे ही अथवा गो पेपर पीटीई लिमिटेड, प्रिंस्टेक्स एसआईए, सैंडी लिमिटेड, ट्रिग्रन गल्फ एफजेडएक्सओ, विम्पेक्स हैंडलसगेसलचैफ्ट एमबीएच और पश्चिम एशिया नेटवर्क डीएमसीसी के माध्यम से निर्यात किया है। संबंधित असंबद्ध व्यापारियों ने प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं। करजला पल्प एलएलसी चेस ने अंतर्देशीय भाड़ा और ऋण लागत के निमित्त समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने सभी समायोजनों को स्वीकार किया है। करजला पल्प एलएलसी चेस के लिए कारखानागत स्तर पर सामान्य मूल्य तदनुसार निर्धारित किया गया है और वह नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

(iv) **ज्वाइंट स्टॉक कंपनी वोल्गा**

71. जांच की अवधि के दौरान ज्वाइंट स्टॉक कंपनी वोल्गा विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में लगी हुई थी और उसने घरेलू बाजार में सीधे ही विचाराधीन उत्पाद की बिक्री भी की। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी वोल्गा ने भारत को पीटीजी, पेपर ट्रेडिंग ग्रुप एस.ए., इंडो ग्लोबल कामर्शियल्स प्राइवेट लिमिटेड, सैंडी लिमिटेड, टीएच. ब्रूनियस, कोरब इंटरनेशनल एबी, एनआरएस इंटरनेशनल पीवीटी लिमिटेड, वेस्ट एशिया नेटवर्क डीएमसीसी, पीजी पेपर कंपनी लिमिटेड और पापटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से निर्यात किया है। संबंधित निर्यातकों ने प्रश्नावली के उत्तर दायर कर दिए हैं। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी वोल्गा ने अंतर्देशीय भाड़ा और ऋण लागत के निमित्त समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने सभी समायोजनों को स्वीकार किया है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी वोल्गा के लिए कारखानागत स्तर पर सामान्य मूल्य तदनुसार निर्धारित किया गया है और वह नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

रूस से असहयोगी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य

72. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर रूस से असहयोगी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है और वह नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

सिंगापुर से सभी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य

73. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सिंगापुर से किसी भी उत्पादक ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है। यद्यपि ट्रेडकॉम ने वर्तमान जांच में भाग लिया, तथापि वह इस उत्पाद का उत्पादन नहीं कर रही है और इसलिए उसके लिए कोई सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता। तदनुसार, प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सिंगापुर के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है और वह नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से सभी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य

74. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संयुक्त अरब अमीरात से किसी भी उत्पादक ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है। तदनुसार, प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर संयुक्त अरब अमीरात के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है और वह नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

छ.3.2 निर्यात कीमत का निर्धारण**ऑस्ट्रेलिया से सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत**

75. प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दायर नहीं किए हैं। ऑस्ट्रेलिया के उत्पादकों/निर्यातकों से असहयोग के मद्देनजर, ऑस्ट्रेलिया से संबद्ध सामानों के लिए निर्यात कीमत डीजीसीआईएंडएस के लेन-देन वार आयात आंकड़ों के आधार पर परिकलित की गई है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतर्देशीय भाड़ा व्यय, पत्तन व्यय और बैंक प्रभारों के निमित्त समायोजन किए गए हैं। निर्धारित निर्यात कीमत नीचे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शायी गयी है।

कनाडा से सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत**(i) व्हाइट बिर्च पेपर कंपनी**

76. निर्यातक प्रश्नावली उत्तरों में दी गई सूचना के आधार पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि डब्ल्यूबीजी संबद्ध सामानों का एक उत्पादक है और उसने असंबद्ध व्यापारियों के माध्यम से जांच की अवधि के दौरान भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। जांच की अवधि के दौरान डब्ल्यूबीजी ने असंबद्ध व्यापारियों के माध्यम से असंबद्ध भारतीय ग्राहकों को निर्यात किया।
77. कारखानागत निर्यात कीमत निकालने के लिए, प्राधिकारी ने भारत में पूरी निर्यात श्रृंखला में उत्पादक तथा सभी निर्यातक कंपनियों द्वारा किए गए खर्चों पर विचार किया है। तदनुसार, छूट एवं कमीशन, बिक्री के बाद समायोजनों, बैंक प्रभारों, दस्तावेजीकरण प्रभारों, समुद्री भाड़ा, अंतर्देशीय परिवहन, पैकिंग, भंडारण और व्यापारियों के लाभ तथा बिक्री खर्चों के निमित्त समायोजन बीजक कीमत से समायोजित कर किए गए हैं। उत्पादक कंपनियों की भारित औसत निर्यात कीमत डब्ल्यूबीजी की निर्यात कीमत के रूप में मानी गई है। तदनुसार, कारखानागत निर्यात कीमत परिकलित की गई है और पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

(ii) क्रूगर ग्रुप

78. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्रूगर ट्रॉइज-रिवर्सेस एल.पी. एंड कॉर्नर ब्रुक पल्प एंड पेपर लि. ने भारत में असंबद्ध ग्राहकों को संबद्ध सामानों का निर्यात किया। इस ग्रुप ने समुद्री भाड़ा, बीमा, ऋण लागत, कमीशन और बिक्री के बाद के अन्य खर्चों के निमित्त समायोजनों का दावा किया है। इस प्रकार निर्धारित कारखानागत निर्यात कीमत नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाई गई है।

कनाडा से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

79. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कनाडा से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों की निर्यात कीमत निर्धारित की है और वह नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शायी गयी है।

यूरोपीय संघ से सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

(i) स्टोरा एन्सो ग्रुप

80. स्टोरा एन्सो की तीन कानूनी कंपनियों अर्थात् स्टोरा एन्सो पेपर एबी, स्टोरा एन्सो लैंजरब्रग एनवी और स्टोरा एन्सो सचसेन जीएमबीएच ने अपनी प्रश्नावली के उत्तर दायर कर दिए हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि स्टोरा एन्सो पेपर एबी और स्टोरा एन्सो लैंजरब्रग एनवी ने जांच की अवधि के दौरान भारतीय ग्राहकों को सीधे ही निर्यात किया है। इन उत्पादकों द्वारा सूचित मात्रा को प्राधिकारी द्वारा पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए स्टोरा एन्सो द्वारा भारत को निर्यातों के रूप में अपनाया गया है। प्राधिकारी ने उत्पादक के लिए निर्यात कीमत का परिकलन करते समय स्टोरा एन्सो पेपर एबी और स्टोरा एन्सो लैंजरब्रग एनवी के आंकड़ों, जो भारत को भेजे गए, पर विचार किया है जिसके लिए उत्तरों की पूरी श्रृंखला प्राधिकारी को प्रस्तुत कर दी गई है। स्टोरा एन्सो ने पोत परिवहन लागत, अंतर्देशीय भाड़ा, कमीशन, भंडारण और ऋण लागत के निमित्त समायोजनों का दावा किया है और उसकी अनुमति दी गई है। तदनुसार, स्टोरा एन्सो के लिए निर्यात कीमत निर्यातों की भारित औसत निर्यात कीमत के आधार पर निर्धारित की गई है जिसके लिए भारत को निर्यातों के लिए श्रृंखला में पूरी सूचना दी गई है।

(ii) यूपीएम ग्रुप

81. यूपीएम की उत्पादक कंपनियों ने निर्यातकों/व्यापारियों यूपीएम सेल्स ओवाई और प्रिंट मीडिया ट्रेडिंग एफजेडई, दुबई, यूई सहित अपने प्रश्नावली के उत्तर दायर कर दिए हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि केवल निम्नलिखित यूपीएम उत्पादक कंपनियों अर्थात् यूपीएम-किस्ने (यूके) लिमिटेड (यूनाइटेड किंगडम), रीन पेपियर जीएमबीएच (जर्मनी), यूपीएम कम्युनिकेशन पेपर्स ओवाई (फिनलैंड), यूपीएम फ्रांस एस.ए.एस. (फ्रांस) और यूपीएम जीएमबीएच (जर्मनी) ने अपनी संबद्ध कंपनी यूपीएम सेल्स ओवाई के माध्यम से जांच की अवधि के दौरान भारतीय ग्राहकों को निर्यात किया है जिन्होंने विचाराधीन उत्पाद भारत में गैर अनुबंधित ग्राहकों को तथा दुबई में एक व्यापारी अर्थात् प्रिंट मीडिया ट्रेडिंग एफजेडई, दुबई, यूई के माध्यम से बेचा। इन उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा सूचित मात्रा को प्राधिकारी द्वारा पाटन और क्षति मार्जिन निर्धारित करने के लिए यूपीएम ग्रुप द्वारा भारत को निर्यातों के रूप में अपनाया गया है। प्राधिकारी ने उत्पादक के लिए निर्यात कीमत का परिकलन करते समय भारत को भेजी गई उत्पादक कंपनियों के आंकड़ों पर विचार किया है जिसके लिए उत्तरों की पूरी श्रृंखला प्राधिकारी को प्रस्तुत कर दी गई है। यूपीएम ग्रुप ने पोत परिवहन लागत, साख-पत्र, कमीशन, ऋण लागत और बैंक प्रभारों के निमित्त समायोजनों का दावा किया है और उनकी अनुमति दी गई है। तदनुसार, यूपीएम के लिए निर्यात कीमत निर्यातों की भारित औसत निर्यात कीमत के आधार पर निर्धारित की गई है जिसके लिए भारत को निर्यातों के लिए श्रृंखला में पूर्ण सूचना दी गई है।

(iii) होलमन पेपर एबी

82. होलमन पेपर एबी ने अपने दो स्वतंत्र व्यापारियों सैंडी लिमिटेड और जे. अनगरथ एबी के साथ अपने प्रश्नावली के उत्तर दायर कर दिए हैं। सैंडी लिमिटेड ने पोद्दार ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से तथा भारत में सीधे ही भारत को विचाराधीन उत्पाद बेचा है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि होलमन पेपर एबी ने उपर्युक्त दो व्यापारियों के माध्यम से जांच की अवधि के दौरान भारतीय ग्राहकों को निर्यात किया है। इन उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा सूचित मात्रा को प्राधिकारी द्वारा पाटन मार्जिन निर्धारित करने के लिए होलमन पेपर एबी द्वारा भारत को निर्यातों के रूप में अपनाया गया है। प्राधिकारी ने उत्पादक होलमन पेपर एबी द्वारा भारत को भेजे गए उत्पादक होलमन पेपर एबी के आंकड़ों पर विचार किया है। प्राधिकारी ने उत्पादक के लिए निर्यात कीमत का परिकलन करते समय होलमन पेपर एबी द्वारा भारत को भेजे गए उत्पादक होलमन पेपर एबी के आंकड़ों पर विचार किया है जिसके लिए उत्तरों की पूरी श्रृंखला प्राधिकारी को प्रस्तुत कर दी गई है। पोत परिवहन लागत और ऋण लागत, कमीशन, एलसी छूट प्रभार, बैंक प्रभार, बीमा, अंतर्देशीय भाड़ा, पैकिंग लागत, पत्तन एवं अन्य संबंधित खर्चों के निमित्त समायोजनों का दावा किया गया है और उसकी अनुमति दी गई है। तदनुसार, होलमन पेपर एबी के लिए निर्यात कीमत निर्यातों की भारित औसत निर्यात कीमत के आधार पर निर्धारित की गई है जिसके लिए भारत को निर्यातों के लिए श्रृंखला में पूर्ण सूचना दी गई है।

(iv) पपरेसा एस.ए.

83. जांच की अवधि के दौरान, पपरेसा एस.ए. ने असंबद्ध व्यापारियों अर्थात् सेंट्रल नेशनल गोट्समैन यूरोप और इंटरनेशनल फाइबर रिसोर्सेस पीटीई लिमिटेड के माध्यम से भारत को निर्यात किया है। सेंट्रल नेशनल गोट्समैन यूरोप ने उत्तर दायर कर दिए हैं। इन उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा सूचित मात्रा को प्राधिकारी द्वारा पाटन एवं क्षति मार्जिन निर्धारित करने के लिए पपरेसा एस.ए. द्वारा भारत को निर्यातों के रूप में अपनाया गया है। प्राधिकारी ने उत्पादक उत्पादक के लिए निर्यात कीमत का परिकलन करते समय भारत को भेजे गए उत्पादक कंपनियों के आंकड़ों पर विचार किया है जिसके लिए उत्तरों की पूरी श्रृंखला प्राधिकारी को प्रस्तुत कर दी गई है। पपरेसा एस.ए. ने अंतर्देशीय परिवहन और पैकिंग लागत के निमित्त समायोजनों का दावा किया है और उसकी अनुमति दी गई है। तदनुसार, पपरेसा एस.ए. के लिए निर्यात कीमत निर्यातों की भारित औसत निर्यात कीमत के आधार पर निर्धारित की गई है जिसके लिए भारत को निर्यातों के लिए श्रृंखला में पूर्ण सूचना दी गई है।

यूरोपीय संघ से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

84. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यूरोपीय संघ से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों की निर्यात कीमत निर्धारित की है और वह नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शायी गयी है।

रूस से सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत**(i) मौंडी ग्रुप**

85. मौंडी साइक्लिकल जेएससी ने अपने व्यापारी मौंडी पेपर सेल्स जीएमबीएच और नेपको गल्फ कमोडिटीज डीएमसीसी, दुबई सहित अपने प्रश्नावली के उत्तर दायर कर दिए हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि मौंडी साइक्लिकल जेएससी ने अपने व्यापारी मौंडी पेपर सेल्स जीएमबीएच के माध्यम से जांच की अवधि के दौरान भारतीय ग्राहकों को निर्यात किया है जिसने नेपको गल्फ कमोडिटीज डीएमसीसी, दुबई के माध्यम से भारत को बिक्री की। इन उत्पादकों और व्यापारियों द्वारा सूचित मात्रा को प्राधिकारी द्वारा पाटन मार्जिन निर्धारित करने के लिए मौंडी साइक्लिकल जेएससी द्वारा भारत को निर्यातों के रूप में अपनाया गया है। प्राधिकारी ने उत्पादक के लिए निर्यात कीमत का परिकलन करते समय मौंडी साइक्लिकल जेएससी द्वारा भारत को भेजे गए उत्पादक मौंडी साइक्लिकल जेएससी के आंकड़ों पर विचार किया है जिसके लिए उत्तरों की पूरी श्रृंखला प्राधिकारी को प्रस्तुत कर दी गई है। मौंडी साइक्लिकल जेएससी ने पोत परिवहन, ऋण लागत, बैंक प्रभार और साख-पत्र के निमित्त समायोजनों का दावा किया है और उसकी अनुमति दी गई है। तदनुसार, मौंडी साइक्लिकल जेएससी के लिए निर्यात कीमत निर्यातों की भारित औसत निर्यात कीमत के आधार पर निर्धारित की गई है जिसके लिए भारत को निर्यातों के लिए श्रृंखला में पूर्ण सूचना दी गई है।

(ii) ज्वाइंट स्टॉक कंपनी "सोलीकम्सकबमप्रोम"

86. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सोलीकम ने विभिन्न असंबद्ध निर्यातकों के माध्यम से भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। इन निर्यातकों ने भी अपेक्षित सूचना देते हुए निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं। एक असंबद्ध व्यापारी अर्थात् सैंडी लिमिटेड, हांगकांग ने भी अपने संबद्ध भारतीय आयातक पोद्दार ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड को निर्यात किए हैं। संबद्ध भारतीय आयातक द्वारा दायर उत्तर से यह नोट किया जाता है कि उसने जांच की अवधि के दौरान आयातित संबद्ध सामानों की पुनः बिक्री पर पर्याप्त लाभ अर्जित किया है। कंपनी ने समुद्री भाड़ा, अंतर्देशीय परिवहन, ऋण लागत और कमीशन के निमित्त समायोजनों का दावा किया है और प्राधिकारी द्वारा उनकी अनुमति दी गई है। इस प्रकार निर्धारित कारखानागत निर्यात कीमत नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाई गई है।

(iii) करजला पल्प एलएलसी

87. प्राधिकारी नोट करते हैं कि करजला पल्प एलएलसी ने भारत को सीधे ही अथवा गो पेपर पीटीई लिमिटेड, प्रिंसेटक्स एसआईए, सैंडी लिमिटेड, ट्रिग्रन गल्फ एफजेडएक्सओ, विम्पेक्स हैंड्सलेजलस्चैफ्ट एमबीएच और वेस्ट एशिया नेटवर्क डीएमसीसी के माध्यम से निर्यात किए हैं। कंपनी ने समुद्री भाड़ा, अंतर्देशीय परिवहन, ऋण लागत

और कमीशन के निमित्त समायोजनों का दावा किया है और प्राधिकारी द्वारा उनकी अनुमति दी गई है। इस प्रकार निर्धारित कारखानागत निर्यात कीमत नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाई गई है।

(iv) **ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बोल्गा**

88. ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बोल्गा ने भारत को पीटीजी, पेपर ट्रेडिंग ग्रुप एस.ए., इंडो ग्लोबल कामर्शियल्स प्राइवेट लिमिटेड, सैंडी लिमिटेड, टीएच. ब्रूनियस, कोरब इंटरनेशनल एबी, एनआरएस इंटरनेशनल पीवीटी लिमिटेड, वेस्ट एशिया नेटवर्क डीएमसीसी, पीजी पेपर कंपनी लिमिटेड और पापटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से निर्यात किया है। कंपनी ने समुद्री भाड़ा, ऋण लागत और पैकिंग लागत के निमित्त समायोजनों का दावा किया है और प्राधिकारी द्वारा उनकी अनुमति दी गई है। इस प्रकार निर्धारित कारखानागत निर्यात कीमत नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाई गई है।

रूस से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

89. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर रूस से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों की निर्यात कीमत निर्धारित की है और वह नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाई गयी है।

सिंगापुर से सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

90. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सिंगापुर से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। सिंगापुर के उत्पादकों/निर्यातकों से असहयोग के मद्देनजर, सिंगापुर से संबद्ध सामानों के लिए निर्यात कीमत डीजीसीआईएंडएस के लेन-देन वार आयात आंकड़ों के आधार पर परिकलित की गई है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतर्देशीय भाड़ा व्यय, पत्तन व्यय और बैंक प्रभारों के निमित्त समायोजन किए गए हैं। इस प्रकार निर्धारित निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

संयुक्त अरब अमीरात से सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

91. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संयुक्त अरब अमीरात से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली दायर नहीं की है। संयुक्त अरब अमीरात के उत्पादकों/निर्यातकों से असहयोग के मद्देनजर, संयुक्त अरब अमीरात से संबद्ध सामानों के लिए निर्यात कीमत डीजीसीआईएंडएस के लेन-देन वार आयात आंकड़ों के आधार पर परिकलित की गई है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतर्देशीय भाड़ा व्यय, पत्तन व्यय और बैंक प्रभारों के निमित्त समायोजन किए गए हैं। इस प्रकार निर्धारित निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

छ.3 पाटन मार्जिन

92. ऊपर निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के आधार पर संबद्ध देशों से उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्राधिकारी द्वारा पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है और वह निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

देश	उत्पादक	सामान्य मूल्य (अमे. डॉ./मी. टन)	निर्यात कीमत (अमे. डॉ./मी. टन)	पाटन मार्जिन (अमे. डॉ./मी. टन)	पाटन मार्जिन (%)	पाटन मार्जिन रेंज (%)
ऑस्ट्रेलिया	सभी	***	***	***	***	10-20%
कनाडा	व्हाइट बिर्च पेपर कंपनी	***	***	***	***	40-50%
	क्रैगर ग्रुप	***	***	***	***	20-30%
	अन्य सभी	***	***	***	***	50-60%
यूरोपीय संघ	होलमैन पेपर एबी	***	***	***	***	10-20%
	स्टोरा एन्सो ग्रुप	***	***	***	***	10-20%
	यूपीएम ग्रुप	***	***	***	***	30-40%

	पपरेसा एस.ए.	***	***	***	***	60-70%
	अन्य सभी	***	***	***	***	65-75%
रूस	करजाला पल्प एलएलसी	***	***	***	***	10-20%
	मौंडा साइक्लिकर जेएससी	***	***	***	***	20-30%
	जेएससी सोलीकम्सकबमप्रोम	***	***	***	***	20-30%
	ज्वाइंट स्टॉक कंपनी वोल्गा	***	***	***	***	10-20%
	अन्य सभी	***	***	***	***	30-40%
सिंगापुर	सभी	***	***	***	***	10-20%
यूएई	सभी	***	***	***	***	10-20%

93. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों के लिए पाटन मार्जिन नियमावली के तहत निर्धारित न्यूनतम सीमाओं से अधिक हैं और काफी हैं।

ज. क्षति का मूल्यांकन और कारणात्मक संपर्क

ज.1 घरेलू उद्योग के अनुरोध

94. क्षति एवं कारणात्मक संपर्क के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- (i) मांग में गिरावट के बावजूद, आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है।
- (ii) न्यूजप्रिंट उद्योग के ग्राहक आयात कीमत के आधार पर कीमत निर्धारित करते हैं। यद्यपि कीमतें भारित आधार पर दर्शाई जाती हैं, तथापि खपत लंबाई और चौड़ाई के आधार पर होती है। चूंकि भिन्न-भिन्न जीएसएम के उत्पाद का भिन्न-भिन्न एसक्यूएम प्रति ग्राम होता है। अतः भार के आधार पर कीमत कटौती भ्रामक हो सकती है।
- (iii) संबद्ध आयातों की कीमत बिक्री लागत तथा क्षति रहित कीमत से कम है और घरेलू उद्योग की कीमतों पर न्यूनीकरण प्रभाव है।
- (iv) घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग में गिरावट आई है, जबकि मालसूची में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा 2018-19 तक बढ़ा और फिर उसमें गिरावट आई।
- (v) घरेलू उद्योग को हानियां हुई हैं जो 2016-17 से तुलना करने पर दोगुने से अधिक हैं और वह सावधि जमा पर बैंक ब्याज से कम आय अर्जित कर रहा है। नकद लाभ में भी गिरावट आई है।
- (vi) घरेलू उद्योग में क्षति की अवधि में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की है।
- (vii) जांच की अवधि के बाद (अप्रैल-जून, 2020) घरेलू उद्योग को भारी क्षति हुई है जो निम्नलिखित से सिद्ध है:

क. आयात कीमत में और गिरावट आई है और मात्रा में वृद्धि हुई है।

ख. बिक्री, उत्पादन और क्षमता उपयोग में गिरावट आई है।

ग. घरेलू उद्योग अन्य उत्पादों के उत्पादन के लिए संयंत्र का प्रयोग करने के लिए विवश था।

घ. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है और संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है।

ड. संबद्ध आयातों का घरेलू उद्योग की कीमतों पर न्यूनीकरण/हासमान प्रभाव रहा है।

- च. घरेलू उद्योग को हुई हानियां जांच की अवधि में हुई हानियों से आठ गुना अधिक और 2016-17 में हुई हानियों से 18 गुना अधिक हैं।
- छ. घरेलू उद्योग को नकद हानियां हुई हैं और निवेश पर नकारात्मक आय दर्ज हुई है।
- (viii) घरेलू उद्योग को क्षति मांग में गिरावट के कारण नहीं है जो कि इस तथ्य से सिद्ध है कि मांग में गिरावट आई, परंतु आयात बढ़े। घरेलू और विदेशी उत्पादकों पर समान प्रभाव होना चाहिए था। भारतीय उद्योग की क्षमता की तुलना में देश में पर्याप्त मांग है।
- (ix) अन्य देशों से आयात, खपत के पैटर्न में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां, प्रौद्योगिकी में विकास, अन्य उत्पादों का निष्पादन, उत्पादकता और निर्यात निष्पादन जैसे अन्य किसी ज्ञात कारक से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।
- (x) पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क है।
- (xi) घरेलू उद्योग की सह-संबंधी कीमत कटौती और लाभप्रदता उपयुक्त नहीं है क्योंकि कीमतें पाटित आयातों के कारण न्यूनीकृत हुई हैं।
- (xii) मांग में गिरावट से क्षति नहीं हुई है क्योंकि गिरती हुई मांग के बावजूद आयातों में वृद्धि हुई है और वे घरेलू उद्योग की लागत से कम कीमत पर बाजार में आए हैं।
- (xiii) एनपीयूसी के उत्पादन में वृद्धि और न्यूजप्रिंट के उत्पादन में गिरावट पाटन और क्षति का परिणाम हैं। कई मिलें बंद हो गई हैं अथवा दूसरे उत्पादों में चली गई हैं क्योंकि वे अपने उत्पाद नहीं बेच पा रही हैं।
- (xiv) इस तर्क का उत्तर देते हुए कि श्रीराम ने उल्लेख किया है कि वाटर पेपर के उपयोग से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है, यह अनुरोध है कि 2016-17 और जांच की अवधि के बीच वाटर पेपर की कीमतों में गिरावट आई है, परंतु हानियों में वृद्धि हुई है।
- (xv) प्राधिकारी के लिए यह अपेक्षित नहीं है कि वे घरेलू उद्योग में अंतर्निहित विशेषताओं के साथ गैर-आरोपण विश्लेषण करें और घरेलू उद्योग को क्षति को देखी जानी है क्योंकि वह विद्यमान है।
- (xvi) श्रीराम न्यूजप्रिंट में 2018-19 में आग लगी थी और वह जांच की अवधि से पहले की घटना है तथा कंपनी ने उस वर्ष में लाभ अर्जित किया।
- (xvii) आवेदक ने 2018-19 को क्षति विश्लेषण से अलग किए जाने के लिए कभी सहमति नहीं दी और केवल यह अनुरोध किया कि यदि 2018-19 पर ध्यान न दिया जाए और 2016-17 से तुलना की जाए तो घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।
- (xviii) हितबद्ध पक्षकारों के दावों के विपरीत, क्षति बढ़ती हुई वित्तीय लागत के कारण नहीं है क्योंकि ब्याज पूर्व लाभ में भी गिरावट आई है।
- (xix) घरेलू उत्पादकों की वार्षिक रिपोर्टों में पाटन संबंधी विवरण की ग्राहकों द्वारा अनदेखी की गई है।
- (xx) घरेलू उत्पादक न्यूजप्रिंट का उत्पादन बंद करने के लिए और न्यूजप्रिंट में निरंतर हानियों के कारण अन्य उत्पादों में जाने के लिए मजबूर थे।
- (xxi) अलग देश से आयातों की मात्रा और उनकी कीमत संगत नहीं है क्योंकि उत्तरदाताओं ने यह नहीं दर्शाया है कि क्षति का संचयी विश्लेषण उपयुक्त नहीं है।
- (xxii) हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड और मैसूर पेपर मिल्स की कार्यशील पूंजी का अभाव बाजार में प्रतिकूल प्रतिस्पर्धा का परिणाम है। सीपीसीबी द्वारा बंदी का आदेश बाद में हटा दिया गया था।
- (xxiii) इमामी पेपर मिल्स के उसकी वार्षिक रिपोर्ट में संतोषजनक निष्पादन के संबंध में विवरण, जिस पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विश्वास किया गया है, समग्र रूप से कंपनी से संबंधित हैं न कि न्यूजप्रिंट के लिए।
- (xxiv) श्रीराम न्यूजप्रिंट की पीएमआई की बंदी जनवरी, 2020 में हुई न कि जांच की अवधि में। उत्पादन पाटन के कारण आदेशों के अभाव के कारण कम था, जैसा कि वार्षिक रिपोर्ट में स्वीकार किया गया है।

- (xxv) पूर्व वर्ष से तुलना करने पर समग्र सीमा शुल्क में वृद्धि हुई है न कि गिरावट आई है। यदि पाटन पर नियंत्रण न किया जाए तो घरेलू उद्योग को अपना उद्योग बंद करना होगा और ऐसी स्थिति में निर्यातकों के भारत में उच्चतर कीमतों पर बिक्री करने की संभावना है जो ग्राहकों के हित के विरुद्ध होगा।
- (xxvi) आयातों की सीआईएफ कीमत 2016-17 और 2017-18 में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम थी। यहां तक कि यद्यपि कीमत में वृद्धि हुई है, तथापि वह घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से अब भी कम है।
- (xxvii) उत्पादक गिरते हुए उत्पादन के कारण कर्मचारियों को निकालने के लिए मजबूर थे।
- (xxviii) विस्तार परियोजना/परियोजना को छोड़ने से संबंधित किसी भी लागत को विचाराधीन उत्पाद की लागत, राजस्व और लाभप्रदता निर्धारित करने में शामिल नहीं किया गया है और हुई हानि इन खर्चों के कारण नहीं है।
- (xxix) खन्ना पेपर मिल्स को 2012 और 2015 में आग से क्षति हुई जो जांच की अवधि से पूर्व की घटना है और इस प्रकार संगत नहीं है।
- (xxx) उत्पादक द्वारा दावा की गई क्षति रहित कीमत उनके वास्तविक आंकड़ों के आधार पर है और परस्पर तुलना उपयुक्त नहीं है।
- (xxxi) इंडियन स्पिनर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में जिस पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने विश्वास किया है, पक्षकारों ने साक्ष्य दिया था कि घरेलू उद्योग ने ऐतिहासिक रूप से कम आय दर दर्ज की। उस आधार पर यह तर्क दिया गया था कि क्षति रहित कीमत निर्धारित करने में 22 प्रतिशत आय सही नहीं है। इसके विरुद्ध अधिकरण ने नैमित्तिक रूप से माना कि 22 प्रतिशत आय को एक उपयुक्त आय माना जाना चाहिए।
- (xxxii) क्षमता विस्तार का निर्णय उस समय लिया गया था जब उद्योग लाभप्रद स्थिति में था।
- (xxxiii) इमामी मिल्स लिमिटेड द्वारा निवेश पैकेजिंग बोर्ड में था, न कि न्यूजप्रिंट में और 2018-19 में किया गया था।

ज.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

95. क्षति, संभावना एवं कारणात्मक संपर्क के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- (i) जांच की अवधि के बाद की घटनाएं किसी मूल जांच के लिए संगत नहीं हैं, विशेषकर जब उस अवधि के लिए आंकड़ों का अगोपनीय रूपांतर याचिकाकर्ता द्वारा साझा न किया गया हो। प्राधिकारी ने यह परिपाटी टोल्यून डी-आइसोसाइनेट और एक्रिलिक फाइबर जैसे जांच परिणामों में अपनाई है।
 - (ii) घरेलू उद्योग ने जांच के अंतिम चरण में वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के लिए जांच की अवधि के बाद के आंकड़े दिए हैं, जिन्हें स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।
 - (iii) संबद्ध आयातों की मात्रा में वृद्धि बाजार में मांग-आपूर्ति अंतराल को पूरा करने के लिए थी।
 - (iv) घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा पूरी क्षति अवधि में और जांच की अवधि में स्थिर रहा है।
 - (v) संबद्ध देशों में आयातों से कीमत कटौती जांच की अवधि में और पूर्व वर्ष में नकारात्मक है।
 - (vi) घरेलू उद्योग बिक्री लागत में वृद्धि के अनुरूप अपनी बिक्री कीमत बढ़ाने में सक्षम रहा है।
 - (vii) यद्यपि आयात कीमत और बिक्री कीमत, दोनों में वैश्विक झटके के बाद समायोजन के कारण जांच की अवधि में गिरावट आई, तथापि गिरावट में अंतर घोषित अर्थात् 21 प्रतिशत है जिसका अर्थ है कि आयातों का कोई कीमत प्रभाव नहीं है।
 - (viii) कनाडा से आयातों का संबद्ध देशों के साथ संचयी रूप से विश्लेषण नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वे घरेलू और अन्य आयातित न्यूजप्रिंट, दोनों से भिन्न हैं। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग को कनाडा से आयातों के कारण कोई क्षति नहीं हुई है।

- (ix) कनाडा से आयातों में पूरी क्षति अवधि में गिरावट आई है और जांच की अवधि में आंशिक वृद्धि है।
- (x) कनाडा से आयातों का बाजार हिस्सा पूरी क्षति अवधि में और जांच की अवधि में कुल आयातों के अनुपात में स्थिर रहा।
- (xi) कनाडा से आयातों से कीमत कटौती जांच की अवधि में और पूर्व वर्ष में नकारात्मक है तथा कनाडा से निर्यातों की पहुँच कीमत में कोई गिरावट नहीं रही है।
- (xii) यह एक स्वीकृत स्थिति है कि घरेलू उद्योग संबद्ध देशों से आयातों के पहुँच मूल्य से कम कीमत पर घरेलू बाजार में संबद्ध सामानों की बिक्री कर रहा है जो यह सिद्ध कर रहा है कि घरेलू उद्योग ने कीमत वृद्धि के लिए पर्याप्त गुंजाइश के बावजूद पहुँच मूल्य के साथ अपनी घरेलू कीमत का निर्धारण करने का प्रयास नहीं किया है।
- (xiii) संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा पूर्ण दृष्टि से या घरेलू उत्पादन के संदर्भ में निरंतर नहीं बढ़ी है।
- (xiv) संबद्ध देशों से आयातों का बाजार हिस्सा निरंतर अथवा अत्यधिक रूप से नहीं बढ़ा है।
- (xv) घरेलू उद्योग की नियोजित पूंजी पर आय में कोई अनुकूलता नहीं है और इसका आयातों की मात्रा से कोई सह-संबंध नहीं है।
- (xvi) घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए रोजगार में कोई ज्यादा गिरावट नहीं है जो आयातों की मात्रा से कोई सह-संबंध नहीं दर्शाता।
- (xvii) घरेलू उद्योग ने मूल अथवा अद्यतन याचिका में क्षति रहित कीमत की रेंज और कम कीमत पर बिक्री/क्षति मार्जिन नहीं दिया है।
- (xviii) संगत आर्थिक मानदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आंकड़े अविश्वसनीय हैं और अनुरूप नहीं हैं तथा वास्तविक क्षति की वस्तुपरक जांच की अनुमति नहीं देते।
- (xix) घरेलू उद्योग की संस्थापित क्षमता जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।
- (xx) क्षमता उपयोग में 2018-19 में वृद्धि हुई है, परंतु जांच की अवधि में गिरावट आई है।
- (xxi) केवल 9 माह में गिरावट तथाकथित पाटन और परिणामस्वरूप शुल्क लगाए जाने के लिए आधार नहीं हो सकती।
- (xxii) जांच की अवधि के दौरान विनिर्दिष्ट तथाकथित समर्थक घरेलू उत्पादकों की घरेलू बिक्री और उत्पादन आधार वर्ष अर्थात् 2016-17 के लिए बिक्री से अधिक है।
- (xxiii) रूस से आयात 2017-18 और जांच की अवधि के बीच तथा जांचावधि के बाद की अवधि में कम हुए हैं।
- (xxiv) रूस से आयातों के लिए कीमत कटौती जांच की अवधि में नकारात्मक है।
- (xxv) यूरोपीय संघ से आयात पूर्ण दृष्टि से अथवा जांचाधीन अवधि की तुलना में नहीं बढ़े हैं और 2017-18 से घटे हैं।
- (xxvi) आयात कीमत प्रवृत्ति न्यूजप्रिंट के लिए कीमतों की चक्रीय प्रवृत्ति ही दर्शाती है।
- (xxvii) आर्थिक आंकड़े यह दर्शाते हैं कि राजकोषीय वर्ष 2018-19 एक अपवादस्वरूप वर्ष था जब वैश्विक पेपर उद्योग ने चीन जन. गण. सरकार द्वारा नीतिगत परिवर्तनों के कारण व्यापार परिवेश में उग्र सुधारवादी परिवर्तन आए और घरेलू उद्योग के लिए आर्थिक मानदंडों में कोई भी नीचे की ओर का संचलन बदलती हुई चीन जन. गण. की नीतियों से आरंभिक झटके के बाद स्थिर होने वाली वैश्विक बाजार स्थितियों का परिणाम है और इसे तथाकथित पाटित आयातों के कारण नहीं माना जा सकता।
- (xxviii) आवेदक मौखिक सुनवाई के दौरान 2018-19 को क्षति विश्लेषण के प्रयोजन के लिए अलग करने पर सहमत था। प्राधिकारी को इस अवधि की अनदेखी करनी चाहिए।

- (xxix) घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में गिरावट कई कारकों के कारण है – प्रिंट मीडिया से डिजिटल मीडिया में ग्राहकों के जाने की प्राथमिकता, घटता हुआ विज्ञापन राजस्व, और चीन जन. गण. सरकार द्वारा नीतियों में परिवर्तन से आय तूफान के बाद बाजार स्थिरीकरण और पुनः समायोजन तथा व्यापारिक क्रियाकलापों का विविधीकरण।
- (xxx) अर्थव्यवस्था में मंदी, लागत प्रतिस्पर्धी कच्ची सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा आदि जैसे कारक घरेलू उद्योग को क्षति के कारण हैं। इसामी पेपर मिल्स और श्रीराम न्यूजप्रिंट की वार्षिक रिपोर्टों में यही उल्लेख किया गया है। मांग में गिरावट और आवेदकों की वित्तीय लागत में वृद्धि भी क्षति के कारक हैं।
- (xxxi) घरेलू उद्योग में निर्यात बिक्री में वृद्धि से घरेलू बिक्री में गिरावट आ सकती है जिससे भारतीय ग्राहक न्यूजप्रिंट का आयात करने के लिए मजबूर हो सकते हैं।
- (xxxii) घरेलू उद्योग द्वारा गैर-विचाराधीन उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि पूर्व वर्ष में 16535 मी. टन से जांच की अवधि में 96203 मी. टन तक होने से विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में गिरावट हो सकती है जो आयातों के कारण नहीं मानी जा सकती।
- (xxxiii) घरेलू उद्योग को विस्फोटक दुर्घटनाओं और अपव्यय किए जाने से उसकी अदक्षता के कारण क्षति हो रही है जिसका उनकी कम हुई लाभप्रदता में योगदान है।
- (xxxiv) श्रीराम न्यूजप्रिंट के कारखाने में मई, 2018 में भारी आग से 847.09 लाख रुपये मूल्य के न्यूजप्रिंट की क्षति हुई।
- (xxxv) उत्पादन बंद होना या कारखाना बंद होना, विचाराधीन उत्पाद के तथाकथित पाटन के कारण नहीं हो सकता।
- (xxxvi) निर्यात विवशता के अधीन नहीं हैं बल्कि विदेश व्यापार नीति के तहत योजनाओं का लाभ लेने के लिए पूरा किए जाने हेतु घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निर्यात दायित्व के कारण हैं।
- (xxxvii) कोविड-19 महामारी से न्यूजपेपर का बाजार प्रभावित हुआ है। पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से प्रिंट उद्योग घरेलू तौर पर उत्पादित न्यूजप्रिंट के प्रयोग की तकनीकी गैर-व्यवहार्यता के कारण उच्च लागत पर न्यूजप्रिंट का आयात करने के लिए मजबूर होगा।
- (xxxviii) घरेलू तौर पर विनिर्मित उत्पाद की दुर्बल गुणवत्ता प्रयोक्ताओं को आयात करने के लिए मजबूर कर रही है।
- (xxxix) प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों के उल्लंघन के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेशों के बाद 67 न्यूजप्रिंट पेपर मिल्स की बंदी से घरेलू उद्योग प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है। इसके अतिरिक्त, इसामी पेपर मिल्स लि. को भी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सबसे अधिक प्रदूषक मिल के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- (xl) उत्पादन में कच्ची सामग्री के रूप में प्रयुक्त और रिसाइकिल किए जाने के लिए अपशिष्ट पेपर के असंगठित रूप से संग्रहण से उत्पादन रुका है और उत्पादकता अनर्थिक हुई है।
- (xli) निर्यातक/उत्पादक द्वारा निर्यात शुल्क मिला दिए जाने से घरेलू उद्योग प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है।
- (xlii) याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अनुरोध की भारित आधार पर कीमत कटौती भ्रामक है, त्रुटिपूर्ण है क्योंकि याचिकाकर्ता केवल इस आधार पर भारित आधार पर कीमत कटौती के निर्धारण का सुविधाजनक रूप से विरोध नहीं कर सकता क्योंकि याचिका में निर्धारित कीमत कटौती नकारात्मक है। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता ने अपने अनुरोधों में उस क्षति मार्जिन परिकलन पर विश्वास किया है जो कि यूनिट कीमतों के लिए मापन की यूनिट के रूप में भार के आधार पर है, स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि याचिकाकर्ता चयनित रूप से उन आंकड़ों पर विश्वास कर रहा है जो उनके दावों में सहयोग कर रहे हैं और उनके क्षति के दावों का विरोध करने वाले मानदंडों को रद्द किए जाने के लिए वकालत कर रहे हैं।

- (xliii) घरेलू उद्योग को यदि कोई क्षति है तो वह स्व-प्रभावित है अथवा वैश्विक मांग के परिणामस्वरूप है तथा प्रमुख बाजार झटके के बाद आपूर्ति के पुनः संतुलन के परिणामस्वरूप है।
- (xliv) 50 प्रतिशत विनिर्माण कंपनियां बंद हो गई थीं या डीआईपीपी द्वारा सत्यापित आंकड़ों के अनुसार जांच की अवधि से पूर्व बंद हो गई थीं। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान संबद्ध सामानों के उत्पादन में लगी कई कंपनियां समान रहीं जिसका अर्थ यह है कि घरेलू उत्पादकों ने तथाकथित पाटित आयातों के कारण उत्पादन नहीं रोका है।
- (xlv) संयुक्त राज्य अमेरिका को कनाडा से और कनाडा से भारत को निर्यात कीमत के संबंध में याचिकाकर्ता की तुलना घटती हुई निर्यात कीमतों को दर्शाने के लिए वर्तमान जांच में पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.1 और सीमा प्रशुल्क अधिनियम की धारा 9क(1) के आलोक में असंगत है। इसके अतिरिक्त, उस सूचना का स्रोत अनुरोधों में नहीं दिया गया है।
- (xlvi) संबद्ध देशों से आयात कीमत केवल 2017-18 में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम थी। आयात कीमत 2018-19 में और जांच की अवधि में बिक्री लागत से काफी अधिक थी।
- (xlvii) घरेलू उद्योग 2018-19 में बिक्री लागत को वसूल करने में और उपयुक्त लाभ कमाने में सक्षम था। इसके अतिरिक्त, आयात कीमतें 2018-19 में और जांच की अवधि में बिक्री कीमत से अधिक थीं।
- (xlviii) चीनी नीतियों में परिवर्तन से न्यूजप्रिंट बाजार में सतत उछाल के अनुमान से घरेलू उद्योग द्वारा क्षमताओं के विस्तार और बढ़े हुए उत्पादन के कारण 2018-19 में ही घरेलू उद्योग की मालसूची में वृद्धि थी।
- (xlix) यदि 40 और 42 जीएसएम के आयात आंकड़ों को अलग किया जाए तो शेष मात्राएं किसी क्षति के लिए बहुत कम हैं।
- (i) अप्रैल-जून, 2020 की जांचावधि के बाद की अवधि कोविड महामारी के आरंभ की थी जिसके दौरान वैश्विक लॉकडाउन से हुए बाजार उतार-चढ़ाव, विशेष रूप से न्यूजप्रिंट उद्योग के लिए कठिन थे। जांच की अंतिम चरणों के दौरान इन आंकड़ों का विश्लेषण तिर्यक होने की संभावना है।
- (ii) भारत में अन्य घरेलू उत्पादकों का उत्पादन संगत है क्योंकि क्षति विश्लेषण घरेलू उद्योग के घटकों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है न कि अन्य सभी उत्पादकों को ध्यान में रखते हुए।
- (iii) हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड, जिसको प्रदूषण कारणों से बंद किए जाने का आदेश दिया गया था, कार्यशील पूंजी के अभाव में प्रचालन नहीं कर पाया।
- (liii) मैसूर पेपर मिल्स ने कुछ हानियों के कारण नवंबर, 2015 में उत्पादन रोक दिया क्योंकि वह कार्यशील पूंजी के अभाव के कारण प्रचालन नहीं कर पाया।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

96. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों और प्रति तर्कों को नोट किया है। प्राधिकारी द्वारा किया गया क्षति विश्लेषण नीचे हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का समाधान करता है।
97. डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 3.3 और नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iii) में यह प्रावधान है कि यदि एक से अधिक देश से उत्पाद के आयातों की साथ-साथ पाटनरोधी जांच की जा रही है तो प्राधिकारी उस स्थिति में ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी निर्धारण करेंगे जब वह यह निर्धारित करें कि:-
 - क) प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में सिद्ध पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त 2 प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से हुए आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात की मात्रा की 3 प्रतिशत (या अधिक) है अथवा जहां अलग देश का निर्यात 3 प्रतिशत से कम है, आयात सामूहिक रूप से समान वस्तु के आयात के 7 प्रतिशत से अधिक है, और

- ख) आयात के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन आयातित वस्तु एवं समान घरेलू वस्तु के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के आलोक में उपयुक्त है।
98. जांच की शुरुआत के समय सभी जीएसएम के न्यूजप्रिंट के आयातों पर विचार किया गया था। तथापि, जांच प्रक्रिया के दौरान जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है, प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र 42 तक और जीएसएम से अधिक तक ही सीमित किया। चूंकि जांच की अवधि के दौरान हांगकांग से 42 और उससे अधिक के जीएसएम न्यूजप्रिंट के आयात न्यूनतम से कम हैं, अतः हांगकांग को निम्नलिखित क्षति विश्लेषण में शामिल नहीं किया गया है।
99. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:
- क) संबद्ध वस्तुओं का पाटन भारत में संबद्ध देशों से किया जा रहा है। प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन मार्जिन, नियमावली के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम सीमाओं से अधिक है।
- ख) प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों की मात्रा, अलग-अलग आयातों की कुल मात्रा के 3 प्रतिशत से अधिक है।
- ग) आयातों के प्रभावों का संचयी आकलन उपयुक्त है क्योंकि संबद्ध देशों से आयात न केवल प्रत्यक्ष रूप से उनके द्वारा पेश की गई समान वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा करते हैं बल्कि भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा पेश की गई समान वस्तुओं से भी प्रतिस्पर्धा करते हैं।
100. उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ, हांगकांग, रूस, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात से संबद्ध सामानों के पाटित आयातों के घरेलू उद्योग पर प्रभाव का संचयी मूल्यांकन करना उपयुक्त समझते हैं।
101. नियमावली के अनुबंध-II के साथ पठित नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में “... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए ...” घरेलू उद्योग की क्षति को दर्शाते वाले कारकों की जांच शामिल होगी। पाटित आयातों की मात्रा की जांच करते हुए, प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या पाटित आयातों में पूर्ण दृष्टि से अथवा भारत में उत्पादन या खपत के संबंध में काफी वृद्धि हुई है। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा यह कि क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतों का बहुत अधिक मात्रा में ह्रास होता अथवा कीमत में वृद्धि रुक जाती जो अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में हुई होती। भारत में घरेलू उद्योगों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, इन सूचकांकों जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो जैसे उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, माल भंडार, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन का आकार और मार्जिन आदि पर विचार नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार किया गया है।
102. क्षति एवं कारणात्मक संपर्क के संबंध में जांच प्रक्रिया के दौरान घरेलू उद्योग और अन्य हितवद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गये अनुरोधों की जांच की गई है और उनका निम्नलिखित रूप में समाधान किया गया है:
- I. **मांग/स्पष्ट खपत का मूल्यांकन**
103. प्राधिकारी ने सभी स्रोतों से घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री तथा आयातों की मात्रा के रूप में भारत में संबंधित उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत को वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए परिभाषित किया है। इस प्रकार से आकलित मांग नीचे तालिका में दी गई है:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि	
					वास्तविक	वार्षिकीकृत
संबद्ध आयात	मी. टन	9,19,952	8,89,047	7,73,119	6,83,688	9,11,585
ऑस्ट्रेलिया	मी. टन	65,679	45,034	43,148	26,102	34,802
कनाडा	मी. टन	2,57,966	1,91,659	1,54,782	1,06,447	1,41,929
यूरोपीय संघ	मी. टन	2,00,399	2,08,787	1,52,274	1,58,648	2,11,531
रूस	मी. टन	3,95,883	4,42,770	3,56,242	3,16,123	4,21,497
सिंगापुर	मी. टन	-	794	35,095	35,625	47,500
यूएई	मी. टन	26	2	31,579	40,744	54,325
अन्य आयात	मी. टन	5,00,071	2,84,835	3,26,566	1,41,624	1,88,833
घरेलू उद्योग द्वारा घरेलू बिक्री	मी. टन	3,28,205	3,33,728	3,53,235	2,01,275	2,68,367
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	मी. टन	7,65,480	7,59,618	7,97,828	3,99,220	5,32,293
भारतीय उद्योग की बिक्री	मी. टन	10,93,685	10,93,346	11,51,063	6,00,495	8,00,660
मांग	मी. टन	25,13,708	22,67,228	22,50,748	14,25,808	19,01,077

104. यह देखा जाता है कि संबद्ध सामानों के लिए मांग में क्षति की अवधि में गिरावट आई है जबकि संबद्ध देशों से आयातों में 2018-19 तक गिरावट आई है, परंतु जांच की अवधि में उसमें वृद्धि हुई है।

II. पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

105. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को इस पर विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में पूर्ण दृष्टि से अथवा भारत में उत्पादन अथवा खपत के अनुपात में काफी वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजन के लिए, प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस से लिये गये लेन-देन वार आयात आंकड़ों पर विश्वास किया है। संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों की मात्रा और क्षति जांच अवधि के दौरान पाटित आयातों का हिस्सा निम्नलिखित है:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि	
					वास्तविक	वार्षिकीकृत
ऑस्ट्रेलिया	मी. टन	65,679	45,034	43,148	26,102	34,802
कनाडा	मी. टन	2,57,966	1,91,659	1,54,782	1,06,447	1,41,929
यूरोपीय संघ	मी. टन	2,00,399	2,08,787	1,52,274	1,58,648	2,11,531
रूस	मी. टन	3,95,883	4,42,770	3,56,242	3,16,123	4,21,497
सिंगापुर	मी. टन	-	794	35,095	35,625	47,500
यूएई	मी. टन	26	2	31,579	40,744	54,325
संबद्ध आयात	मी. टन	9,19,952	8,89,047	7,73,119	6,83,688	9,11,585
भारतीय उत्पादन	मी. टन	10,99,833	10,67,232	12,01,495	5,92,188	7,89,584
भारतीय उत्पादन के संबंध में आयात	%	84%	83%	64%	115%	115%
खपत के संबंध में आयात	%	37%	39%	34%	48%	48%

106. यह देखा जाता है कि:

- (i) संबद्ध देशों से आयात की मात्रा में 2018-19 तक 16 प्रतिशत तक की गिरावट आई और फिर जांच की अवधि में 18 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई।
- (ii) जबकि समग्र मांग में क्षति की अवधि में 24 प्रतिशत तक गिरावट आई और पूर्व वर्ष की तुलना में 16 प्रतिशत तक की गिरावट आई, संबद्ध आयातों में पूर्व वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है।
- (iii) संबद्ध आयातों की मात्रा में भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में काफी वृद्धि हुई है।
- (iv) संबद्ध आयातों का भारी हिस्से वाले संबद्ध देशों और गैर-संबद्ध देशों से आयातों के साथ देश में खपत में उच्चतम हिस्सा है तथा घरेलू उत्पादकों का बहुत कम हिस्सा है।

III. पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

107. नियमावली के अनुबंध-II(ii) के अनुसार, कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी के लिए यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा काफी कीमत कटौती की गई है अथवा उन आयातों का प्रभाव काफी मात्रा तक कीमत रोकने के लिए अन्यथा है अथवा कीमत वृद्धि रोकने के लिए है जो कि अन्यथा काफी मात्रा तक हुई होती। इस संबंध में, संबद्ध देशों से आयातों की पहुँच कीमत की संबद्ध सामानों के लिए घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली के साथ तुलना की गई है।

i. कीमत कटौती

108. कीमत कटौती निर्धारित करने के लिए उत्पाद के पहुँच मूल्य और घरेलू उद्योग की औसत बिक्री कीमत के बीच, सभी छूटों और करों के निवल, व्यापार के उसी स्तर पर तुलना की गई है। घरेलू उद्योग की कीमतें कारखानागत स्तर पर निर्धारित की गई थीं।

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
संबद्ध देश					
पहुँच मूल्य	रु./मी. टन	35,221	34,081	49,962	39,692
निवल बिक्री वसूली	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	132	105
कीमत कटौती	रु./मी. टन	***	***	***	***
कीमत कटौती	सूचीबद्ध	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
कीमत कटौती	% रेंज	(0-10)	0-10	(0-10)	(0-10)
ऑस्ट्रेलिया					
पहुँच मूल्य	रु./मी. टन	36,743	37,205	53,086	40,623
निवल बिक्री वसूली	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	132	105
कीमत कटौती	रु./मी. टन	***	***	***	***
कीमत कटौती	सूचीबद्ध	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
कीमत कटौती	% रेंज	(0-10)	(0-10)	(10-20)	(10-20)
कनाडा					
पहुँच मूल्य	रु./मी. टन	35,486	33,672	50,606	39,026
निवल बिक्री वसूली	रु./मी. टन	***	***	***	***

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	132	105
कीमत कटौती	रु./मी. टन	***	***	***	***
कीमत कटौती	सूचीबद्ध	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
कीमत कटौती	% रेंज	(0-10)	0-10	(0-10)	(0-10)
यूरोपीय संघ					
पहुँच मूल्य	रु./मी. टन	35,612	34,622	47,500	39,207
निवल बिक्री वसूली	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	132	105
कीमत कटौती	रु./मी. टन	***	***	***	***
कीमत कटौती	सूचीबद्ध	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
कीमत कटौती	% रेंज	(0-10)	0-10	(0-10)	(0-10)
रूस					
पहुँच मूल्य	रु./मी. टन	34,599	33,687	50,337	39,849
निवल बिक्री वसूली	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	132	105
कीमत कटौती	रु./मी. टन	***	***	***	***
कीमत कटौती	सूचीबद्ध	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
कीमत कटौती	% रेंज	(0-10)	0-10	(0-10)	(0-10)
सिंगापुर					
पहुँच मूल्य	रु./मी. टन	-	33,246	49,671	40,021
निवल बिक्री वसूली	रु./मी. टन	-	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	106	132	105
कीमत कटौती	रु./मी. टन	-	***	***	***
कीमत कटौती	सूचीबद्ध		***	***	***
कीमत कटौती	%	-	***	***	***
कीमत कटौती	% रेंज	-	10-20	(0-10)	(0-10)
यूएई					
पहुँच मूल्य	रु./मी. टन	33,799	44,453	50,495	39,866
निवल बिक्री वसूली	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	132	105
कीमत कटौती	रु./मी. टन	***	***	***	***
कीमत कटौती	सूचीबद्ध	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
कीमत कटौती	% रेंज	0-10	(10-20)	(0-10)	(0-10)

109. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों के लिए कीमत कटौती समग्र रूप से 2017-18 के लिए ही सकारात्मक थी और शेष क्षति अवधि तथा जांच की अवधि में नकारात्मक थी।

कीमत न्यूनीकरण एवं ह्रास

110. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयातों का प्रभाव काफी मात्रा तक कीमत कम करने अथवा कीमतों की वृद्धि रोकने, जो अन्यथा हुई होती, के लिए है। क्षति की अवधि में लागतों और कीमतों में परिवर्तनों के लिए घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना की तुलना पहुँच मूल्य से की गई है।

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
बिक्री कीमत	रु./मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	106	132	105
बिक्री की लागत	रु./मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	107	122	107
पहुँच कीमत	रु./मी. टन	35,221	34,081	49,962	39,692
	सूचीबद्ध	100	97	142	113

111. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की पहुँच कीमत तथा बिक्री लागत और बिक्री कीमत में आधार वर्ष की तुलना में 2018-19 में वृद्धि हुई है। तथापि, 2018-19 से तुलना करने पर यह देखा जाता है कि पहुँच कीमत, बिक्री लागत और बिक्री कीमत में जांच की अवधि में गिरावट आई है। इसके अतिरिक्त, बिक्री कीमत में बिक्री लागत से अधिक गिरावट आई है और घरेलू उद्योग नुकसान कर उत्पाद बेचने के लिए मजबूर हुआ है। अतः संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों का न्यूनीकरण/ह्रास किया है।

ii. कम कीमत पर बिक्री

112. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई कम कीमत पर बिक्री की जांच की है। इस प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग के लिए औसत एनआईपी के आधार पर निर्धारित एनआईपी की तुलना डीजीसीआईएंडएस के आयात आंकड़ों से लिए गए अनुसार आयातों की पहुँच कीमत से की गई है।

विवरण	यूनिट	कनाडा	यूरोपीय संघ	रूस	यूएई	सिंगापुर	ऑस्ट्रेलिया	संबद्ध देश
क्षति रहित कीमत	रु./मी. टन	***	***	***	***	***	***	***
पहुँच कीमत	रु./मी. टन	39,026	39,207	39,849	39,866	40,021	40,623	39,692
कम कीमत बिक्री	रु./मी. टन	***	***	***	***	***	***	***
कम कीमत बिक्री	%	***	***	***	***	***	***	***
कम कीमत बिक्री	रेंज	0-10%	0-10%	0-10%	0-10%	0-10%	नकारात्मक	0-10%

113. यह नोट किया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर संबद्ध देशों के लिए कम कीमत पर बिक्री सकारात्मक है जो यह दर्शाती है कि आयात क्षतिकारक कीमतों पर बाजार में आ रहे हैं।

IV. घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंडों पर प्रभाव

114. नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में समान उत्पाद के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी। इस प्रकार के उत्पादों का घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में, नियमावली में आगे यह प्रावधान है कि कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक कारकों और सूचकांकों जिसका घरेलू उद्योग की हालत पर प्रभाव पड़ता हो, जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; वे कारक जो घरेलू कीमतों, पाटन के मार्जिन का आकार पर प्रभाव डालते हों; नकदी का प्रवाह, माल भंडार, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक

और संभावित नकारात्मक प्रभाव का वस्तुपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मानदंडों पर यहां नीचे चर्चा की गई है:

i. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा

115. उत्पादन, घरेलू बिक्री, क्षमता और क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन नीचे दिया गया है:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि	
					वास्तविक	वार्षिकीकृत
क्षमता	मी. टन	4,04,400	4,04,400	4,14,400	3,10,800	4,14,400
उत्पादन विचाराधीन उत्पाद	मी. टन	3,36,659	3,33,160	3,86,604	1,89,532	2,52,709
उत्पादन एनपीयूसी	मी. टन	51,242	36,619	16,535	72,152	96,203
उत्पादन कुल	मी. टन	3,87,901	3,69,779	4,03,139	2,61,684	3,48,912
क्षमता उपयोग	%	96%	91%	97%	84%	84%
घरेलू बिक्री	मी. टन	3,28,205	3,33,728	3,53,235	2,01,282	2,68,376

116. यह नोट किया जाता है कि:

क. घरेलू उद्योग की क्षमता में क्षति की अवधि में वृद्धि हुई है।

ख. तथापि, घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग, उत्पादन और बिक्री में जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई है।

ग. यह भी नोट किया जाता है कि यद्यपि घरेलू बिक्री में गिरावट का भाग जांच की अवधि के दौरान मांग में गिरावट के कारण हो सकता है, तथापि, घरेलू बिक्री में गिरावट की प्रतिशतता मांग में गिरावट की प्रतिशतता से काफी अधिक है।

ii. मांग में बाजार हिस्सा

117. तथाकथित पाटित आयातों और घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से की निम्नलिखित रूप में जांच की गई है:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
संबद्ध आयात	%	37%	39%	34%	48%
अन्य आयात	%	20%	13%	15%	10%
घरेलू उद्योग	%	13%	15%	16%	14%
अन्य उत्पादक	%	30%	34%	35%	28%
भारतीय उद्योग	%	44%	48%	51%	42%

118. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से आयातों के हिस्से में 37 प्रतिशत से 28 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है, जबकि भारतीय उद्योग के हिस्से में समग्र रूप से 44 प्रतिशत से 42 प्रतिशत तक गिरावट आई है। घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में 2017-18 और 2018-19 में वृद्धि हुई है, परंतु जांच की अवधि के दौरान उसमें गिरावट आई है।

iii. मालसूची

119. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि	
					वास्तविक	वार्षिकीकृत
आरंभिक मालसूची	मी. टन	3,143	7,235	1,976	30,508	30,508
अंतिम मालसूची	मी. टन	7,235	1,976	30,508	12,403	12,403
औसत मालसूची	मी. टन	5,189	4,605	16,242	21,455	21,455
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	89	313	413	413

120. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग की औसत मालसूची क्षति की अवधि में चौगुनी हुई है जो मालसूची का निर्माण दर्शाती है। इसके अतिरिक्त, यहां तक कि जब पूर्व वर्ष से तुलना की जाए तो घरेलू उद्योग की मालसूची ने वृद्धि दर्शाई है।

iv. लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय

121. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग के लाभ, निवेश पर आय और नकद लाभ निम्नलिखित तालिका में दिये गये हैं:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि	
					वास्तविक	वार्षिकीकृत
बिक्री की लागत	₹/मी. टन	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	107	122	107	107
बिक्री कीमत	₹/मी. टन	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	106	132	105	105
लाभ/(हानि)	₹/मी. टन	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	-100	-152	335	-210	-210
लाभ/(हानि)	₹ लाख	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	-100	-155	361	-171	-171
नकद लाभ	₹ लाख	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	75	472	28	37
नियोजित पूंजी पर आय	%	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	51	614	80	80

122. यह नोट किया जाता है कि:

क. घरेलू उद्योग को 2016-17 और 2017-18 के दौरान हानियां हुई हैं। यद्यपि घरेलू उद्योग की स्थिति में 2018-19 में सुधार हुआ है और उसने लाभ कमाए हैं, तथापि जांच की अवधि के दौरान पुनः उसकी लाभप्रदता प्रभावित हुई है।

ख. घरेलू उद्योग को क्षति की अवधि से तुलना करने पर जांच की अवधि के दौरान अधिकतम हानियां हुई हैं।

ग. घरेलू उद्योग के नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय ने भी पूर्व वर्ष से तुलना करने पर तथा आधार वर्ष से तुलना करने पर गिरावट दर्शाई है।

घ. घरेलू उद्योग अपनी नियोजित पूंजी पर नगण्य आय अर्जित कर रहा है।

v. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

123. प्राधिकारी ने रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में सूचना की नीचे दिए गए अनुसार जांच की है:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि	
					वास्तविक	वार्षिकीकृत
कर्मचारियों की सं.	सं.	2711	2722	2753	2652	2652
	सूचीबद्ध	100	100	102	98	98
प्रति दिन उत्पादकता	मी. टन/दिन	124	122	140	95	95
	सूचीबद्ध	100	99	113	77	77
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी. टन/सं.	935	925	1,074	702	702
	सूचीबद्ध	100	99	115	75	75
मजदूरी	₹ लाख	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	94	130	53	70

124. यह देखा जाता है कि मजदूरी में गिरावट के साथ क्षति की अवधि में कर्मचारियों की संख्या में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग की उत्पादकता में भी उत्पादन में गिरावट के साथ गिरावट आई है।

vi. वृद्धि

विवरण	यूनिट	2017-18	2018-19	जांच की अवधि वार्षिकीकृत
क्षमता	%	-	2.47	-
उत्पादन	%	(4.67)	8.60	(13.98)
घरेलू बिक्री	%	1.68	5.94	(25.86)
प्रति यूनिट लाभ/(हानि)	%	(52.11)	487.17	(544.60)
नकद लाभ	%	(25.46)	397.78	(435.54)
नियोजित पूंजी पर लाभ	%	(48.61)	562.59	(533.58)

125. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग ने क्षति की अवधि के दौरान मात्रा और लाभप्रदता दोनों के मानदंडों के संदर्भ में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। इसके अतिरिक्त, लाभप्रदता के मानदंडों में गिरावट अत्यधिक है जो पाटित आयातों के काफी प्रतिकूल प्रभाव दर्शाती है।

vii. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

126. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को काफी हानियां हो रही हैं और उसने अपनी नियोजित पूंजी पर बहुत कम आय अर्जित की है। स्पष्ट रूप से पूंजी निवेश जुटाने में घरेलू उद्योग की क्षमता संबद्ध आयातों से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है।

viii. कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

127. कीमतों को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध आयात बाजार में मांग के 54 प्रतिशत पर नियंत्रण करके प्रभावीशाली हिस्सा लेते हैं। यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की कीमत उस समय बढ़ी, जब आयातों की कीमत 2018-19 में बढ़ी। परंतु घरेलू उद्योग उस समय अपनी कीमतें कम करने के लिए मजबूर था, जब कीमत में जांच की अवधि में गिरावट आई और हानि पर बिक्री हुई।

x. पाटन की मात्रा

128. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध सामान भारत में पाटित किये जा रहे हैं और पाटन मार्जिन सकारात्मक तथा काफी है।

झ. क्षति मार्जिन की मात्रा

129. प्राधिकारी ने यथा संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए एनआईपी निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पाद की क्षति रहित कीमत जांच की अवधि के लिए उत्पादन लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित की गई है। क्षति मार्जिन का परिकलन करने के लिए संबद्ध देशों से पहुँच कीमत की तुलना करने के लिए एनआईपी पर विचार किया गया है। एनआईपी निर्धारित करने के लिए क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा कच्ची सामग्री के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यही व्यवहार यूटिलिटियों के साथ भी किया गया। क्षति की अवधि में उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि उत्पादन लागत में कोई असाधारण अथवा अनावर्ती व्यय नहीं लगाए गए हैं। विचाराधीन उत्पाद के लिए नियोजित औसत पूंजी (अर्थात् औसत निवल अचल परिसंपत्तियाँ एवं औसत कार्यशील पूंजी) पर उपयुक्त आय (कर पूर्व 22 प्रतिशत की दर से) नियमावली के अनुबंध-3 में निर्धारित किए गए अनुसार क्षति रहित कीमत निकालने के लिए कर पूर्व लाभ के रूप में अनुमति थी और उसे अपनाया जा रहा है।
130. उपर्युक्तानुसार निर्धारित पहुँच कीमत और क्षति रहित कीमत के आधार पर, प्राधिकारी द्वारा उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन निर्धारित किया गया है और वह निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

देश	उत्पादक	क्षतिरहित (अमे. डॉ./मी. टन)	पहुँच कीमत (अमे. डॉ./मी. टन)	क्षति मार्जिन (अमे. डॉ./मी. टन)	क्षति मार्जिन (%)	क्षति मार्जिन (रेंज % में)
ऑस्ट्रेलिया	सभी	***	***	***	***	नकारात्मक
कनाडा	व्हाइट बिर्च पेपर कंपनी	***	***	***	***	0-10%
	क्रैगर ग्रुप	***	***	***	***	10-20%
	अन्य सभी	***	***	***	***	10-20%
यूरोपीय संघ	होलमैन पेपर एबी	***	***	***	***	0-10%
	स्टोरा एन्सो ग्रुप	***	***	***	***	0-10%
	यूपीएम ग्रुप	***	***	***	***	0-10%
	पपरेसा एस.ए.	***	***	***	***	10-20%
	अन्य सभी	***	***	***	***	10-20%
रूस	करज़ाला पल्प एलएलसी	***	***	***	***	0-10%
	मौंडा साइक्लिक्कर जेएससी	***	***	***	***	10-20%
	जेएससी सोलीकम्सकबमप्रोम	***	***	***	***	10-20%
	ज्वाइंट स्टॉक कंपनी वोल्गा	***	***	***	***	0-10%
	अन्य सभी	***	***	***	***	20-30%
सिंगापुर	सभी	***	***	***	***	0-10%
यूएई	सभी	***	***	***	***	0-10%

ञ. कारणतात्मक संपर्क और गैर-आरोपण विश्लेषण

131. नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी से अन्य बातों के साथ-साथ यह अपेक्षित है कि वे पाटित आयातों को छोड़कर किसी ज्ञात कारकों की जांच करें जो समय समय पर घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहा है ताकि इन अन्य कारकों से हुई क्षति का आरोप पाटित आयातों पर नहीं लगाया जा सके। वे कारक जो इस संबंध में संगत हो सकते हैं उनमें अन्य बातों के साथ साथ पाटित कीमतों पर न बेची गई आयातों की मात्रा और कीमतें, मांग में संकुचन अथवा सतत के पैटर्न में परिवर्तन, विदेशी और घरेलू उत्पादकों की व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं और उनके बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी का विकास और निर्यात कार्य निष्पादन और घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल है। नीचे यह जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों को छोड़कर अन्य कारकों का घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने में योगदान रहा होगा।

क. तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

132. यह देखा जाता है कि जांच की अवधि में संबद्ध आयातों का कुल आयातों में 86 प्रतिशत हिस्सा है। संबद्ध देशों को छोड़कर कोरिया गणराज्य और न्यूजीलैंड से काफी आयात हैं। तथापि, प्राधिकारी ने जांच की शुरुआत के स्तर पर इन आयातों की पहले ही जांच कर ली है और निष्कर्ष निकाला कि वे क्षतिकारक नहीं हैं। यहां तक कि अब यह नोट किया जाता है कि इन आयातों की कीमत संबद्ध आयातों की कीमत से काफी अधिक है और इस प्रकार वे घरेलू उद्योग को क्षतिकारक नहीं हैं।
133. कोरिया गणराज्य और न्यूजीलैंड को छोड़कर, अन्य देशों से आयात मात्रा में काफी नहीं हैं और इस प्रकार वे घरेलू उद्योग को कोई क्षति पहुँचाने में सक्षम नहीं हैं।

ख. मांग में संकुचन

134. यह देखा जाता है कि संबद्ध सामानों की मांग में क्षति की अवधि में गिरावट आई है। तथापि, गिरती हुई मांग के बावजूद आयातों में वृद्धि हुई है जिससे वे घरेलू उत्पादकों का बाजार ले रहे हैं। पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग और भारतीय उद्योग के बाजार हिस्से में क्षति की अवधि में गिरावट आई है। इस प्रकार घरेलू उद्योग को हुई क्षति मांग में संकुचन के कारण नहीं है।

ग. प्रौद्योगिकी में विकास

135. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध सामानों का उत्पादन करने के लिए प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और इसीलिए उससे घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हो सकती।

घ. प्रतिस्पर्धा की स्थितियां और व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां

136. यह नोट किया जाता है कि भारत में ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां नहीं हैं जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।

ङ. घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

137. यह नोट किया जाता है कि क्षति विश्लेषण घरेलू निष्पादन के आधार पर है। अतः क्षति घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन के कारण नहीं है।

च. उत्पादकता

138. घरेलू उद्योग की उत्पादकता में केवल उत्पादन में गिरावट के कारण गिरावट आई है और इस प्रकार घरेलू उद्योग को क्षति इस कारण नहीं है।

छ. कंपनी के अन्य उत्पादों का निष्पादन

139. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने विभिन्न उत्पादों के संबंध में अपने निष्पादन को पृथक किया है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित किए जा रहे और बेचे जा रहे अन्य उत्पादन का निष्पादन क्षति का कारण नहीं है।

ज.1 क्षति एवं कारणात्मक संपर्क पर निष्कर्ष

140. प्राधिकारी निम्नलिखित नोट करते हैं:

क. भारतीय बाजार में संबद्ध सामानों का काफी पाटन है।

ख. आयातों में मांग में गिरावट के बावजूद पूर्ण दृष्टि से तथा उत्पादन और खपत के अनुपात में वृद्धि हुई है।

ग. बड़े हुए आयातों ने घरेलू उत्पादकों और घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा ले लिया है।

घ. घरेलू उद्योग को उसके उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग में गिरावट की हानि हुई है, जबकि उसकी मालसूची में वृद्धि हुई है।

ङ. आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों का न्यूनीकरण और ह्रास हुआ है।

- च. घरेलू उद्योग की हानियों में वृद्धि हुई है, और उसके नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय में गिरावट आई है।
- छ. मात्रा और लाभप्रदता के मानदंडों के संदर्भ में घरेलू उद्योग की वृद्धि नकारात्मक है।
- ज. कम कीमत पर बिक्री सकारात्मक और काफी है।
- झ. कीमत न्यूनीकरण/ह्रास से लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय के निमित्त घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट आई है।
- ञ. संबद्ध देशों के बाजार हिस्से में वृद्धि से घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वृद्धि रूकी है। इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग के निष्पादन में उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग के संबंध में गिरावट आई है।
- ट. इस प्रकार यह देखा जाता है कि उत्पाद के पाटन से घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल मात्रात्मक एवं कीमत प्रभाव पड़ा है।

ट. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

141. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रकटन विवरण के उत्तर में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अधिकतर अनुरोध प्रकृति में पुनरावृत्ति के हैं और हितबद्ध पक्षकारों ने अपने अधिकतर पूर्व के अनुरोध दोहराए हैं जिनकी पहले ही प्राधिकारी द्वारा जांच कर ली गई है और जिन्हें पहले ही हल कर दिया गया है। प्रकटन विवरण के संबंध में घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए नए अनुरोध निम्नलिखित हैं:

ट.1 घरेलू उद्योग के अनुरोध

142. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- क. घरेलू उद्योग 42 जीएसएम से कम न्यूज प्रिंट का भी उत्पादन कर सकता है। विभिन्न जीएसएम के न्यूज प्रिंट का उत्पादन उन्हीं मशीनों, प्रौद्योगिकी और कच्ची सामग्री का प्रयोग करके किया जाता है और इस प्रकार 42 अथवा 45 जीएसएम के न्यूज प्रिंट का उत्पादन करने वाला कोई भी उत्पादक 42 जीएसएम से कम के न्यूज प्रिंट का उत्पादन कर सकता है। घरेलू उद्योग के प्रौद्योगिकी प्रदाता से प्रमाण-पत्र भी उनकी 40 जीएसएम के न्यूज प्रिंट का उत्पादन करने की क्षमता दर्शाते हैं।
- ख. चड्ढा पेपर्स लिमिटेड ने प्रयोक्ताओं से आदेशों के आधार पर 40 जीएसएम के न्यूज प्रिंट का उत्पादन करने की क्षमता और इच्छा के संबंध में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को भी पत्र लिखा था।
- ग. श्रीराम न्यूज प्रिंट लिमिटेड की वेबसाइट में यह उल्लेख है कि उनकी मशीनें 40 जीएसएम और उससे अधिक के न्यूज प्रिंट का उत्पादन कर सकती हैं।
- घ. घरेलू उद्योग ने उन्हीं मशीनों पर 40 जीएसएम के अन्य पेपर्स का उत्पादन किया है और इस प्रकार 40 जीएसएम के न्यूज प्रिंट का भी उत्पादन कर सकते हैं, परंतु बाजार में मांग के अभाव में वे ऐसा करने में विफल रहे हैं।
- ङ. 40 जीएसएम, 42 जीएसएम और 45 जीएसएम वाले न्यूज प्रिंट में जीएसएम को छोड़कर कोई अंतर नहीं है और उनमें अनुरूप तकनीकी एवं भौतिक विशेषताएं हैं। इसके अतिरिक्त, प्रयोक्ताओं द्वारा उनका प्रयोग परस्पर परिवर्तनीय रूप से किया जाता है तथा वे समान कीमत रेंज में प्रतिस्पर्धा करते हैं। इस प्रकार, विभिन्न जीएसएम के संबद्ध सामान समान वस्तु हैं। जैसा कि कजारिया सेरामिक्स लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में माना गया है, प्रतिस्थापनीय उत्पाद शुल्क लगाए जाने के क्षेत्र में शामिल किए जा सकते हैं।
- च. 42 जीएसएम से कम के न्यूज प्रिंट को हटाने से पाटनरोधी शुल्कों का प्रयोजन बेकार हो जाएगा, क्योंकि प्रयोक्ताओं के 40, 41 और 41.5 जीएसएम के उन न्यूज प्रिंट के आयातों में जाने की संभावना है जो तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। जैसा कि हुआवेई टेक्नोलॉजीस कं. लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में माना गया है, उस उत्पाद को शामिल करने से यह होना चाहिए कि शुल्क लगाए जाने का प्रयोजन और मात्रा प्राप्त की जाए।

- छ. यहां तक कि बीआईएस मानक जीएसएम में 4 प्रतिशत की टोलरेंस की अनुमति देते हैं।
- ज. घरेलू उद्योग को 40 जीएसएम के न्यूज प्रिंट के आयातों के अलावा, 42 अथवा 45 जीएसएम के न्यूज प्रिंट के आयातों के कारण क्षति हो रही है, जिसने घरेलू उद्योग को ले लिया है और जिसका प्रतिकूल कीमत प्रभाव है जिससे उद्योग हानियों पर बिक्री करने के लिए मजबूर हो रहा है।
- झ. 42 जीएसएम से कम के न्यूज प्रिंट को हटाना प्राधिकारी की विगत परिपाटियों के अनुरूप नहीं होगा, जहां प्रतिस्थापनीय अथवा तुलनीय सामान विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल किए गए हैं।
- ञ. चूंकि 42 जीएसएम से कम के न्यूज प्रिंट को हटाने की आवश्यकता नहीं है, अतः हांग कांग को भी हटाने की आवश्यकता नहीं है।
- ट. आयातित और घरेलू सामानों के जीएसएम में अंतर को कीमत कटौती और क्षति मार्जिन निर्धारित करते समय समायोजित किया जाना चाहिए।
- ठ. क्षति मार्जिन और कीमत कटौती केवल क्षतिकारक आयातों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जानी चाहिए, जैसा कि ईसी - ब्राजील से मेलेबल कास्ट आयरन ट्यूब अथवा पाइप फिटिंग पर पाटनरोधी शुल्क तथा कोठारी शुगर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड में अधिकरण बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में डब्ल्यूटीओ पैनल रिपोर्ट में माना गया है।
- ड. यद्यपि घरेलू उद्योग आयातों की वर्तमान बुकिंग कीमत के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर है, तथापि ऑर्डर देने और वास्तविक आयातों के बीच लगभग 3 माह का काफी समय है जिस पर क्षति मार्जिन के निर्धारण में विचार नहीं किया गया है।
- ढ. देश में कोई मांग-आपूर्ति अंतराल नहीं है और देश उत्पाद में आत्मनिर्भर है।
- ण. संबद्ध सामानों का पाटन भारतीय उत्पादकों को बाजार से बाहर करने का प्रयास है और यह बाजार रिपोर्टों में भी नोट किया गया है।
- त. कई संयंत्र पहले ही प्रतिस्पर्धा की प्रतिकूल स्थितियों के कारण पूर्व में बंद हो गए थे। फास्टमार्केट्स आरआईएसआई की हाल की रिपोर्ट के अनुसार जांच की शुरुआत से और संयंत्र बंद हो गए हैं।
- थ. न्यूज प्रिंट उद्योग वेस्ट पेपर को एकत्रित करने में लगे व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजित करता आ रहा है और यदि इस उद्योग को प्रचालन से बाहर रखा जाता है तो 10 लाख लोगों की आजीविका उस समय प्रभावित होगी, जब देश महामारी और वैश्विक मंदी के प्रभावों से गुजर रहा है।
- द. घरेलू उद्योग वुड पल्प, जिसका पर्यावरण पर अत्यधिक प्रभाव है, का प्रयोग करने वाले विदेशी उत्पादकों के विपरीत रिसाइक्ल्ड वेस्ट पेपर का प्रयोग कर संधारणीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान करता है। इसके अतिरिक्त, भारतीय उद्योग के बंद होने की स्थिति में रिसाइक्लिंग के लिए लक्षित वेस्ट पेपर जमीन में समाप्त होने की संभावना है जिससे संधारणीय विकास के उद्देश्य को झटका लगेगा।
- ध. शुल्क लगाने से अनावश्यक आयात कम करके विदेशी ऊर्जा रिजर्व को बढ़ावा मिलेगा।
- न. शुल्क लगाने से उन प्रयोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है जो विज्ञापन के माध्यम से काफी राजस्व अर्जित करते हैं, न कि न्यूज पेपर की बिक्री के माध्यम से।
- प. जांच की अवधि में और जांच की अवधि के बाद कीमतों में काफी गिरावट को ध्यान में रखते हुए शुल्क की ट्रिगर कीमत अथवा निर्धारित रूप की सिफारिश की जानी चाहिए।

ट.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

143. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र, समान वस्तु, घरेलू न्यूज प्रिंट की गुणवत्ता, क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में अपने अनुरोध दोहराए हैं। इसके अतिरिक्त, अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- क. वर्जिन पल्प का प्रयोग करके उत्पादित न्यूज प्रिंट रिसाइक्ल्ड पल्प का प्रयोग करके उत्पादित पल्प की अपेक्षा अधिक संधारणीय है और इस प्रकार अधिक गति तथा उच्च गुणवत्ता की प्रिंटिंग के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है तथा इस प्रकार ये दोनों गुणवत्ता और अंतिम प्रयोग की दृष्टि से भिन्न हैं।
- ख. वान इंफ्रा रिपोर्ट, जो घरेलू न्यूज प्रिंट की गुणवत्ता को घटिया दर्शाती है, पर विचार नहीं किया गया है।
- ग. हितवद्ध पक्षकारों ने परीक्षण रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं, जो घरेलू न्यूज प्रिंट की प्रमुख गुणवत्ता संबंधी कमियां दर्शाती हैं और यहां तक कि यह न्यूज प्रिंट के लिए भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मानकों में कुछ संदर्भ अंकों को पूरा करने में विफल है।
- घ. प्रयोक्ताओं ने घरेलू न्यूज प्रिंट में गुणवत्ता संबंधी मुद्दों के संबंध में शिकायत करते हुए घरेलू उत्पादकों के साथ ई-मेल पत्राचार की प्रतियां प्रस्तुत की हैं।
- ङ. घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान 42, 42.5 और 43 जीएसएम के न्यूज प्रिंट का उत्पादन नहीं किया है और इस प्रकार 44 जीएसएम से कम के न्यूज प्रिंट को अलग किया जाना चाहिए।
- च. 42 जीएसएम के न्यूज प्रिंट को भी अलग किया जाना चाहिए क्योंकि आवेदकों ने जांच की अवधि के दौरान वाणिज्यिक मात्राओं में इसका उत्पादन नहीं किया है।
- छ. लगभग 85-90 प्रतिशत आयात 42 जीएसएम और उससे कम के हैं, जिसकी आपूर्ति करने में घरेलू उद्योग सक्षम नहीं है और परिणामस्वरूप प्रयोक्ता आयात करने के लिए मजबूर हैं। कम से कम 10 घरेलू मिलों को इस मांग को पूरा करने के लिए 42 जीएसएम की गुणवत्ता के न्यूज प्रिंट का उत्पादन करने और बिक्री करने में सक्षम होना चाहिए।
- ज. 42 जीएसएम के घरेलू न्यूज प्रिंट का प्रयोग हाई स्पीड प्रिंटिंग मशीनों पर नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे निरंतर खराब प्रिंटिंग गुणवत्ता, वेब ब्रेक, स्याही फैलाव और प्रिंटिंग धब्बे बनेंगे।
- झ. हीजेल ने उन्नत न्यूज प्रिंट का निर्यात किया जिसकी अधिक कीमत है, चमक स्तर 70 से अधिक है और जिसका प्रयोग न्यूज पेपर सप्लीमेंट और मैगजीनों के लिए किया जाता है। इस न्यूज प्रिंट का उत्पादन भारत में नहीं किया जाता है। इस न्यूज प्रिंट की कीमत अधिक होने के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति अथवा पाटन नहीं हो सकता।
- ञ. न्यूज प्रेस एचबी, जो 42 जीएसएम से कम और यूपीएम इको लाइट का है, जो कि 40 जीएसएम से कम का है, को अलग किया जाना चाहिए।
- ट. समर्थक मिलों की कम क्षमता है और घटिया न्यूज प्रिंट का उत्पादन करती हैं तथा उनको हुई क्षति आयातों के कारण नहीं हो सकती।
- ठ. जांच की अवधि के दौरान वैश्विक न्यूज प्रिंट कीमतें स्थिर नहीं थीं। यह स्वीकार करने के बाद, वैश्विक आपूर्ति की कमी से 2018 में अत्यधिक उच्च कीमत स्तर बन गए थे।
- ड. मांग-आपूर्ति अंतराल है क्योंकि भारतीय उत्पादकों का उत्पादन देश में मांग की अपेक्षा 11,11,493 मी. टन कम है।
- ढ. सिंगापुर को भी जांच के क्षेत्र से अलग किया जाना चाहिए क्योंकि वह केवल अन्य मूल संबद्ध देशों के विचाराधीन उत्पाद के लिए एक व्यापारिक हब/बीजक देश है। यदि सिंगापुर को जांच में शामिल किया जाता है तो इससे एक खराब स्थिति बन सकती है जिसमें सिंगापुर से कोई भी निर्यात/बिलिंग, गैर-संबद्ध देश के मूल का होने पर भी, भारत में पाटनरोधी शुल्कों के अध्यधीन हो जाएगा।
- ण. प्रश्नावली के उत्तर में प्रस्तुत सूचना के आधार पर कॉर्नर ब्रुक पल्प एंड पेपर लिमिटेड, कूगर ट्रोइस-रिवेयर्स एल. पी. और कूगर ब्रॉम्पटन एल. पी. के लिए अलग पाटन एवं क्षति मार्जिन निर्धारित किया जाना चाहिए।
- त. व्हाइट बिर्च पेपर कंपनी द्वारा दिए गए प्रश्नावली के उत्तर को रद्द किया जाना चाहिए क्योंकि वह उत्तर प्राधिकारी द्वारा दिए गए निर्धारित समय के बाद दायर किया गया है। व्हाइट बिर्च पेपर कंपनी, उसके व्यापारियों अर्थात् वीसी पेपर रिसोर्सेस पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर, अमीगो टेकप्रो लिमिटेड, हांग कांग और

संबद्ध सामानों के आयातकों के बीच प्रतिपूरक व्यवस्था है। व्हाइट बिर्च पेपर कंपनी की व्यापारिक कंपनियों उच्चतर पहुँच मूल्य दर्शाने तथा साख पत्रों के माध्यम से आयातक को प्रतिपूर्ति करने के लिए भारत को सामानों का अधिक बीजक बनाने में लगी है।

- थ. पेपरेसा एस ए के लिए सामान्य मूल्य घरेलू बिक्री कीमत के आधार पर निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यूरोपीय संघ और भारत में पेपरेसा द्वारा बेचे गए उत्पाद समान उत्पाद नहीं हैं।
- द. वोल्गा के लिए पहुँच कीमत सही किए जाने की आवश्यकता है।
- ध. लाकिरचेन पापियर एजी और विल्फ्रेड हेंजेल एजी ऑस्ट्रिया को अलग पाटन मार्जिन दिया जाना चाहिए।
- न. 9 माह की अवधि के लिए वार्षिकीकृत क्षति मानदंडों की क्षति की अवधि में पूरे वित्तीय वर्षों के साथ तुलना की गई है जो उपयुक्त नहीं है।
- प. मांग-आपूर्ति अंतराल को पूरा करने के लिए आयात हुए हैं। यहां तक कि यदि घरेलू उद्योग अपना पूरा उत्पादन बेचने में समर्थ हो तो विशेष रूप से कम जीएसएम की मांग को पूरा करने के लिए आयात आवश्यक हैं।
- फ. संबद्ध सामानों की मांग में कनाडा से आयातों में गिरावट के अनुरूप जांच की अवधि में गिरावट आई है, तथापि यूरोपीय संघ और रूस से आयातों में गिरती हुई मांग के बावजूद वृद्धि हुई है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई है जिसे कनाडा के आयातों के कारण नहीं माना जा सकता।
- ब. घरेलू उद्योग लाभप्रद स्थिति में है और इस निमित्त किसी क्षति का दावा नहीं किया जा सकता।
- भ. घरेलू उद्योग की हानियां भारी ब्याज लागतों के कारण हैं।
- म. यह तथ्य कि घरेलू उद्योग अपनी क्षमताएं बढ़ा रहा है, इस बात का संकेतक है कि आयातों से पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता प्रभावित नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त, श्रीराम न्यूज प्रिंट लिमिटेड संयंत्र और मशीनरी में नियमित रूप से निवेश करने में लगा रहा है, अपने ऋणों को देता रहा है और नए अल्पावधि ऋण उठाता रहा है।
- य. सभी संबद्ध देशों से समग्र रूप से संबद्ध सामानों के लिए क्षति मार्जिन 2.5 प्रतिशत से कम है जिसे पाटनरोधी नियमावली के नियम 17 के तहत अपेक्षानुसार घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति नहीं कहा जा सकता।
- कक. प्राधिकारी ने बिना किसी स्पष्टीकरण के ऑस्ट्रेलिया से आयातों की पहुँच कीमत बढ़ाई है, जबकि 40 जीएसएम के अधिक कीमत वाले न्यूज प्रिंट को क्षेत्र से अब अलग किया गया है।
- खख. प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए संशोधित उत्पाद क्षेत्र के आधार पर न्यूजीलैंड और कोरिया गणराज्य से आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति की जांच करनी चाहिए कि क्या इन देशों से 42 जीएसएम और उससे अधिक के जीएसएम से घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।
- गग. प्राधिकारी इस अवधि में खराबियों तथा आग और बेकार हुई प्रिंटिंग मशीनों और कच्ची सामग्री की लागतों में वृद्धि को तथ्य मानने के मामले में विफल रहे हैं, जैसा कि श्रीराम न्यूज प्रिंट के मामले में हुआ है।
- घघ. आर्थिक मानदंडों में गिरावट अन्य उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि, कच्ची सामग्री का अभाव, आयातित कच्ची सामग्री में संदूषण और देश में कम रिसाइकिलिंग दरों के कारण है।
- ङङ. जांच की अवधि के दौरान और उस अवधि से तत्काल पूर्व संबद्ध सामानों की लागत संरचना पर क्षमता विस्तार की लागत के प्रभाव की जांच नहीं की गई है जिससे क्षति रहित कीमत का निर्धारण हुआ है और क्षति विश्लेषण का उल्लंघन हुआ है।
- चच. प्राधिकारी ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया है कि न्यूज प्रिंट के 46 घरेलू उत्पादक प्रदूषण मुद्दों के कारण बंद हुए हैं न कि पाटन के कारण।
- छछ. पेपर और पेपर बोर्ड से अपने 100 प्रतिशत राजस्व को सूचित करने वाले इमामी पेपर मिल्स के मुद्दे को प्राधिकारी द्वारा हल नहीं किया गया है।

- जज. प्रकाशकों के सामने विज्ञापन राजस्व में कमी और डिजिटल मीडिया के प्रयोग में वृद्धि के कारण पाठकों की कमी के कारण चुनौतियाँ आ रही हैं। प्रकाशक बहुत कम मार्जिन तथा हानि पर भी प्रचालन कर रहे हैं।
- झझ. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक कम हो जाएगा।
- अज. समाचार पत्र प्रति दिन परिचालन में लगभग 24 करोड़ प्रतियों का उत्पाद है। पाटनरोधी शुल्क के भुगतान के रूप में प्रकाशकों पर किसी अतिरिक्त लागत से सामान्य व्यक्ति और कुल मिलाकर जनता के लिए समाचार उपलब्ध कराने के स्वीकृत उद्देश्य पर भार पड़ेगा।

ट.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

144. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अधिकांश अनुरोध पुनरावृत्ति प्रकृति के हैं। इन अनुरोधों की इन अंतिम जांच परिणामों में उपयुक्त स्थानों पर पहले ही जांच कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के अतिरिक्त अनुरोधों की जांच निम्नलिखित रूप में की है:
- क. 42जीएसएम के न्यूज प्रिंट को बाहर रखने के अनुरोध के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने 42जीएसएम के न्यूज प्रिंट का उत्पादन किया है और उसकी बिक्री की है, यद्यपि उत्पादन और बिक्री सीमित मात्रा में हुई है। अतः 42जीएसएम का न्यूज प्रिंट विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर किया जा रहा है। हालांकि प्राधिकारी को तथ्य की जानकारी है कि घरेलू उद्योग द्वारा 42जीएसएम न्यूज प्रिंट का उत्पादन बहुत कम है और वह भारत में 42 जीएसएम न्यूज प्रिंट की मांग को पूरा करने के लिए काफी हद तक अपर्याप्त है। 42जीएसएम की मांग और घरेलू आपूर्ति के बीच भारी अंतर स्पष्ट रूप से दृष्टिगत है और प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते समय उस पर विचार किया गया है।
- ख. जहां तक 42 जीएसएम से कम के न्यूज प्रिंट को हटाने का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग 42 जीएसएम से कम के न्यूज प्रिंट का विनिर्माण नहीं करता और इसीलिए 42 जीएसएम से कम के न्यूज प्रिंट को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग करना उपयुक्त पाया गया है।
- ग. घरेलू उद्योग के इस अनुरोध के संदर्भ में कि आयातित और घरेलू सामानों के जीएसएम में अंतर कीमत कटौती और क्षति मार्जिन निर्धारित करते समय समायोजित किया जाना चाहिए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने स्वयं ही यह तर्क दिया है कि भिन्न जीएसएम के न्यूज प्रिंट का प्रयोग परस्पर आदान-प्रदान करके किया जाता है और इसीलिए घरेलू उद्योग का यह तर्क उनके अपने अनुरोध का ही विरोधाभासी है। यह नोट किया जाता है कि कीमत कटौती और क्षति मार्जिन की गणना विचाराधीन उत्पाद के लिए समग्र रूप से की गई है।
- घ. घरेलू उद्योग के इस तर्क के संबंध में कि ऑर्डर देने और वास्तविक आयातों में अंतर पर क्षति मार्जिन के निर्धारण में विचार नहीं किया गया है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस अंतराल को पहुँच मूल्य के परिकलन में कारक बनाया गया है और तदनुसार क्षति मार्जिन के निर्धारण में भी किया गया है।
- ङ. देश में मांग-आपूर्ति अंतराल के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मांग-आपूर्ति अंतराल पाटन को न्यायोचित नहीं ठहरा सकता और यह कि उचित कीमतों पर आयातों से ग्राहकों के हितों को नुकसान नहीं होना चाहिए।
- च. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित निम्न कोटि के न्यूज प्रिंट के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के दावे के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि किसी उत्पाद अपवर्जन की अनुमति पीयूसी की गुणवत्ता के आधार पर नहीं दी जा सकती है। हालांकि प्राधिकारी विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा व्यक्त की गई गुणवत्ता और आपूर्ति से संबंधित चिंताओं, विशेष रूप से घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित 42जीएसएम न्यूज प्रिंट के संबंध में इस मामले में पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते समय विधिवत् रूप से ध्यान देंगे।
- छ. व्यक्तिगत पाटन तथा क्षति मार्जिन के निर्धारण के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि उसका परिकलन सहयोगी उत्पादक/निर्यातक द्वारा दिए गए प्रश्नावली उत्तर में प्रस्तुत सूचना के आधार पर किया जाता है। तथापि, जहां कहीं भी विनिर्माता किसी समूह का भाग होते हैं तो समग्र रूप से समूहों के लिए भारित औसत मार्जिन निर्धारित किया जाता है। यह भी नोट किया जाता है कि जिस व्यापारी का किसी उत्पादक से कोई संपर्क नहीं है, उसे अलग मार्जिन नहीं दिया जा सकता।

- ज. पूरे वित्तीय वर्ष के साथ जांच की अवधि की तुलना के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच की अवधि के वार्षिकीकृत (12 माह) के आंकड़ों के साथ पूर्ण वित्तीय वर्षों के आंकड़ों की तुलना की गई है।
- झ. अलग-अलग देशों से हुए आयातों से क्षति के मूल्यांकन के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि नियमावली के अनुबंध-2 के पैरा (iii) में निर्धारित अपेक्षाओं की उचित जांच करने के बाद संचयी मूल्यांकन किया गया है।
- ञ. घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि क्षति के सभी संगत मानदंडों की इस जांच परिणाम में उपयुक्त रूप से जांच की गई है।
- ट. जहां तक ऑस्ट्रेलिया से आयातों की पहुँच कीमत के संबंध में उठाए गए मुद्दे का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने ऑस्ट्रेलिया से न्यूजप्रिंट के किसी भी उत्पादक की प्रतिभागिता के अभाव में डीजीसीआईएंडएस के आयात संबंधी आंकड़ों पर विश्वास किया है।
- ठ. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में कि प्राधिकारी को न्यूजीलैंड और कोरिया गणराज्य से भी आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति की जांच करनी चाहिए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्तमान जांच, जांच की शुरुआत की अधिसूचना में उल्लिखित संबद्ध देशों के विरुद्ध ही है।
- ड. अन्य कारकों के कारण क्षति की जांच के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को पाटित आयातों और क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क सिद्ध करने के लिए गैर-आरोपण विश्लेषण किया है।
- ढ. वोल्गा के पहुँच मूल्य को ठीक करने के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध के संबंध में, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए अनुरोध की जांच की है और वर्तमान जांच परिणाम में उपयुक्त संशोधन किए हैं।
- ण. हितबद्ध पक्षकारों ने सिंगापुर को इस आधार पर जांच के क्षेत्र से अलग करने का सुझाव दिया है कि वह अन्य मूल संबद्ध देशों के विचाराधीन उत्पाद के लिए एक व्यापारिक हब/बीजक देश है। इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि सिंगापुर से निर्यात की गई वस्तुओं को सिंगापुर के मूल की होने का दावा किया गया है और इसीलिए सिंगापुर वर्तमान जांच में एक संबद्ध देश है।

ड. भारतीय उद्योग के हित

145. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों का प्रयोजन सामान्य रूप में घरेलू उद्योग को अनुचित व्यापारिक परिपाटियों से होने वाली क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली एवं उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति पुनः स्थापित की जा सके जो कि देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी शुल्क लगाने से किसी भी तरह से संबद्ध देश/क्षेत्र से आयात प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसीलिए ग्राहकों को उत्पादों की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।
146. यह माना गया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से संबद्ध वस्तुओं का प्रयोग करने वाले विनिर्मित उत्पादों के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं और परिणामस्वरूप इस उत्पाद की तुलनात्मक प्रतिस्पर्धात्मकता पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा पाटनरोधी उपाय लगाने से, विशेषकर यदि पाटनरोधी शुल्क लगाना घरेलू उद्योग को क्षति का समाधान करने के लिए आवश्यक राशि तक प्रतिबंधित है, कम नहीं होगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपाय लागू करने से पाटन की परिपाटियों द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त होंगे, घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट रुकेगी और उपभोक्ताओं को संबद्ध वस्तुओं के व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी।
147. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा 42जीएसएम न्यूज प्रिंट का उत्पादन और बिक्री बहुत कम है तथा भारत में 42जीएसएम न्यूज प्रिंट की मांग को पूरा करने के लिए बहुत अधिक हद तक अपर्याप्त है। इस के अतिरिक्त भारत में न्यूज प्रिंट के आयातों का बहुत बड़ा हिस्सा 42जीएसएम का है। 42जीएसएम न्यूज प्रिंट के आयातों और घरेलू उद्योग द्वारा 42जीएसएम न्यूज प्रिंट के उत्पादन की मात्रा के बीच स्पष्ट रूप से तालमेल नहीं है। 42जीएसएम की घरेलू आपूर्ति और मांग में भारी अंतर है, जो स्पष्ट है और जिसे प्राधिकारी द्वारा 42जीएसएम न्यूज प्रिंट पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते समय उपेक्षा नहीं की जा सकती है। तदनुसार, प्राधिकारी सिफारिश करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क 42जीएसएम के न्यूज प्रिंट के आयातों पर नहीं लगाया जाना चाहिए।

च. निष्कर्ष

148. दिए गए तर्कों और दी गई सूचना, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों तथा प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध कराए गए तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि इन जांच परिणामों में रिकॉर्ड किया गया है तथा पाटन के उपर्युक्त विश्लेषण और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति के आधार पर प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि:
- क. विचाराधीन उत्पाद का संबद्ध देशों को पाटित कीमतों पर निर्यात किया जा रहा है।
 - ख. घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।
 - ग. विचाराधीन उत्पाद के पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कारणात्मक संबंध है।
 - घ. घरेलू उद्योग द्वारा 42जीएसएम के न्यूज प्रिंट का उत्पादन और बिक्री भारत में इस उत्पाद की मांग पर विचार करते हुए बहुत हद तक कम है। घरेलू उद्योग घरेलू आपूर्ति के माध्यम से 42जीएसएम न्यूज प्रिंट के आयातों को तत्काल प्रतिस्थापित करने और 42जीएसएम न्यूज प्रिंट की घरेलू मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकता है।

छ. सिफारिशें

149. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित की गई थी तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति एवं कारणात्मक संपर्क के पहलुओं के संबंध में सूचना प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। नियमावली के अनुसार, पाटन, क्षति एवं कारणात्मक संपर्क के संबंध में जांच शुरू करने और जांच करने पर तथा उन पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को सकारात्मक पाटन मार्जिन तथा वास्तविक क्षति सिद्ध होने पर, प्राधिकारी का यह मत है कि पाटन और क्षति को दूर करने के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता है।
150. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के भाग के रूप में 42जीएसएम न्यूज प्रिंट पर विचार किया है क्योंकि घरेलू उद्योग 42जीएसएम न्यूज प्रिंट का वास्तव में उत्पादन कर रहा है और बिक्री कर रहा है। हालांकि, घरेलू उद्योग द्वारा 42जीएसएम न्यूज प्रिंट का उत्पादन बहुत अधिक हद तक कम है और वह भारत में 42जीएसएम न्यूज प्रिंट की मांग पूरा करने में बहुत अधिक अपर्याप्त है। दूसरी ओर, भारत में न्यूज प्रिंट का लगभग 60 प्रतिशत आयात 42जीएसएम का है। इस प्रकार, 42जीएसएम न्यूज प्रिंट के आयातों और घरेलू उद्योग द्वारा 42जीएसएम न्यूज प्रिंट के उत्पादन की मात्रा में स्पष्ट रूप से तालमेल नहीं है। 42जीएसएम की मांग और घरेलू आपूर्ति में अंतर स्पष्ट है और 42जीएसएम न्यूज प्रिंट पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते समय उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। 42जीएसएम न्यूज प्रिंट पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से न्यूज पेपर उद्योग पर लागत के बोझ में भी वृद्धि होगी। ऐसा इसलिए है कि घरेलू न्यूज प्रिंट उद्योग, घरेलू आपूर्ति के माध्यम से 42जीएसएम न्यूज प्रिंट के आयातों को तत्काल प्रतिस्थापित करने तथा 42जीएसएम न्यूज प्रिंट की घरेलू मांग के उचित हिस्से को भी पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकता है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग और उपभोक्ता के हितों में संतुलन बनाए रखने के लिए इसे उपयुक्त माना गया है कि 42जीएसएम न्यूज प्रिंट के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश नहीं की जाए।
151. नियमावली के नियम 4(घ) के साथ पठित नियम 17(1)(ख) में निहित प्रावधानों के अनुसार, प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन से कमतर के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त की जा सके। तदनुसार, केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख 5 वर्षों की अवधि के लिए कनाडा, यूरोपियन संघ, रूस, सिंगापुर, आस्ट्रेलिया तथा यूएई के मूल की अथवा वहां से निर्यातित, शुल्क तालिका के कॉलम 3 में वर्णित वस्तुओं के सभी आयातों पर प्राधिकारी नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं।
152. इस प्रयोजन के लिए आयातों का पहुँच मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत सीमा शुल्क द्वारा निर्धारित मूल्यांकन योग्य मूल्य होगा और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9, 9क के तहत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर, सीमाशुल्कों का लागू स्तर होंगे।

शुल्क तालिका

क्रम सं.	शीर्ष	विवरण	मूल देश	निर्यातक देश	उत्पादक	राशि	यूनिट	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	4801	न्यूज प्रिंट*	आस्ट्रेलिया	आस्ट्रेलिया सहित कोई देश	कोई	शून्य	अमे. डॉ.	मी. टन
2	4801	न्यूज प्रिंट*	कनाडा, यूरोपीय संघ, रूस, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और यूएई को छोड़कर कोई देश	आस्ट्रेलिया	कोई	शून्य	अमे. डॉ.	मी. टन
3	4801	न्यूज प्रिंट*	कनाडा	कनाडा सहित कोई देश	i. व्हाइट बिर्च पेपर कंपनी ii. एफएफ सौसी डब्ल्यूबीएलपी iii. पेपियर्स मासोन डब्ल्यूबी एल पी iv. सताडाकोना डब्ल्यूबी एल.पी	14.70	अमे. डॉ.	मी. टन
4	4801	न्यूज प्रिंट*	कनाडा	कनाडा सहित कोई देश	i. कॉर्नर ब्रुक पल्प एंड पेपर लिमिटेड ii. क्रूगर ट्रॉइस-रिवयरिस एल. पी. क्रूगर ब्रॉम्पटन एल. पी. iii. क्रूगर ब्रॉम्पटन एल.पी.	54.25	अमे. डॉ.	मी. टन
5	4801	न्यूज प्रिंट*	कनाडा	कनाडा सहित कोई देश	क्रम सं. 3 और 4 को छोड़कर कोई उत्पादक	81.38	अमे. डॉ.	मी. टन
6	4801	न्यूज प्रिंट*	कनाडा, यूरोपीय संघ, रूस, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात को छोड़कर कोई देश	कनाडा	कोई	81.38	अमे. डॉ.	मी. टन
7	4801	न्यूज प्रिंट*	यूरोपीय संघ	यूरोपीय संघ सहित कोई देश	i. स्टोरा एन्सो पेपर एबी स्वीडन ii. स्टोरा एन्सो लैंजरब्रग एनबी बेल्जियम iii. स्टोरा एन्सो सचसेन जीएमबीएच, जर्मनी	48.78	अमे. डॉ.	मी. टन
8	4801	न्यूज प्रिंट*	यूरोपीय संघ	यूरोपीय संघ सहित कोई देश	i. गेब्रूदर लैंग जीएमबीएच पापियरफैब्रिक जर्मनी ii. रहीन पापियर जीएमबीएच, जर्मनी	23.26	अमे. डॉ.	मी. टन

					iii. यूपीएम कम्युनिकेशन पेपर ऑय, फिनलैंड iv. यूपीएम फ्रांस एस. ए. एस., फ्रांस v. यूपीएम जीएमबीएच, जर्मनी vi. यूपीएम-किन्ने (यूके) लि., यूनाइटेड किंगडम vii. यूपीएम-किन्ने ऑस्ट्रिया जीएमबीएच, ऑस्ट्रिया			
9	4801	न्यूज प्रिंट*	यूरोपीय संघ	यूरोपीय संघ सहित कोई देश	होलमेन पेपर एबी, स्वीडन	48.49	अमे. डॉ.	मी. टन
10	4801	न्यूज प्रिंट*	यूरोपीय संघ	यूरोपीय संघ सहित कोई देश	पेपरेसा, एस.ए. स्पेन	74.95	अमे. डॉ.	मी. टन
11	4801	न्यूज प्रिंट*	यूरोपीय संघ	यूरोपीय संघ सहित कोई देश	क्रम सं. 7, 8, 9 और 10 को छोड़कर कोई उत्पादक	91.31	अमे. डॉ.	मी. टन
12	4801	न्यूज प्रिंट*	कनाडा, यूरोपीय संघ, रूस, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और यूएई को छोड़कर कोई देश	यूरोपीय संघ	कोई	91.31	अमे. डॉ.	मी. टन
13	4801	न्यूज प्रिंट*	रूस	रूस सहित कोई देश	ज्वाइंट स्टॉक कंपनी मोनडी साइक्टाइवकर	88.60	अमे. डॉ.	मी. टन
14	4801	न्यूज प्रिंट*	रूस	रूस सहित कोई देश	ज्वाइंट स्टॉक कंपनी सोली कामस कबूमपोरम	14.27	अमे. डॉ.	मी. टन
15	4801	न्यूज प्रिंट*	रूस	रूस सहित कोई देश	करजला पल एलएलसी	50.09	अमे. डॉ.	मी. टन
16	4801	न्यूज प्रिंट*	रूस	रूस सहित कोई देश	ज्वाइंट स्टॉक कंपनी वोल्गा	35.34	अमे. डॉ.	मी. टन
17	4801	न्यूज प्रिंट*	रूस	रूस सहित कोई देश	क्रम सं. 13, 14, 15 और 16 को छोड़कर कोई उत्पादक	98.60	अमे. डॉ.	मी. टन
18	4801	न्यूज प्रिंट*	कनाडा, यूरोपीय संघ, रूस, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और यूएई को छोड़कर कोई देश	रूस	कोई अन्य	98.60	अमे. डॉ.	मी. टन
19	4801	न्यूज प्रिंट*	सिंगापुर	सिंगापुर सहित कोई देश	कोई अन्य	5.15	अमे. डॉ.	मी. टन

20	4801	न्यूज प्रिंट*	कनाडा, यूरोपीय संघ, रूस, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और यूएई को छोड़कर कोई देश	सिंगापुर	कोई अन्य	5.15	अमे. डॉ.	मी. टन
21	4801	न्यूज प्रिंट*	यूएई	यूएई सहित कोई देश	कोई अन्य	7.33	अमे. डॉ.	मी. टन
22	4801	न्यूज प्रिंट*	कनाडा, यूरोपीय संघ, रूस, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और यूएई को छोड़कर कोई देश	यूएई	कोई अन्य	7.33	अमे. डॉ.	मी. टन

* वह उत्पाद जिस पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की जा रही है, निम्नलिखित को छोड़कर रोल्स अथवा शीट्स में न्यूज प्रिंट है:

क. ग्लेज्ड न्यूज प्रिंट

ख. 42जीएसएम और 42जीएसएम से कम का न्यूज प्रिंट

झ. आगे की प्रक्रिया

153. इस सिफारिश के कारण केंद्र सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद एवं सेवा कर अपील अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

बी. बी. स्वेन, विशेष सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

FINAL FINDINGS

New Delhi, the 19th January, 2021

Case No. OI-31/2019

Subject: Anti-Dumping investigation concerning imports of “Newsprint in rolls or sheets, excluding glazed newsprint” originating in or exported from Australia, Canada, European Union, Hong Kong, Russia, Singapore and United Arab Emirates.

F. No. 6/40/2019-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as “the Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as “the Rules”) thereof.

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. The Designated Authority (hereinafter referred to as “Authority”) received an application dated 10th December, 2019 from Indian Newsprint Manufacturers Association (hereinafter also referred to as “Applicant”) on behalf of domestic producers namely, Emami Paper Mills Limited, Khanna Paper Mills Limited and Shree Rama Newsprint Limited requesting initiation of anti-dumping investigation

under the Act and the Rules on imports of “Newsprint, in rolls or sheets, excluding glazed newsprint”, (hereinafter also referred to as ‘subject goods’ or ‘product under consideration’ or ‘PUC’) originating in or exported from Australia, Canada, European Union, Hong Kong, Korea RP, New Zealand, Russia, Singapore and United Arab Emirates (UAE). The Applicant claimed dumping from Australia, Canada, European Union, Hong Kong, Korea RP, Russia, Singapore, New Zealand and UAE and consequent injury to the petitioning domestic producers. However, injury margin from New Zealand & Korea RP based on Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) import data was negative. Accordingly, the present investigation was initiated against Australia, Canada, European Union, Hong Kong, Russia, Singapore and UAE.

2. The Authority, on the basis of prima facie evidence submitted by the Applicant, issued notification No. 6/40/2019-DGTR dated 20th January, 2020, published in the Gazette of India, initiating the investigation in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules to determine existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods, originating in or exported from Australia, Canada, European Union, Hong Kong, Russia, Singapore and UAE, and to recommend the amount of ADD, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the Domestic Industry.

B. PROCEDURE

3. The procedure described herein below has been followed with regard to the investigation:
 - i. The Authority notified the Embassies of Australia, Canada, European Union, Hong Kong, Russia, Singapore and UAE in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Sub-Rule (5) of Rule 5 supra.
 - ii. The Authority issued a public notice dated 20th January, 2020 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from Australia, Canada, European Union, Hong Kong, Russia, Singapore and UAE.
 - iii. The Authority sent a copy of the initiation notification dated 20th January, 2020 to the Embassies of Australia, Canada, European Union, Hong Kong, Russia, Singapore and UAE in India, the known producers and exporters from these countries, known importers, importer/user Associations, the Domestic Industry as well as other domestic producers, and other interested parties as mentioned in the application, and requested them to make their views known in writing within the prescribed time limit, in accordance with Rules 6(2) and 6(4) of the Rules.
 - iv. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Embassies of Australia, Canada, European Union, Hong Kong, Russia, Singapore and UAE in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules supra.
 - v. The Embassies of Australia, Canada, European Union, Hong Kong, Russia, Singapore and UAE in India were also requested to advise the exporters/producers from their respective countries to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the known producers/exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject countries.
 - vi. The Authority, upon several requests made by the interested parties from time to time, granted multiple extensions of time up to 20th May, 2020 to file their responses as well as submissions.
 - vii. The following Governments provided written submissions:
 - a. Embassy of Canada, New Delhi;
 - b. Embassy of Hong Kong, New Delhi;
 - c. Embassy of Spain, New Delhi;
 - d. European Delegation, New Delhi;
 - e. Ministry of Economic Development, Russian Federation;

- viii. The Authority sent questionnaires to the following known producers/exporters in Australia, Canada, European Union, Hong Kong, Russia, Singapore and UAE in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules:
- a. Adoniss Limited, Hong Kong
 - b. Amigo Techpro Limited, Hong Kong
 - c. Anika International FZE, UAE
 - d. Catalyst Pulp and Paper Sales Inc., Canada
 - e. Central National - Gottesman E, Austria
 - f. Central National Asia Limited, Hong Kong
 - g. Central National Canada ULC, Canada;
 - h. Corner Brook Pulp And Paper Limited, Canada
 - i. Elof Hansson Trade AB, Sweden;
 - j. FIS Trading Gmbh, Austria;
 - k. Focus Corporation, Korea RP;
 - l. Go Paper GMBH UND CO. KG, Germany;
 - m. Go Paper Pte Limited, Singapore;
 - n. Indo Global Commercials (FZE), UAE;
 - o. Inkor, Austria;
 - p. International Fibre Resources P Limited, Singapore;
 - q. Jacob Jurgensen Papier UND, Germany;
 - r. Jeonju Paper Corporation, Korea RP;
 - s. Joint Stock Company Volga, Russia;
 - t. Kruger Inc., Canada;
 - u. KTP Exports Pte Limited, Singapore;
 - v. LLC Karjala-Pulp, Russia
 - w. Mepco Gulf Commodities DMCC, UAE
 - x. Norcell Asia, Singapore
 - y. Otck Inc, Canada
 - z. Papresa S.A, Spain;
 - aa. Print Media Trading FZE, UAE
 - bb. Resolute FP US Inc, Canada;
 - cc. Sandy Limited, Hong Kong;
 - dd. Stora Enso Langerbrugge N.V, Belgium
 - ee. Tradecom Services Pte Limited, Singapore
 - ff. Trigon Gulf FZCO, UAE;
 - gg. UPM Sales Oy, Tampere Finland
 - hh. Wilfried Heinzl Ag., Austria
- ix. In response, the following exporters/producers have filed the exporter's questionnaire response:
- a. Amigo Techpro Limited, Hong Kong
 - b. Anika International FZE, UAE;

- c. BD White Birch Investment LLC Delaware, USA;
- d. Central National Asia, Hong Kong
- e. Central National Canada ULC, Canada;
- f. Central National Gottesman Europe GMBH, Austria;
- g. Central National Gottesman Inc., USA;
- h. Corner Brook Pulp and Paper Limited, Canada;
- i. FF Soucy WB General Partner Limited (GP), Canada;
- j. FIS Trading GMBH, Austria;
- k. Gebruder Lang GmbH Papierfabrik, Germany
- l. Go paper GMBH& Co. KG, Germany;
- m. Go Paper Pte Limited, Singapore;
- n. Holmen Paper AB, Sweden;
- o. Horizon Focus Limited, Hong Kong;
- p. Indo Global Commercial FZE, UAE;
- q. Inkor GmbH, Austria;
- r. J. Ungerth AB, Sweden;
- s. Jacob Jurgensenpapier und zellstoff GMBH, Germany;
- t. Joint Stock Company Kondopoga Pulp and Paper Mill, Russia;
- u. Joint Stock Company Volga, Russia;
- v. JSC Solikamskumprom, Russia;
- w. Karjala Pulp LLC, Russia;
- x. Kruger Brompton L.P., Canada;
- y. Kruger Trois-Rivieres L.P., Canada;
- z. Mepco Gulf Commodities DMCC, UAE;
- aa. Mondi Paper Sales GmbH, Austria;
- bb. Mondi Syktyvkar JSC, Russia;
- cc. OTCL Inc, Canada;
- dd. Papier Masson WB General Partner Limited, Canada;
- ee. Papresa S. A. (Papresa), Spain;
- ff. Print Media Trading FZE, UAE;
- gg. Printex SIA, Latvia;
- hh. PTG Paper Trading Group SA, Switzerland;
- ii. Resolute FP US Inc., Canada;
- jj. Rhein Papier GmbH, Germany
- kk. RKP Hongkong Limited, Hong Kong.
- ll. Sandy Limited, Hong Kong;
- mm. Stadacona WB General Partner Limited, Canada;
- nn. Stora Enso Langerbrugge NV, Belgium;
- oo. Stora Enso Paper AB, Sweden;
- pp. Stora Enso Sachsen GmbH, Germany;

- qq. Tradecom Services Pte Limited, Singapore;
- rr. Trigon Gulf FZCO, UAE;
- ss. UPM Communication Papers Oy, Finland;
- tt. UPM France S.A.S., France;
- uu. UPM GmbH, Germany
- vv. UPM Sales OY, Finland;
- ww. UPM-Kymmene (UK) Limited;
- xx. UPM-Kymmene Austria GmbH, Austria;
- yy. VC Paper Resources Pte Limited, Singapore;
- zz. White Birch Management Corporation, USA;
- aaa. White Birch Paper Canada Company NSULC, Canada;
- bbb. Wilferied Heinzel AG, Austria;
- x. The Authority sent Importer's Questionnaire to the following known importers/ users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
 - 1) Aaj Ka Anand Papers Limited, Maharashtra;
 - 2) Aaj Press, Allahabad;
 - 3) Aajkaal Publishers Private Limited, Kolkata;
 - 4) ABP Private. Limited, Kolkata;
 - 5) Acharan Printers Private Limited, Gwalior;
 - 6) Action India, Delhi;
 - 7) Action India, Delhi;
 - 8) Active Sandesh, Rajasthan;
 - 9) Aftab Press, Srinagar;
 - 10) Akhbar e Mashriq Private Limited, Delhi;
 - 11) Amar Ujala Limited, Uttar Pradesh;
 - 12) Amar Ujala Publication Limited, Lucknow;
 - 13) AnandaVikatan Publishers Private Limited, Tamil Nadu;
 - 14) Arihant Media Promoters, Meerut;
 - 15) Assam Tribune Private Limited, Assam;
 - 16) Bennet Coleman & Co. Limited, Mumbai;
 - 17) Bennett Coleman & Co Limited, Uttar Pradesh;
 - 18) Bhaskar Prakashan Private. Limited, Madhya Pradesh;
 - 19) Business Standard Private Limited, New Delhi;
 - 20) Chaitanya Lok, Madhya Pradesh;
 - 21) City Media, Ambala;
 - 22) CMYK Printech Limited, New Delhi
 - 23) Daily Hindi Milap, Andhra Pradesh;
 - 24) Daily Metro Encounter, Jalandhar;
 - 25) Daily Thanthi, Tamil Nadu;
 - 26) Dainik (daily) Navajyoti, Rajasthan;

- 27) Dainik Bhaskar, Jaipur;
- 28) Dainik Jagran Press, Allahabad;
- 29) Dainik Saveria News & Media Network, Punjab;
- 30) Delhi Press Patra Prakashan Private Limited, New Delhi;
- 31) Eastern Media Limited, Odisha;
- 32) Employment News, Delhi;
- 33) G. Shantikumari Devi, Manipur;
- 34) Gurgaon Mail, Haryana;
- 35) Gurgaon Today, Gurgaon;
- 36) H.T Media Limited, Delhi;
- 37) HT Media Limited, New Delhi;
- 38) Ideal Publications Trust, Kerala;
- 39) Insight Brandcom Private Limited, Assam;
- 40) Jagati Publications Limited, Andhra Pradesh;
- 41) Jagran Prakashan Limited (JW), Noida;
- 42) Jaipur Bureau, Jaipur;
- 43) Jannayak, Jaipur;
- 44) JK Printing & Publication, Jammu;
- 45) Kailash Print Media Private. Limited, Hamirpur;
- 46) Kasturi & Sons Limited, Chennai;
- 47) Khabron Ki Duniya, Rajasthan;
- 48) Living Media India Limited, Uttar Pradesh;
- 49) Lok Bharti, Kanpur;
- 50) Lok Prakashan Limited, Gujarat;
- 51) Madhya Pradesh Today Media Limited, Madhya Pradesh;
- 52) Madhya Pradesh Today Media Private, Bhopal;
- 53) Mail Today Newspapers Private Limited, Delhi;
- 54) Manjushree Talukdar, West Bengal;
- 55) Metro Herald, Ahmedabad;
- 56) Midday Info Media, Navi Mumbai;
- 57) Morning News, Jaipur;
- 58) Nava Bharat Press (Nagpur), Maharashtra;
- 59) Navajet Printers & Media Private Limited, Odisha;
- 60) Navlok Times, Agra;
- 61) Naya India, Delhi;
- 62) News Today Media Private Limited, Tamil Nadu;
- 63) Patrika, Gwalior;
- 64) People Samachar, Bhopal;
- 65) Pradhan Times, Haridwar;
- 66) Pratidin Akhabar, Maharashtra;

- 67) Punjab Kesari, Jalandhar;
 - 68) Rajasthan Pradeep, Bikaner;
 - 69) Rajhans Publications, New Delhi;
 - 70) Rashtriya Chhavi, Ganganagar;
 - 71) Ratan Offset, Bikaner;
 - 72) Rozana Spokesman, Mohali;
 - 73) Sakal Media Private Limited, Maharashtra;
 - 74) Samyukta Karnataka, Karnataka;
 - 75) Sandhya Border Times, Ganganagar;
 - 76) Sangam Papers Corporation, Uttar Pradesh;
 - 77) Sanmarg Private Limited, West Bengal;
 - 78) Sarhad Kesri, Fazilka;
 - 79) Satwik Production Private. Limited, Ranchi;
 - 80) Saurashtra Trust, Maharashtra;
 - 81) Seema Sandesh, Ganganagar;
 - 82) Shah Times, Muzaffarnagar;
 - 83) SPR Publication Private Limited, Andhra Pradesh;
 - 84) Summa Real Media Private Limited, Odisha;
 - 85) The Daily Kashmir Frontier, Srinagar;
 - 86) The Hawk Daily, Haridwar;
 - 87) The Hind Samachar Limited, Shimla;
 - 88) The Indian Express (P) Limited, Noida;
 - 89) The Printers (Mysore) Limited, Karnataka;
 - 90) The Statesman Limited, West Bengal;
 - 91) The Tribune Trust, Chandigarh;
 - 92) Thomson Press India Limited, Delhi;
 - 93) Times Press, Srinagar;
 - 94) Trinity Printers And Publishers Limited, Delhi;
 - 95) United Bharat, Allahabad;
 - 96) Ushodaya Enterprises Private Limited, Telangana;
 - 97) V5 Publications Private Limited;
 - 98) Vigilant Media Private Limited, Chandigarh.
 - 99) Vil Media Private Limited, Hyderabad;
 - 100) Visalaandhra Vignana Samithi, Andhra Pradesh;
- xi. In response, the following importers/users have responded and filed importer's questionnaire response/legal submissions:
- 1) ABP Private Limited
 - 2) Amar Ujala Limited
 - 3) Bennett, Coleman & Co. Limited.
 - 4) Dainik Bhaskar Corp. Limited

- 5) Eastern Media Limited
 - 6) Hindustan Media Ventures Limited;
 - 7) HT Media Limited
 - 8) Jagran Prakashan Limited
 - 9) Lok Prakashan Limited
 - 10) Poddar Gobal Private Limited
 - 11) Sakal Media Private Limited
 - 12) The Malayala Manorama Co Limited
 - 13) THG Publishing Private Limited
 - 14) Ushodaya Enterprises Private Limited
- xii. The Authority forwarded a copy of the Notification to the following known user associations of subject goods in India calling for necessary information, in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
- 1) The Indian Newspaper Association
- xiii. The following associations filed their response:
- 1) The Indian Newspaper Association
 - 2) Save Our Society
- xiv. In addition, the following have also submitted letters of registration/legal submissions:
- 1) Amar Ujala Limited
 - 2) Catalyst Pulp and Paper Sales Inc, Seattle, WC
 - 3) Confederation of European Paper industries (CEPI)
 - 4) D. B Corp Ltd.
 - 5) Employment News
 - 6) HT Media Limited
 - 7) HT Media Ventures Limited
 - 8) THG Publishing private Limited
- xv. The period of investigation (POI) for the purpose of the present investigation is 1st April, 2019-31st December, 2019 (9 months). The injury analysis period covers 2016-17, 2017-18, 2018-19 and the POI.
- xvi. Transaction-wise imports data for the POI and the preceding three years was procured from the DGCI&S and Directorate General of Systems (DGS). The Authority has relied upon data of DGCI&S and DGS for calculating the volume and value of imports of the subject goods in India.
- xvii. Further information was sought from the Applicants to the extent deemed necessary. Verification of the data provided by domestic industry was conducted to the extent considered necessary for the purpose of present investigation.
- xviii. The Authority made available the non-confidential version of the submissions made by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties. A list of all interested parties was uploaded on DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties since the public file was not accessible physically due to ongoing global pandemic.
- xix. The domestic industry has submitted financial data duly certified by their Chartered/Cost Accountant. The Non-injurious Price (NIP) based on the optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic

industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Rules has been worked out so as to ascertain whether anti-dumping duty (ADD) lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.

- xx. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing held on 4th December 2020 through video conferencing. The parties, which presented their views in the oral hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions.
- xxi. The submissions made by the interested parties, arguments raised and information provided by various interested parties during the course of investigation, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority in these Final Findings.
- xxii. The Authority, during the course of investigation, satisfied itself as to the accuracy of the information supplied by the interested parties, which forms the basis of these Final Findings, to the extent possible and verified the data / documents submitted by the domestic industry to the extent considered relevant and possible.
- xxiii. The information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- xxiv. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority considered such interested parties as non-cooperative and recorded these Final Findings on the basis of the facts available.
- xxv. In accordance with Rule 16 of the Rules, the essential facts of the investigation were disclosed to the known interested parties vide Disclosure Statement dated 24th December, 2020 and comments received thereon, considered relevant by the Authority, have been addressed in these final findings. The Authority notes that most of the post disclosure submissions made by the interested parties are mere reiteration of their earlier submissions. However, the post disclosure submissions to the extent considered relevant are being examined in these Final Findings.
- xxvi. *** in these Final Findings represents information furnished by an interested party on confidential basis, and so considered by the Authority under the Rules.
- xxvii. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is US\$1= ₹ 71.24.

C. SCOPE OF PRODUCT UNDER CONSIDERATION (PUC) AND LIKE ARTICLE

4. At the stage of initiation, the PUC was defined as follows:

“Newsprint is an uncoated paper of a kind used for the printing of newspapers, of which not less than 50% by weight of the total fibre content consists of wood fibres obtained by a mechanical or chemi-mechanical process, unsized or very lightly sized, having a surface roughness Parker Print Surf (1 Mpa) on each side exceeding 2.5 micrometres (microns), weighing not less than 40 g/m² and not more than 65 g/m² and;

a. in strips or rolls of a width exceeding 28 cm; or

b. in rectangular (including square) sheets with one side exceeding 28 cm and the other side exceeding 15 cm in the unfolded state.”

C.1 Submissions of the domestic industry

5. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the scope of PUC or like article.

- i. The product under consideration is newsprint in rolls or sheets excluding glazed newsprint. Newsprint is commonly available in 40, 42 and 45 GSM. Domestic industry has majorly produced and sold 42 and 45 GSM newsprint but has the capacity to produce 40 GSM as same machines are used to produce 45, 42 and 40 GSM newsprint. 40 GSM has not been produced only because of lack of orders.
- ii. Newsprint of different GSM are similar in terms of physical properties, commercial and technical substitutability.
- iii. The product under consideration is classified under the HS code 48010090 but also imported under 480110010.
- iv. To manufacture newsprint, Indian industry uses recycled paper, which is converted to pulp/fibre where it loses all the properties of paper and is as good as pulp/fibre obtained from the wood directly. The process of obtaining fibre is a chemi-mechanical process as defined in customs classification 4801.
- v. The Designated Authority has held that domestic newsprint is like article to imported newsprint in the previous anti-dumping investigation.
- vi. It is submitted that 42 GSM cannot be excluded on grounds of low quantities, as the law only requires consideration of whether like article was produced. The domestic industry has not only produced 42 GSM, but has also supplied the same to the users participating in the investigation.
- vii. It has not been demonstrated that 45 and 42 GSM newsprint are not like article. The imports of 40, 42 and 45 GSM compete in the same market, as is evident from the fact that the users shifted to the 45 GSM produced by the domestic industry in 2018-19, when the price of imported products increased.
- viii. 40 GSM was priced higher in the injury period and accounted for lower share. During the period of investigation 40 GSM became cheaper, despite higher cost, which lead to increase in its demand.
- ix. Domestic producers have the capacity to manufacture 40 GSM newsprint as no new set up is required. 42 GSM has been produced by the domestic industry to the extent it had orders, 40 GSM has not been produced due to lack of orders.
- x. The users consumed the domestic newsprint in 2018-19, when the price of imported products was higher. However, when the price of imported products reduced in the period of investigation, the users shifted to the imported products. This shows that the imported and domestic products are like article, as no new machines were set up by the users.
- xi. Reliance on Oxo Alcohols Industries' Association Vs. DA is misplaced as the exclusion in the said case was on the basis that the domestic industry was not producing the like article, which is not the case in the present investigation.
- xii. Contrary to the contentions in this regard, there are no differences in the technical characteristics of product produced using pulp or recycled paper as raw material. In any case, a number of producers in the subject countries are also producing newsprint using recycled paper or mix of recycled paper and wood pulp.
- xiii. Irrespective of whether pulp or recycled paper is used, first fibre is extracted and the said fibre is used for production of newsprint.
- xiv. The petitioner has never stated that the quality of 42 GSM newsprint produced by it is not accepted by customers, but rather asserted, users are not buying from it due to presence of lower priced imports.
- xv. With regard to the contention that use of domestic newsprint on high-speed presses is not feasible, it is submitted that Shree Rama Newsprint has been supplying to TOI for past 25-30 years. The rewinders of domestic producers run at a speed much more than the high-speed machines of consumers and the newsprint does not tear on that. Further, the user associations should give details of how many users are using high speed machines, to substantiate their claim that users would suffer due to imposition of duties.

- xvi. Further, during the lockdown, printers wrote to government stating that they need newsprint produced by the domestic producers, including Emami Paper Mills and Lohia Paper and Board Private Limited, and that these producers should be allowed to operate.
- xvii. In reply to the contention that WAN-INFRA report stated that Indian newsprint needs improvement, it is submitted that the report was published in 2012 and the industry has developed and changed since then. In 2019, Indian newsprint was tested by the government in CPPRI labs and the reports showed that Indian newsprint is comparable to imported newsprint.
- xviii. No test report has been provided by the consumers to prove that the domestic and imported newsprint differ in quality. The users did not face any difficulty in using domestic newsprint in 2018-19 when the import prices were high. The decrease in demand of domestic newsprint is on account of cheap imports and not due to quality.
- xix. At the time of registration under the Newsprint Control Order, each producer was required to provide certificates from 3 newspapers that the quality of paper is satisfactory and acceptable to them for printing of their publication. Domestic newsprint conforms to BIS Standards.
- xx. The reference to website of Shree Rama Newsprint and Khanna Paper Mills that they produce only 45 and 48.8 GSM products is not warranted as different newsprint of GSMs are like article to each other. There is no requirement that each domestic producer produces each type of newsprint.
- xxi. Replying to the contention that specialty newsprint should be excluded, it is urged that the respondents have not clearly defined the product which warrants exclusion. Further, newsprint of different specifications can be produced on the same machines after minor modifications. Hence, bright or bulky cannot be distinguishing factors. These products are also commercially substitutable.
- xxii. The respondents have sought clarification if machine finished specialty products by UPM are within the scope, but they have not explained what sets these apart from newsprint manufactured in India. If they fall within the definition of product under consideration, they should be included.
- xxiii. Contrary to the claims of other interested parties, demand of 45 GSM is more than 10% which is evident from the data submitted.

C.2 Submissions of other interested parties

- 6. The following submissions have been made by other interested parties with regard to the scope of PUC or like article:
 - i. Newsprint below 45 GSM, which includes 40, 42 and 43 GSM, is required to be excluded from the scope of the product under consideration as the domestic industry does not produce such products in commercial quantities.
 - ii. Imported newsprint of 40-42 GSM produced using wood pulp cannot be considered as like article to domestically produced newsprint produced using recycled paper which is inferior in terms of quality control, tensile strength, opacity, brightness, porosity, printability and production process and cannot be used in modern high-speed printing press. Further, various market studies substantiate such claims.
 - iii. Newsprints with lower grammage have more printable area, are used less in an equivalent print run, require less roll preparation, less tape, result in less paper waste, require fewer deliveries, are less damaged, have low storage requirements and have fewer web brakes. It is also environmentally better as well as economically viable since consumers benefit from a 6% saving between 45 GSM and 42.5 GSM and another six per cent from 42.5 GSM to 40 GSM.
 - iv. Domestic newsprint is not like article as compared to imported newsprint as per the DIPP Annual Report for 2010-11 which states that imports are required to meet domestic demand owing to the quality considerations since some newsprint manufactured in India is not very suitable for high speed printing presses.
 - v. WAN-IFRA in its report compared the quality of Indian newsprint with imported newsprint and suggested that Indian Newsprint needs improvement in several areas such as grammage

- control as it causes huge loss to publishers and concluded that Indian newsprint was inferior in terms of grammage, shade of the newsprint, tensile strength and roughness.
- vi. Many publishers have complained of torn papers, pin holes and poor reel joints as reasons for web breaks and multiple mails exchanged with petitioner and domestic producers prove quality issues faced with domestically produced newsprint.
 - vii. Website of Khanna Paper Mills and Shree Rama Newsprint indicate that they produce only 45 and 48.8 GSM newsprint.
 - viii. It is a consistent practice of the Authority to exclude the products not manufactured by the domestic industry and the same was done in investigation related to high speed steel, cold rolled stainless steel sheets, hot rolled flat products of stainless steel, plain medium density fibre board, viscose filament yarn, coated paper, elastomeric filament yarn and Resin or other organic substances bonded wood or ligneous fibre boards.
 - ix. CESTAT has supported exclusion of products not manufactured by domestic industry in Dead Burnt Magnesite (DBM) from China - Indian Refractory Makers Association Vs DA, Magnet User Association Vs. Designated Authority and Oxo Alcohol Industries vs. DA.
 - x. Specialty newsprints like high bright, bulky, etc. which are different in terms of cost, GSM and technical specifications and are not manufactured by the domestic industry and should be excluded from the scope of product under consideration.
 - xi. The Authority should compare the subject goods on an apple-to-apple comparison as the White Birch Group has sold various GSM newsprint and specialty newsprint in domestic market while in Indian market only certain GSMs are imported.
 - xii. Product manufactured by the domestic industry is not commercially substitutable or interchangeable to the products sold by UPM Group and cannot be considered as “like article”.
 - xiii. Machine Finished Speciality products i.e. UPM Brite, UPM Eco Prime, UPM Opalite and UPM Books are not produced in India and a clarification is necessary as to whether these products are covered under the scope of the present investigation.
 - xiv. Clarification by the Authority is required if Newsprint Hi-Brite, Newsprint Bulky, Newsprint Bulky Hi-Brite are included in the scope of present investigation.
 - xv. Clarification by the Authority is required if newsprint produced from 100% recycled pulp which has more than 50% of wood fibre content through deinking process which is not a mechanical or chemi-mechanical process forms part of this investigation.
 - xvi. Clarification by the Authority is required if high bulky printing newspapers produced using 50% wood fibre pulp and 50% recycled fibre pulp which is not a standard newsprint is covered under present investigation.
 - xvii. The petition has defined unit of measurement of product under consideration in terms of area expressed as Lakh Square Meter whereas they have admitted that product under consideration is sold in MT.
 - xviii. The petitioner has falsely claimed that they have capacity to produce Newsprint of 42 GSM while they have made submissions stating that they have not produced and sold said newsprint in commercial quantities.
 - xix. The petitioner has wrongfully claimed that they have not produced Newsprint of 40 GSM due to lack of purchase orders despite 95% of imports in the country being of said newspaper. Such claim of the petitioner must be denied or the petitioner must be required to provide reason why the consumers have not placed any order with them.
 - xx. The case which is cited by the domestic industry was investigated in 1997-98. Therefore, to compare those facts with the facts of the current case, on technical or commercial ground, is simply preposterous. Neither the interested parties raised the issue of inclusion of 40 GSM and 42 GSM within the scope of the product under consideration nor the Authority examined the same in the earlier investigation conducted by the Authority (Preliminary as well as Final Findings). Therefore, the claim made by the applicant producers that the Designated Authority

- in the previous anti-dumping investigation has already held that the newsprint manufactured by the domestic industry is like article to the newsprint imported in India is misplaced.
- xxi. Majority of imports in India are of Newsprint of 40-42 GSM which are high in demand as opposed to the petitioner's claim that Newsprint of 45 GSM is being imported into the country.
 - xxii. Newsprint of 40-42 GSM cannot be produced on machinery used to produce Newsprint of 45 GSM without installing balancing equipment and necessary technological changes.
 - xxiii. Newspaper Print Media houses who have invested heavily in high-speed printing presses prefer imported newsprint of lower grammage due to their consistent quality contrary to the petitioner's claim that majority media houses have lower speed machines which have no difficulty in using domestically produced Newsprint.
 - xxiv. The quality of Newsprint of 45 GSM produced using recycled paper is bound to deteriorate by the process of recycling over and over again and therefore, it cannot match the quality of newsprint made out of virgin pulp/ fibre.
 - xxv. As per the list of daily newspapers with circulation of more than 100,000 copies available with the Directorate of Advertising & Visual Publicity, such publishers use high speed printing machines which prefer Newsprint with lower grammage.
 - xxvi. The domestic industry admitted in the oral hearing that production of newsprint of 42 GSM was only for trial which was not acceptable to the users.
 - xxvii. The usage of domestic newsprint leads to loss of revenue from advertisements for newspaper publishers on account of its low printing quality.
 - xxviii. The petitioner has falsely submitted that Newsprint of different GSMs are similar in terms of physical properties, commercial and technical substitutability, contrary to the WAN-IFRA report.

C.3 Examination by the Authority

- 7. The submissions made by the domestic industry and other interested parties with regard to the PUC related issues have been examined and addressed hereunder.
- 8. Newsprint is an uncoated paper of a kind used for the printing of newspapers, of which not less than 50% by weight of the total fibre content consists of wood fibres obtained by a mechanical or chemi-mechanical process, unsized or very lightly sized, having a surface roughness Parker Print Surf (1 Mpa) on each side exceeding 2.5 micrometres (microns), weighing not less than 40 g/m² and not more than 65 g/m² and apply only to paper;
 - a. in strips or rolls of a width exceeding 28 cm; or
 - b. in rectangular (including square) sheets with one side exceeding 28 cm and the other side exceeding 15 cm in the unfolded state
- 9. Newsprint is generally made by a mechanical milling process, without the chemical processes that are often used to remove lignin from the pulp. The lignin causes the paper to become brittle and yellow when exposed to air or sunlight. Traditionally, newsprint was made from fibers extracted from various softwood species of trees (most commonly, spruce, fir, balsam fir or pine). However, an increasing percentage of the newsprint world over is now made with recycled fibers.
- 10. The Indian industry uses recycled paper to manufacture the product while a number of producers in subject countries manufacture the product under consideration using wood pulp. It is noted that some of the producers in the subject countries also use recycled paper to manufacture the subject goods. It is further noted that the use of different raw materials does not render the final product different. Recycled paper and wood are both first converted into pulp/fibre. The production process post the stage of obtaining pulp remains the same and the final product obtained is similar in terms of physical and chemical properties. Thus, the difference in raw material does not render the domestic newsprint distinct from newsprint produced using wood pulp.
- 11. Many interested parties have claimed that newsprint of 42 GSM and below should be excluded from the scope of product under consideration, as it is not being produced by the domestic industry. No

producer can produce the product in significant volumes without demand from the customers. In this regard the authority notes that the domestic industry has produced and sold newsprint of 42 GSM in the present case and therefore exclusion of the same from scope of PUC is not warranted. The authority further notes that it is an admitted position that the production and sale of 42 GSM newsprint by the domestic industry is extremely low as compared to the demand of this particular grade in India and this fact would be duly considered by the authority while making its recommendation for levy of anti-dumping duty in this case.

12. The Authority notes that the domestic industry has admitted that it is not producing newsprint of less than 42 GSM. Therefore, the Authority holds to exclude newsprint of less than 42 GSM from the scope of product under consideration.
13. Some interested parties have also claimed that high bulk and high bright newsprint should be excluded from the scope of product under consideration. However, in the absence of a clear distinction and specification of the product, any product exclusion based on such non-specific parameters would be too vague to implement and may render any anti-dumping duty imposed ineffective. Further, the domestic industry has submitted that brightness and bulk can be achieved by making minor modifications to the production process, and this does not require additional investment. For instance, to achieve a higher brightness, a better waste paper may be used, or more bleaching may be done. Therefore, it cannot be considered that such products are commercially and technically distinct. Accordingly, the Authority does not find any merit in the request for these exclusions.
14. Machine finished speciality products such as UPM Brite, UPM Eco Prime, UPM Opalite and UPM Books identified for exclusion by the exporter are brand names. The interested parties have not identified products for which exclusion has been sought in terms of their attributes, specification and properties. Nor the interested parties have identified distinguishing features to enable separate categorisation of such products. Further, the interested parties have not shown how such products are not commercially and technically substitutable with the domestic product. Unless justification to that effect is given with requisite evidence, it will not be appropriate to exclude these from the scope of product under consideration.
15. After examining the submissions made by all the interested parties, the Authority notes that the product under consideration is “Newsprint in rolls or sheets, excluding
 - a. Glazed newsprint and
 - b. Newsprint of less than 42 GSM”.
16. Newsprint is classified under customs classification 4801. However, customs classification is indicative and not binding on the scope of product under consideration.
17. It is noted that imports of Newsprint of 42 and above GSM from Hong Kong in the POI is below *de-minimis* in terms of volume. Hence, the subject countries of this investigation are Australia, Canada, European Union, Russia, Singapore and UAE.

D. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

D.1 Submissions of the domestic industry

18. The following submissions have been made by the Applicants with regard to the domestic industry and standing:
 - i. The present Application has been filed by the Indian Newsprint Manufacturers Association.
 - ii. The following producers have participated in the investigation and have provided the required information for the purpose of present petition:
 - a. Shree Rama Newsprint Limited
 - b. Emami Paper Mills Limited
 - c. Khanna Paper Mills Limited
 - iii. The petition has been supported by 24 domestic producers of the product. Two companies have provided data in the format prescribed for supporting producers.

- iv. The petitioning domestic producers account for 32% of the total domestic production and along with supporters account for 83% of total domestic production.
- v. When the three largest producers of newsprint are suffering due to dumping, there is no basis to the claim that small producers are not suffering. The application has been supported by numerous small producers.
- vi. Domestic industry has requested the other producers to provide information but cannot compel them to do so. However, domestic producers expressed difficulty in compiling information according to prescribed format.
- vii. Trade Notice 11/2018 states that parties which do not file information as per formats shall also be allowed to participate in the investigation. Exporters, importers and users routinely participate in investigation without filing responses.
- viii. The support letter of Aadityaaswin Paper Mills has been filed by the producer directly before the Authority and not through the Association.
- ix. The minutes of the meeting and list of members have been enclosed in the confidential version of the petition.
- x. Contrary to the allegation, the petitioner has identified producers and supporters. Other producers accounting for 17% production have not expressed support or opposition. Even if such producers are considered opposing the investigation, the test of standing is satisfied.
- xi. There is no merit in the contention that the supporters expressed support initially and subsequently refused to provide information as the supporters never purported that they shall be providing further data. The Authority initiated the investigation after satisfying itself with the information on record, that is, the letters of support.
- xii. In the present case no producer has expressed opposition. Even if supporters are excluded, the domestic producers will fulfil the requirement as laid down in Rule 5(3).
- xiii. Contrary to claims in this regard, under the explanation to Rule 5(3), the production of producers expressing support must exceed 50% of the production of that proportion of the producers expressing either support or opposition, and not the total Indian production.
- xiv. Responding to allegations in this regard, it is submitted that only one plant of Malu paper has switched to NPUC and the other plant has undertaken production and this is evident from the support letter itself. The production of Nepa Limited has been considered nil while determining standing.
- xv. The contention that Emami Paper has reported that Paper and paperboard contribute to 100% revenue and hence is not a producer of newsprint is misleading as newsprint is itself a part of paper and paperboard division.
- xvi. Responding to allegations that Khanna Paper derives major revenue from writing printing paper, it is submitted that Khanna Paper Mills is not required to show that product under consideration constitutes a major share of their total turnover.
- xvii. As against the contention of other interested parties, the Appellate body in EC – Fasteners did not hold that 27% cannot be major proportion but noted that major proportion should be determined providing ample data that ensures accurate analysis. In Lubrizol (India) Pvt. Ltd. vs. DA, it was held that 31% constitutes major proportion.
- xviii. In a number of investigations, the Authority has considered a share of about 30% as major proportion.
- xix. The other interested parties have not shown how the production constituted by the domestic producers is not representative of the domestic producers as a whole.

D.2 Submissions of other interested parties

19. The following submissions have been made by other interested parties regarding the scope of domestic industry and standing:

- i. As per the application, the total production of three Applicants in the POI is 31.2% and around 31% for the entire injury period. Even if the supporters are considered, the production number reaches 51%, which does not meet the requirements of a major proportion of domestic production as laid down under Rule 5 and 2(b) of the Rules and there are many rulings/orders by various authorities across world in this regard, both in letter and spirit.
- ii. The share of the applicant producers in the total production is only 31.2% and thus, cannot be considered as major proportion under Rule 2(b) of the AD Rules applying the test laid down in EC-Fasteners (China).
- iii. The petitioner fails to pass the mandatory test of standing of more than 50% as enunciated in Rule 5(3) of the AD Rules.
- iv. Petitioning companies having diversified business operation, an examination of whether non-newsprint operations have been excluded to determine eligibility is needed.
- v. 30-32% of producers cannot be representative of entire industry.
- vi. Companies supporting the petition have not complied with Trade Notices No. 13/ 2018 and 14/2018.
- vii. The supporters initially expressed their support but subsequently refused to provide information as required by the Trade Notice.
- viii. The petitioner has accepted that providing support to petitioning companies is only a signature campaign. Even though earlier supporting companies used to file support in form of a simple letter, the objective of Trade Notice is to get meaningful and sufficient information from the supporters.
- ix. In view of the refusal of the producers to participate even though they are before the Authority, an injury analysis cannot be meaningfully completed.
- x. The supporters' participation is required to be disregarded due to their non-compliance with aforementioned Trade Notices.
- xi. INMA has failed to provide documents such as copy of by-laws, memorandum of association, details of managing structure, copy of the minutes of the meeting in which it was resolved that the association will file the anti-dumping petition in its petition to enable the interested parties make meaningful comments.
- xii. The applicant association has not identified various categories i.e., applicant producers, supporter, opposing petitioner and neutral or silent producers, which is critical to apply 25% and 50% eligibility test to determine standing of the Domestic Industry.
- xiii. The Association has not submitted authorisation letters issued in its favour by the applicant producers authorising it to file the application and a list of members who supported, opposed or remained neutral with respect to the application.
- xiv. Emami paper has, in the activities section of Annual Report for FY 2019-20, reported that Paper and Paperboard contribute to 100% of turnover. Emami Paper has thus not produced Newsprint in 2019-20 and is not a domestic producer.
- xv. Manufacture of Writing Printing Paper accounts for 99.72% of turnover of Khanna Paper and therefore it cannot support the petition as it does not satisfy the definition of Domestic Industry.
- xvi. The petitioner has included some of domestic producers in list of supporters and at the same time also included them in list of units closed down (e.g., NEPA Limited and Malu Limited).
- xvii. The petitioner has not disclosed the names of the "other producers" in the updated petition which have been considered for determining the total production of the domestic producers in India.
- xviii. The estimates of total domestic production in India extended by the petitioner are mere assertions and not based on credible information.
- xix. The Authority must include other domestic producers as a constituent of the 'domestic industry' since the petitioner has consistently claimed that many Indian producers are on the verge of the shutdown on account of imports.

D.3 Examination by the Authority

20. Rule 2(b) of the Rules defines domestic industry as under:

“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”.

21. The application in the present case has been filed by Indian Newsprint Manufacturers Association (INMA) on behalf of the domestic industry. The following members (hereinafter referred to as the “petitioning domestic producers”) of INMA have provided their complete costing information.

- a. Emami Paper Mills Limited
- b. Khanna Paper Mills Limited
- c. Shree Rama Newsprint Limited

22. In addition to the aforesaid three companies, who have provided their costing data, following twenty-four (24) producers have supported the application.

- a. Akula Boards Private Limited
- b. Aadityaaswin paper Mills Private Limited
- c. Anand Triplex Board Limited
- d. Chadha Papers Limited
- e. Chamunda Papers Private Limited
- f. GVG Paper Mills Private Limited
- g. Lohia Paper & Board Private Limited
- h. Magnum Ventures Limited
- i. Malu Paper Mills Limited
- j. Nepa Limited
- k. N R Agarwal Industries Limited
- l. Rama Paper Mills Limited
- m. Sangal Papers Limited
- n. Sapphire Papers Mill (P) Limited
- o. Shree Krishna Paper Mills & Industries Limited
- p. Shree Rajeshwaranand Paper Mills Limited
- q. Shri Hari Krishna Papers Private Limited
- r. Shah Paper Mills Limited
- s. Shah Pulp & Paper Mills Limited
- t. Sri Ramadas Paper Boards Private Limited
- u. Sripathi Paper & Boards (P) Limited
- v. Surya Chandra Paper Mills Private Limited
- w. Vamshadhara Paper Mills Limited
- x. Venkatalakshmi Paper and Boards Private Limited

23. Further, Anand Triplex Board Limited and Malu Paper Mills Limited have provided the information prescribed vide Trade Notice 13/2018.

24. It is noted that the Association has submitted all the relevant documents, including registration certificate, memorandum and articles of association, list of members and minutes of the meeting wherein a decision was passed to file the said application. Thus, the arguments in this regard need no further examination.
25. Some interested parties have contended that the production of other products produced by the petitioning domestic producers should not be considered while determining standing. It is clarified that the Authority has considered only the production of like article for the purpose of the present analysis of standing and injury, in accordance with the law and consistent practice.
26. As per the evidence available on record, the production of the applicant domestic producers and supporters is as under.

Particulars	Production in POI	Share in total production
Applicant producers	189,532	32%
Supporters	303,593	51%
Applicant + Supporters	493,125	83%
Other producers	99,063	17%
Total	592,188	100%

27. The Authority notes that the applicant domestic producers account for 32% of the total production, and together with supporters account for 83% of the total production. Some interested parties have contended that supporters' data may be disregarded on account of non-filing of the relevant information in terms of Trade Notice 13/2018 and that their production may not be considered for the purpose of standing. They have further contended that a share of 32% cannot be considered as a major proportion of domestic production.
28. The Authority notes that "a major proportion of the total domestic production of the like article" as mentioned in Rule 2(b) is to be read with Rule 5 (3) of the Rules, which requires domestic producers expressly supporting the petition to account for not less than 25% of the total domestic production and the production of parties opposing the petition to be less than the production of petitioners and supporters of the petition. In the present case both these requirements are duly satisfied.
29. Further, the applicant producers have not imported the subject goods into India and are not related to an exporter or importer thereof. The Authority, therefore, holds that the applicant producers constitute domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

E. CONFIDENTIALITY

E.1 Submissions of the domestic industry

30. The following submissions have been made by the domestic industry regarding confidentiality:
- The exporters' questionnaire responses need to be rejected as excessive confidentiality has been claimed by the producers / exporters in terms of names of related parties and publicly available information. The whole response has been redacted instead of the confidential information and the requirements of Trade Notice 7/2018 have not been fulfilled.
 - Contrary to the allegations of the respondent, the domestic industry has justified the confidentiality claimed by it with good cause.
 - Format H for domestic industry has been provided according to Trade Notice 10/2018. There is no requirement of providing Format H for individual producers.
 - Contrary to the allegation, the non-injurious price of each producer has been provided. The calculation of price underselling is not required to be provided.
 - Production process and name of raw material is provided in the non-confidential petition. It is not possible to identify funds raised for the product under consideration separately.

- vi. There is no requirement on the domestic producers to provide segment specific financial statements.

E.2 Submissions of other interested parties

- 31. The following submissions have been made by other interested parties regarding confidentiality:
 - i. The applicant has not provided product or business segment specific financial statements and have instead provided link to the website of the companies which only include consolidated financial statements for all business activities.
 - ii. The applicant has not shown good cause for claiming excessive confidentiality. The Appellate Body in European Communities – Definitive Anti-Dumping Measures on Certain Iron or Steel Fasteners from China, held that the party claiming confidentiality must show good cause.
 - iii. The applicant has not made available the proper non-confidential version of the injury parameters as required under Rule 7 of the Rules and Article 6.5 of the WTO Anti-Dumping Agreement.
 - iv. Information related to sales value, PBIT, Total PBIT, interest, depreciation and price undercutting has been provided in trends instead of aggregate data as required under Trade Notice No.10/2018.
 - v. The applicant has claimed excessive confidentiality regarding (i) net selling price and price undercutting, (ii) share of domestic industry and supporters in Indian production, and (iii) Formats A to L which has prevented any reasonable comments on such submissions.
 - vi. Format H of individual producers does not even have the indexed numbers.
 - vii. The applicant has claimed funds raised are as per the balance sheet and claimed the balance sheet of Khanna paper confidential.
 - viii. The applicant must submit a statement of reasons as to why summarization of information is not possible, statement that “the summarization of the information is not possible” cannot fulfil the legal requirement.
 - ix. The right to provide comments on information used by the Authority is an important component of right available to the respondent as held in EC – Fasteners (China) and Guatemala – Cement II. In Clear Float Glass sunset review against Pakistan, Saudi Arabia and UAE, the Authority rejected the request for confidentiality of the domestic industry.
 - x. The Authority must evaluate the claims for confidentiality of information and not designate information as confidential without a proper examination as held by Supreme Court in Sterlite Industries (India) Ltd. v. Designated Authority.
 - xi. Excessive confidentiality has been claimed in violation of Trade Notice No. 1/2013.
 - xii. Since deficiency letter has been issued to producers/exporters, the same must be issued to the applicant.
 - xiii. Producers/ exporters have submitted responses as per the questionnaire format prescribed by the Authority and complying with Trade Notice No. 10/2018.
 - xiv. Sandy Limited, JSC Solikamskbumprom and Indo Global Commercials FZE have provided relevant information regarding related parties involved in production/sales/purchase of subject goods as per Trade Notice 10/2018.
 - xv. The applicant has wrongly named Anika International FZE as having violated confidentiality norms without listing out which the norms were violated.

E.3 Examination by the Authority

- 32. The Authority made available non-confidential version of the information provided by various interested parties to all interested parties through the public file containing non-confidential version of evidences submitted by various interested parties for inspection as per Rule 6(7) of the Rules.
- 33. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of the Rules provide as follows:

“Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule(2) of rule 12, sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”

34. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidence submitted by various interested parties by directing the interested parties to share the non-confidential version of submissions with each other through e-mails. The information related to imports, performance parameters and injury parameters of domestic industry have been made available in the public file. Business sensitive information has been kept confidential as per practice. The Authority notes that any information which is available in the public domain cannot be treated as confidential.
35. The Authority has considered the claims of confidentiality made by the Applicants and the opposing interested parties and on being satisfied about the same, the authority has allowed the claim on confidentiality. Due to Covid 19 pandemic, the Authority directed all the interested parties to share the non-confidential version of submissions made by each interested party with other interested parties through e-mail.

F. Miscellaneous Issues

F.1 Submissions of the domestic industry

36. The following submissions have been made by the domestic industry, in response to the contentions of other interested parties:
 - i. Once the investigation is initiated, there is no requirement of filing updated petition, and instead, the domestic industry is required to provide updated data as per the period of investigation decided by the Authority. This requirement has been fulfilled by the domestic industry.
 - ii. At the stage of updating the data, there were some errors in earlier data which have been corrected. The change has not led to change in trend of injury parameters. Domestic industry is willing to offer complete verification of its data.
 - iii. Replying to the contention that the non-confidential petition has been filed after the date of initiation, it is submitted that the same is the practice of the Authority that non-confidential version is filed post initiation and there is no irregularity in filing such a petition 2 days later.
 - iv. The Authority had increased the period of investigation from 6 months to 9 months. Even if another quarter is added, it will be seen that the performance of domestic industry has deteriorated.
 - v. The imposition of anti-dumping duty is not against the public interest as anti-dumping duty does not restrict the imports into the country but only ensures that they are available at fair prices.

- There is no demand-supply gap in the country. While consumers have right to freedom of speech and expression, the producers also have a right to carry on their business.
- vi. Contrary to the allegations, the imposition of anti-dumping duty is in public interest as it will reduce the unnecessary dependence on imports and help the country to move towards Aatmanirbhar Bharat. Freedom of speech and expression justifies the need of a strong domestic industry in India.
 - vii. COVID-19 has impacted both domestic producers and consumers. The pandemic does not justify dumping.
 - viii. The applicant has not requested for PCN but has merely stated that it has no objections.
 - ix. The production process of domestic producers is more environment friendly as it relies on wastepaper avoiding deforestation.
 - x. The petitioner has undertaken a thorough analysis of imports and selected only those countries which are dumping into India.
 - xi. Tradecom Services PTE Limited cannot be excluded from the scope of anti-dumping investigation as the investigation is concerning imports of subject goods originating in or exported from the subject countries. The exporter has submitted the certificate of origin to the Customs Authority.
 - xii. The applicant has provided import data in PDF form as per the Trade Notice. CESTAT order was issued at the time when Authority did not allow the interested parties to procure DGCI&S data but now the practice has changed. No prejudice has been caused to the interested parties in the current investigation.

F.2 Submissions of other interested parties

37. The following submissions have been made by other interested parties:

- i. The applicant has not shared the petition with updated period of investigation.
- ii. Adoption of PCN methodology after the oral hearing will delay the issuance of the Final Findings.
- iii. A period of 9 months is insufficient to make an objective assessment into alleged dumping and injury, and the causal link between the two particularly when such period coincides with a period when global markets for recycled Newsprint products started to stabilize and readjust after the initial shock from changing Chinese policies.
- iv. The imposition of duty will adversely affect the interests of the user industry as well as Government's 'Make in India' initiative by raising the price of the raw materials.
- v. In Newspaper Print Media industry, invariably the cost of production of Newspaper is higher than the sales price realized from a reader. Hence, advertisement revenue compensates losses incurred in the sale of Newspaper and has no bearing on cost of Newsprint as wrongly stated in the Petitions.
- vi. The applicant must not be allowed to submit new information related to the applicant producers and supporters at such belated stage of the investigation.
- vii. In compliance with the CESTAT order in case of Exotic Décor Pvt. Ltd. and Ors. v. Designated Authority, the Authority is requested to ensure excel version of soft copy of import data is made available by the petitioner for the period of investigation and the injury period before the Authority.
- viii. Imposition of duty will be against public interest as there is a demand-supply gap, it will impact the price of newspaper which will affect the demand of newspaper and newsprint and it will render the reduced custom duty, redundant. It will also affect the Freedom of speech and expression.
- ix. Since the outbreak of pandemic, the newspaper circulation has already been affected.

F.3 Examination by the Authority

38. It is noted that the Authority initiated the present investigation based on the data/information provided by the domestic industry and by prima facie satisfying itself that there is sufficient evidence of dumping, injury and causal link.
39. Some of the interested parties have submitted that the period of investigation of 9 months is not sufficient to examine dumping and injury due to global supply shortage in 2018. The Authority notes that the period of investigation may range from 6 months to 18, depending on the facts of each case. The Committee on Anti-Dumping Practices has also recommended that the period of investigation should be of not less than 6 months, with an injury period of at least three years. The period of investigation and injury period considered by the Authority are consistent with the recommendations of the Committee. Further, while the domestic industry proposed a period of 6 months as period of investigation, the Authority has considered a longer period of 9 months. The period of investigation considered by the Authority is appropriate as the import price fell sharply during this period. Further, the imports have increased significantly during this period, when compared to the preceding year – both in absolute terms and in relation to production & consumption. Further, the other interested parties have themselves claimed that the prices of newsprint had increased in 2018-19 due to global factors, and the period as aberrational. That being the case, such a period could not be considered within the scope of the period of investigation. Accordingly, the Authority holds that the period of investigation considered is appropriate.
40. The interested parties have also highlighted certain irregularities in the data of the domestic industry. The Authority has verified the data of the domestic industry and has taken such verified data, after duly examining the adequacy and accuracy thereof. Only such verified data has been considered for the purpose of the present findings.
41. Some interested parties have submitted that imposition of anti-dumping duty is not in the public interest. It is noted that the imposition of anti-dumping duty will not restrict the imports into the country and will only ensure that the imported products are available at fair prices. The imposition of anti-dumping duty will not lead to scarcity of subject goods in India. There is no demand-supply gap in the Country. Dumping of the product has led to material injury to not only the present domestic industry, but also other domestic producers in the Country. Further, none of the interested parties have quantified how such imposition will not be in public interests.
42. Some interested parties have submitted that imposition of anti-dumping duty on the subject goods will affect the freedom of speech and expression in India. It is noted that there being sufficient capacity in India to meet the demand, the circulation of newspapers will not be impacted by the imposition of duties. In any case, the imports would continue to be available at un-dumped and fair prices, and thus, the availability of the product under consideration would not be impacted.
43. Some interested parties have submitted that imposition of anti-dumping duty will adversely affect Government's 'Make in India' initiative. It is however noted that protection of domestic industry from unfair and dumped imports will not be inconsistent with the Make in India initiative. Contrary to the arguments of the interested parties, the domestic industry contended that the country is self-sufficient in the product and imports are unnecessary.
44. Some interested parties have argued that the import data has been provided to them by the petitioner in the form which is not in the manner provided to the Authority. It is noted that the Authority had already authorised all the interested parties which sought authorisation for obtaining DGCI&S transaction-wise data. Further, the petitioner has provided import segregation methodology in the petition. The import data has been provided to the interested parties as per the Trade notice issued by the Directorate. This being the case no prejudice appears to have been caused to the interested parties.
45. Tradecom Services PTE Limited has claimed that its goods should be excluded as they are not produced in the subject countries, and only exported from Singapore. It is clarified that the scope of the present investigation is goods originating in the subject countries. The Authority has considered only those imports as imports from subject countries, which have been declared to customs authorities as goods originating in these subject countries. Any party is free to export goods originating in third countries without payment of anti-dumping duty, in the event of Authority recommending and Central Government imposing duty.

G. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DETERMINATION OF DUMPING AND DUMPING MARGIN

46. As per section 9A(1)(c) of the Act, the normal value in relation to an article means:

(i) the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when destined for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either -

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory to an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

G.1 Submissions of the domestic industry

- i. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to normal value, export price and dumping margin:
- ii. The applicant has referred to various market reports to determine the normal value in the subject countries. Wherever such reports were not available the normal value has been determined on the basis of imports into the subject countries.
- iii. Normal value for the European Union and Canada has been determined based on Intra-EU trade data & report of Resolute Forest Product for Canada, respectively. However, for other countries domestic selling price was not available and therefore import data of the PUC into that country has been relied upon.
- iv. The export price has been determined based on CIF price as per DGCI&S data duly adjusted for ocean freight, marine insurance, commission, port expenses and inland freight.
- v. The dumping margin is significant.
- vi. During the oral hearing, none of the exporters argued that there is no dumping, implying that all exporters are aware that there is significant dumping in the country.
- vii. Since the import price is the price of the like article when destined for consumption in the exporting country, it can serve as basis for normal value under Section 9A(1), in the absence of evidence regarding direct selling price.
- viii. As the import price and domestic selling price work in tandem with each other, the import price can be considered as consumption price in the domestic market of the subject countries for the purpose of normal value determination.
- ix. In the past as well, normal value was determined on the basis of imports into the subject country in the case of CPVC and Polystyrene at the stage of initiation, and also in the preliminary findings in the case of Rubber Chemicals viz. MBT, CBS, TDQ, PVI and TMT originating in or exported from China and PX 13 (6PPD) from China and Korea RP, and in final findings in the case of Rubber Chemicals namely 'PX13' originating in or exported from Chinese Taipei, European Union; 'MOR' originating in or exported from China PR, European Union & USA; and 'TDQ' originating in or exported from Chinese Taipei and European Union.

- x. Replying to contention that inability to obtain data cannot be a reason for erroneous determination of normal value, it was submitted that at the stage of petition, the applicant is only required to provide best available information.
- xi. On the contention that normal value determined is incorrect as information relied upon related to aggregate sale of newsprint in Canada, USA and export to other countries, it was submitted that the applicant was only required to provide prima facie evidence of dumping and cannot be expected to have information regarding actual prevailing prices in the country.
- xii. The public records did not indicate any difference between newsprint imported in Russia and that exported from Russia. No difference is apparent between prices of different GSM.
- xiii. The petitioner has no objection to adjustment for a fair comparison. A comparison cannot be made on GSM-wise basis as it is not a PCN. Different GSMs are used interchangeably. There was no PCN in the previous investigation as well.
- xiv. The interested parties should establish that the prices were unstable for both domestic and export markets. However, as the dumping margin is not de-minimis, it is evident that the prices were not unstable.
- xv. On the contention that the price increase in EU happened later as compared to India, the Authority is requested to consider date of invoice on one hand and imports into India on other hand for such determination.
- xvi. On the contention that the prices peaked in 2018 in India and in 2019 in EU and came back to levels of previous years, once demand and supply re-balanced it is submitted that the respondents have not provided data to show that dumping has not happened post period of investigation. Dumping law does not envisage an examination of why dumping occurred.
- xvii. The petitioner has no objection if the respondents are able to prove that they are not dumping by providing appropriate evidence. Indian printers enter into long term agreements of 3 – 6 months. However, as soon as import prices declined such contracts with the domestic industry were cancelled.

G.2 Submissions of other interested parties

47. The following submissions have been made by other interested parties with regard to determination of normal value, export price and dumping margin:
- i. Normal value, export price and dumping margin should be calculated based on the information submitted by the producers/ exporters after making due adjustments in the dumping margin calculations to ensure a fair comparison of normal values and export prices.
 - ii. The producers / exporters have filed questionnaire responses providing complete supply chain for majority of the export sales transactions originating in or exported from the subject countries.
 - iii. The petitioner has tried to misdirect the investigation by submitting that the producers/ exporters did not deny allegation of dumping, which is incorrect since the arguments of the interested parties cannot be appreciated in isolation.
 - iv. Determination of normal value for Papresa SA based on Intra-EU Trade value is erroneous since the product sold in EU is of different quality, is priced much higher and is different than product exported to India in terms of physical characteristics and end use, machines used for manufacturing, difference in production process and cost of production and factors affecting selling price and negotiations.
 - v. The normal value for Russia should be calculated based on significant sales in China rather than sales in Russian market.
 - vi. Corner Brook Pulp and Paper Limited, Kruger Trois-Rivieres L.P. and Kruger Brompton L.P have filed the questionnaire responses and individual dumping margins should be determined for them.

Indian parent company of Indo Global Commercials FZE is not an importer of subject goods and thus, is not part of value chain in the present investigation.

- vii. Poddar Global Private Limited, which is the parent company of Sandy Limited has participated in the investigation by way of filing the Importers' Questionnaire Response as is evident from the list of interested parties issued by the Authority on its website.
- viii. Paper Trading Group (PTG) and its holding company Wallenberg SA are not related to companies engaged in production of subject goods.
- ix. The normal value and export prices for Canada as determined by the petitioner are incorrect and the same should be based on the responses filed by the producers/ exporters in order to calculate their dumping and injury margin.
- x. The normal value determination based on price of imports into the subject countries is violative of Section 9A(1)(c) of Customs Tariff Act.
- xi. The normal value determined based on price of goods imported into Russia is inaccurate since imports in Russia are generally of newsprint of 48 GSM which is used by premium business press and is used for printing of reference books.
- xii. The Authority should compare the subject goods on an apple-to-apple comparison as the respondent has sold various GSM newsprint and specialty newsprint in domestic market while in Indian market only certain GSMs are exported.
- xiii. 6/9 months period of investigation had unstable global newsprint prices after global supply shortage in 2018 which led to exceptionally high price levels.
- xiv. DGTR is also requested to make adjustments in dumping margin calculations to ensure a fair comparison of normal values and export prices. Price increase on EU market happened later as compared to India due to market structure and was also significantly less pronounced when compared to India.
- xv. Prices peaked in 2018 in India and 2019 in the EU and came back to levels of previous years, once supply and demand re-balanced.
- xvi. Indian printers do not agree to enter into long-term price contracts and imports are made as spot sales. Therefore, any changes in global supply and demand have an immediate effect on the Indian market price.
- xvii. Comparison of export prices from Canada to USA and to India is not appropriate since it is not clear whether prices for same grammage of product have been considered. Further, prices of commodities are market driven and dependent on local economic conditions including length of supply contract, terms of delivery, etc.

G.3 Examination by the Authority

48. Under section 9A (1) (c), normal value in relation to an article means:
- i. *The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or*
 - ii. *When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:*
 - a. *comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
 - b. *the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);*
49. The Authority sent questionnaires to the known producers/exporters from the subject countries, advising them to provide information in the form and manner prescribed by the Authority. The following producers/exporters have participated in the present investigation.
- a. Amigo Techpro Limited, Hong Kong;

- b. Anika International FZE, UAE;
- c. BD White Birch Investment LLC Delaware, USA;
- d. Central National Asia, Hong Kong;
- e. Central National Canada ULC, Canada;
- f. Central National Gottesman Europe GmbH, Austria;
- g. Central National Gottesman Inc., USA;
- h. Corner Brook Pulp and Paper Limited, Canada;
- i. FF Soucy WB General Partner Limited (GP), Canada;
- j. FIS Trading GmbH, Austria;
- k. Gebruder Lang GmbH Papierfabrik, Germany
- l. Go paper GmbH & Co. KG, Germany;
- m. Go Paper Pte Limited, Singapore;
- n. Holmen Paper AB, Sweden;
- o. Horizon Focus Limited, Hong Kong;
- p. Indo Global Commercial FZE, UAE;
- q. Inkor GmbH, Austria;
- r. J. Ungerth AB, Sweden;
- s. Jacob Jurgensenpapier und zellstoff GmbH, Germany;
- t. Joint Stock Company Kondopoga Pulp and Paper Mill, Russia;
- u. Joint Stock Company Volga, Russia;
- v. JSC Solikamskbumprom, Russia;
- w. Karjala Pulp LLC, Russia;
- x. Kruger Brompton L.P., Canada;
- y. Kruger Trois-Rivieres L.P., Canada;
- z. Mepco Gulf Commodities DMCC, UAE;
- aa. Mondi Paper Sales GmbH, Austria;
- bb. Mondi Syktyvkar JSC, Russia;
- cc. OTCL Inc, Canada;
- dd. Papier Masson WB General Partner Limited, Canada;
- ee. Papresa S. A. (Papresa), Spain;
- ff. Print Media Trading FZE, UAE;
- gg. Printex SIA, Latvia;
- hh. PTG Paper Trading Group SA, Switzerland;
- ii. Resolute FP US Inc., Canada;
- jj. Rhein Papier GmbH, Germany
- kk. RKP Hongkong Limited, Hong Kong.
- ll. Sandy Limited, Hong Kong;
- mm. Stadacona WB General Partner Limited, Canada;
- nn. Stora Enso Langerbrugge NV, Belgium;
- oo. Stora Enso Paper AB, Sweden;

- pp. Stora Enso Sachsen GmbH, Germany;
 - qq. Tradecom Services Pte Limited, Singapore;
 - rr. Trigon Gulf FZCO, UAE;
 - ss. UPM Communication Papers Oy, Finland;
 - tt. UPM France S.A.S., France;
 - uu. UPM GmbH, Germany;
 - vv. UPM Sales OY, Finland;
 - ww. UPM-Kymmene (UK) Limited;
 - xx. UPM-Kymmene Austria GmbH, Austria;
 - yy. VC Paper Resources Pte Limited, Singapore;
 - zz. White Birch Management Corporation, USA;
 - aaa. White Birch Paper Canada Company NSULC, Canada;
 - bbb. Wilferied Heinzl AG, Austria
50. The responses of the cooperating producers/exporters have been examined for determining Normal Value, Export Price and Dumping Margin.
51. It is noted that Tradecom Service Pte Ltd. (referred to as 'Tradecom') has filed the Exporters' Questionnaire Response. Tradecom is not a producer of Newsprint. It is an exporter of Newsprint from Singapore. The Newsprint exported by Tradecom to India does not originate from any of the subject countries. No response has been filed by the producer of the subject goods. Since the normal value is determined and anti-dumping duty is recommended on a producer-specific basis, the Authority finds that an individual dumping margin cannot be recommended for Tradecom in the absence of participation of the concerned producer.
52. It is noted that from the response filed by Joint Stock Company Kondopoga Pulp and Paper Mill that there is neither any domestic sales nor any exports made to India during the POI. Hence, the Authority finds that an individual dumping margin cannot be recommended for Joint Stock Company Kondopoga Pulp and Paper Mill.
53. Since the response of Resolute FP US Inc. was not complete, the Authority finds that an individual margin cannot be recommended for Resolute FP US Inc

G.3.1. Determination of normal value

54. For the determination of the ordinary course of trade test, the cost of production of the product concerned was examined with reference to the records maintained by the producer/exporter. Further, all domestic sales transactions were examined with reference to the cost of production determined by the Authority of the subject goods to determine whether the domestic sales were in the ordinary course of trade or not. In order to determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to cost of production of subject goods. In case profit-making transactions are more than 80% then the Authority considered all the transactions in the domestic market for the determination of the normal value. However, where the profitable transactions are less than 80%, only profitable domestic sales have been taken into consideration for the determination of normal value. However, wherever all transactions were found to be loss making or did not pass the sufficiency test or there was no response from a subject country(ies), the normal value has been constructed in terms of Rules.

Normal Value for all producers from Australia

55. The Authority notes that none of the producers from Australia have participated in the present investigation. Accordingly, the Authority has determined the normal value for Australia on the basis of facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules and the same is indicated in the dumping margin table given below.

Normal Value for cooperating producers from Canada**(i) White Birch Paper Company**

56. Based on the information furnished in the EQ responses, the Authority notes that White Birch Paper Company Group (WBG) is a producer of the subject goods and has exported the subject goods to India during the POI through unrelated traders. The group sells the subject goods in the domestic market as well as export markets including India under the brand name “White Birch Paper Company”. It is further noted that FF Soucy WB General Partner Ltd. (GP) (Producer / Exporter), Papier Masson WB General Partner Ltd (Producer / Exporter), Stadacona WB General Partner Ltd (Producer / Exporter), White Birch Paper Canada Company NSULC (Holding company of the manufacturing companies / mills), BD White Birch Investment LLC Delaware, USA (Management company), White Birch Management Corporation, USA (Management company), VC Paper Resources Pte Ltd, Singapore (Unrelated exported) and Amigo Techpro Ltd, Hong Kong (Unrelated exported) have filed respective questionnaires in the prescribed formats.
57. The weighted average of the normal value of the producing companies / mills have been considered as the normal value of WBG. The WBG has claimed Inland Freight, packing cost and storage as post factory expenses, and the same has been accepted by the Authority. The normal value determined as above is mentioned in the dumping margin table.

(ii) Kruger Group

58. Kruger Trois-Rivières L.P., Kruger Brompton L.P. and Corner Brook Pulp and Paper Ltd filed the questionnaire responses. During the POI, Kruger Brompton L.P. did not export the subject goods in India. These producers/ exporters have claimed adjustments on account of post sales expense which has been allowed by the Authority. Accordingly, normal value determined for Kruger Group is mentioned in the dumping margin table below.

Normal Value for non-cooperating producers from Canada

59. The Authority has determined normal value for non-cooperating producers/exporters from Canada on the basis of facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules and the same is indicated in the dumping margin table given below.

Normal Value for cooperating producers from EU**(i) Stora Enso Group**

60. During the POI, three legal entities i.e. Stora Enso Paper AB, Stora Enso Langerbrugge NV and Stora Enso Sachsen GmbH (hereinafter collectively referred to as “Stora Enso”) that are part of the Stora Enso Group were involved in the production of PUC. These three entities have sold the PUC directly in the domestic market. Stora Enso has claimed adjustments on account of inland freight, insurance, debit/credit note, handling charge, storage, credit costs, commission and other expenses. The Authority has accepted all the adjustments. The normal value at ex-factory level for the three entities has been determined accordingly, and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

(ii) UPM Group

61. During the POI, the following seven (7) legal entities that are part of the UPM group were involved in the production of PUC:
- UPM-Kymmene (UK) Ltd., United Kingdom
 - RheinPapier GmbH, Germany
 - UPM Communication Papers Oy, Finland
 - UPM France S.A.S., France
 - UPM GmbH, Germany
 - Gebrüder Lang GmbH Papierfabrik, Germany
 - UPM-Kymmene Austria GmbH, Austria

62. UPM-Kymmene Corporation ultimately holds the aforementioned UPM producing companies. UPM-Kymmene Corporation also holds UPM Sales Oy, Finland, which is the sales entity of the aforementioned producing entities. All the aforementioned UPM entities are hereinafter referred to as “UPM”. The aforementioned seven UPM producing entities sell the products in the domestic market through UPM Sales Oy. UPM Sales Oy which then sells the product concerned to independent customers. UPM has claimed adjustments on account of credit notes, inland freight, bank charges, credit cost, commission and other expenses. The Authority has accepted all the adjustments. The normal value at ex-factory level for the UPM entities has been determined accordingly, and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

(iii) Holmen Paper AB

63. During the POI, Holmen Paper AB was involved in the production of PUC. Holmen Paper AB has sold the product under consideration directly in the domestic market. Holmen Paper AB has claimed adjustments on account of inland freight, credit cost, and other expenses. The Authority has accepted all the adjustments. The normal value at ex-factory level for Holmen Paper AB has been determined accordingly, and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

(iv) Papresa S.A.

64. During the POI, Papresa SA was involved in the production of PUC and sold the product under consideration directly in the domestic market. Papresa SA has claimed adjustments on account of discount and inland transportation. The Authority has accepted all the adjustments. The normal value at ex-factory level for Papresa SA has been determined accordingly, and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

Normal Value for non-cooperating producers from EU

65. The Authority has determined normal value for non-cooperating producers/exporters from European Union on the basis of facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules and the same is indicated in the dumping margin table given below.

Normal Value for cooperating producers from Russia

(i) Mondi Group

66. During the POI, Mondi Syktyvkar JSC was involved in the production of PUC and also directly sold the PUC in the domestic market. Mondi Syktyvkar JSC has claimed adjustments on account of inland freight, LC discounting charges, credit cost, commission, and other expenses. The Authority has accepted all the adjustments. The normal value at ex-factory level for Mondi Syktyvkar JSC has been determined accordingly, and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

(ii) Joint Stock Company "Solikamskbumprom"

67. Joint Stock Company "Solikamskbumprom" (herein after also referred as “Solikam”) is a public joint stock company registered and existing under the Russian Company laws. It is noted from the response that Solikam has sold the subject goods directly to unrelated customers in the domestic market. It is also noted that Solikam has exported the subject goods to India through various unrelated exporters. The company and the relevant exporters have also filed Exporter’s Questionnaire response furnishing the requisite information.
68. Solikam sells PUC to its un-related exporter Inkor GmbH, Austria, Jacob Jurgensen Papier Und Zellstoff GmbH (Jacob), Germany and Go Paper GmbH & Co. (Go Paper), Germany. Jacob and Go Paper are related entities, which further sells the PUC to un-related entities in India. Inkor GmbH sells the PUC directly to India and through its un-related exporters Indo Global Commercials (FZE), UAE, Sandy Limited, Hong Kong and FIS Trading GmbH, Germany. Indo Global Commercials (FZE), UAE sells the PUC to un-related customers in India. Sandy Limited exports to its un-related exporter namely FIS Trading GmbH, Germany. Some minuscule quantities are also exported through Horizon Focus Limited and RKP Hongkong Limited. Furthermore, Sandy Limited also sells directly to its un-related customers in India and to its related importer Poddar Global Private Limited which furthers sells the PUC to Indian customers.

69. Solikam has claimed adjustments on account of inland transportation and credit cost, which has been allowed by the Authority. Accordingly, normal value so determined for Solikam is mentioned in the dumping margin table below.

(iii) Karjala Pulp LLC

70. During the POI, Karjala Pulp LLC was involved in the production of PUC and also directly sold the PUC in the domestic market. Karjala Pulp LLC has exported to India directly or through Go Paper Pte. Ltd, Printex SIA, Sandy Limited, Trigon Gulf FZXO, Vimpex Handelsgesellschaft MBH and West Asia Network DMCC. The relevant unrelated traders have filed questionnaire responses. Karjala Pulp LLC has claimed adjustments on account of inland freight, and credit cost. The Authority has accepted all the adjustments. The normal value at ex-factory level for Karjala Pulp LLC has been determined accordingly, and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

(iv) Joint Stock Company Volga

71. During the POI, Joint Stock Company Volga was involved in the production of PUC and also directly sold the PUC in the domestic market. Joint Stock Company Volga has exported to India through PTG, Paper Trading Group S.A., Indo Global Commercials Private Limited, Sandy Limited, Th. Brunius, Korab International AB, NRS International PVT Limited, West Asia Network DMCC, PG Paper Company Ltd and Paptech India Private Limited. The relevant exporters have filed questionnaire responses. Joint Stock Company Volga has claimed adjustments on account of inland freight and credit cost. The Authority has accepted all the adjustments. The normal value at ex-factory level for Joint Stock Company Volga has been determined accordingly, and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

Normal Value for non-cooperating producers from Russia

72. The Authority has determined normal value for non-cooperating producers from Russia on the basis of facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules and the same is indicated in the dumping margin table given below.

Normal Value for all producers from Singapore

73. The Authority notes that none of the producers from Singapore have participated in the present investigation. While Tradecom has participated in the present investigation, it is not producing the product and hence, no normal value can be determined for it. Accordingly, the Authority has determined the normal value for Singapore on the basis of facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules and the same is indicated in the dumping margin table given below.

Normal Value for all producers from UAE

74. The Authority notes that none of the producers from UAE have participated in the present investigation. Accordingly, the Authority has determined the normal value for UAE on the basis of facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules and the same is indicated in the dumping margin table given below.

G.3.2Determination of export price

Export price for all producers/exporters from Australia

75. The Authority notes that none of producers/exporters from Australia have filed exporter's questionnaire response. In view of non-cooperation from the producers/exporters of Australia, the export price for subject goods from Australia has been computed based on the DGCI&S transaction-wise import data. Adjustments have been made for ocean freight, marine insurance, commission, inland freight expenses, port expenses and bank charges. The export price so determined is indicated in the dumping margin table below.

Export Price for cooperating producers/exporters from Canada

(i) White Birch Paper Company

76. Based on the information furnished in the Exporter Questionnaire responses, the Authority notes that WBG is a producer of the subject goods and has exported the subject goods to India during the POI through unrelated traders. During the POI, WBG exported to unrelated Indian customers through unrelated traders.

77. For arriving at the ex-factory export price, the Authority has considered the expenses incurred by all exporting entities as well as producer in the entire export chain to India. Accordingly, adjustments on account of rebate & commission, post sales adjustments, bank charges, documentation charges, ocean freight, inland transportation, packing, storage and profit & selling expenses of the traders have been adjusted from the invoice price. The weighted average export price of the producing companies has been considered as the export price of WBG. Accordingly, the ex-factory export price is calculated and mentioned in the dumping margin table.

(ii) Kruger Group

78. The Authority notes that Kruger Trois-Rivières L.P. and Corner Brook Pulp and Paper Ltd exported the subject goods to unrelated customers in India. The Group has claimed adjustments on account of ocean freight, insurance, credit cost, commission, and other post sales expenses. The ex-factory export price so determined is indicated in the dumping margin table given below.

Export Price for non-cooperating producers/exporters from Canada

79. The Authority has determined export price of the non-cooperating producers/exporters from Canada on the basis of facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules and the same is indicated in the dumping margin table given below.

Export Price for cooperating producers/exporters from EU

(i) Stora Enso Group

80. The three legal entities of Stora Enso i.e. Stora Enso Paper AB, Stora Enso Langerbrugge NV and Stora Enso Sachsen GmbH. have filed their questionnaire responses. The Authority notes that Stora Enso Paper AB and Stora Enso Langerbrugge NV have exported directly to Indian customers during the POI. The quantity reported by these producers has been adopted by the Authority as exports to India by Stora Enso for determining the dumping margin. The Authority, while calculating the export price for the producer has considered data of the producer Stora Enso Paper AB and Stora Enso Langerbrugge NV shipped to India for which complete chain of responses has been submitted to the Authority. Stora Enso has claimed adjustment on account of shipping cost, inland freight, commission storage, and credit cost and the same have been allowed. Accordingly, the export price for Stora Enso has been determined based on the weighted average export price of exports for which complete information in the chain for exports to India has been provided.

(ii) UPM Group

81. The producing entities of UPM have filed their questionnaire responses along with exporters/ traders UPM Sales Oy, and Print Media Trading FZE, Dubai, UAE. The Authority notes that only the following UPM producing entities i.e. UPM-Kymmene (UK) Ltd. (United Kingdom), RheinPapier GmbH (Germany), UPM Communication Papers Oy (Finland), UPM France S.A.S. (France), and UPM GmbH (Germany) have exported to Indian customers during the POI through their related entity UPM Sales Oy, which in turn sold the PUC to unaffiliated customers in India as well as through trader in Dubai i.e. Print Media Trading FZE, Dubai, UAE. The quantity reported by these producers / exporters has been adopted by the Authority as exports to India by UPM group for determining the dumping and injury margin. The Authority, while calculating the export price for the producer has considered data of the producing entities shipped to India for which complete chain of responses has been submitted with the Authority. The UPM group has claimed adjustment on account of shipping cost, credit note, commission, credit cost, and bank charges and the same have been allowed. Accordingly, the export price for UPM has been determined based on the weighted average export price of exports for which complete information in the chain for exports to India has been provided.

(iii) Holmen Paper AB

82. Holmen Paper AB has filed its questionnaire responses along with its two independent traders Sandy Limited and J. Ungerth AB. Sandy Limited has in turn sold the PUC to India through Poddar Global Private Limited as well as directly in India. The Authority notes that Holmen Paper AB has exported to Indian customers during the POI through the two aforementioned traders. The quantity reported by these producers and traders has been adopted by the Authority as exports to India by Holmen Paper AB for determining the dumping margin. The Authority, while calculating the export price for the

producer has considered data of the producer Holmen Paper AB shipped to India by Holmen Paper AB for which complete chain of responses has been submitted with the Authority. Adjustment on account of shipping cost, and credit cost, commission, LC discounting charges, bank charges, insurance, inland freight, packing cost, port and other related expenses have been claimed and the same have been allowed. Accordingly, the export price for Holmen Paper AB has been determined based on the weighted average export price of exports for which complete information in the chain for exports to India has been provided.

(iv) Papresa S.A.

83. During the POI, Papresa S.A. has exported to India through unrelated traders, i.e. Central National-Gottesman Europe and International Fibre Resources Pte Ltd. Central National-Gottesman Europe has filed a response. The quantity reported by these producers / exporters has been adopted by the Authority as exports to India by Papresa S.A. for determining the dumping and injury margin. The Authority, while calculating the export price for the producer has considered data of the producing entities shipped to India for which complete chain of responses has been submitted with the Authority. Papresa S.A. has claimed adjustment on account of inland transportation and packing cost and the same have been allowed. Accordingly, the export price for Papresa S.A. has been determined based on the weighted average export price of exports for which complete information in the chain for exports to India has been provided.

Export Price for non-cooperating producers/exporters from EU

84. The Authority has determined export price of the non-cooperating producers/exporters from European Union on the basis of facts available in terms of Rule 6(8) and the same is indicated in the dumping margin table given below.

Export Price for cooperating producers/exporters from Russia

(i) Mondi Group

85. Mondi Syktyvkar JSC has filed its questionnaire responses along with its trader, Mondi Paper Sales GmbH and Mepco Gulf Commodities DMCC, Dubai. The Authority notes that Mondi Syktyvkar JSC has exported to Indian customers during the POI through the trader, Mondi Paper Sales GmbH, who in turn sold to India through Mepco Gulf Commodities DMCC, Dubai. The quantity reported by these producers and traders has been adopted by the Authority as exports to India by Mondi Syktyvkar JSC for determining the dumping margin. The Authority, while calculating the export price for the producer has considered data of the producer Mondi Syktyvkar JSC shipped to India by Mondi Syktyvkar JSC for which a complete chain of responses has been submitted with the Authority. Mondi Syktyvkar JSC has claimed adjustment on account of shipping, credit cost, bank charges and debit note and the same have been allowed. Accordingly, the export price for Mondi Syktyvkar JSC has been determined based on the weighted average export price of exports for which complete information in the chain for exports to India has been provided.

(ii) Joint Stock Company "Solikamskumprom"

86. The Authority notes that Solikam has exported the subject goods to India through various unrelated exporters. These exporters have also filed Exporter's Questionnaire response furnishing the requisite information. One of the unrelated exporters namely Sandy Limited, Hongkong has also exported to its related Indian Importer Poddar Global Private Limited. It is noted from the response filed by the related Indian Importer that it has earned sufficient profit on resale of the imported subject goods during the POI. The Company has claimed adjustments on account of ocean freight, inland transportation, credit cost and commission and the same have been allowed by the Authority. The ex-factory export price so determined is indicated in the dumping margin table given below.

(iii) Karjala Pulp LLC

87. The Authority notes that Karjala Pulp LLC has exported to India directly or through Go Paper Pte. Ltd, Printex SIA, Sandy Limited, Trigon Gulf FZXO, VimpeX Handelsgesellschaft MBH and West Asia Network DMCC. The Company has claimed adjustments on account of ocean freight, inland transportation, credit cost and commission and the same have been allowed by the Authority. The ex-factory export price so determined is indicated in the dumping margin table given below.

(iv) Joint Stock Company Volga

88. Joint Stock Company Volga has exported to India through PTG, Paper Trading Group S.A., Indo Global Commercials Private Limited, Sandy Limited, Th. Brunius, Korab International AB, NRS International PVT Limited, West Asia Network DMCC, PG Paper Company Ltd and Paptech India Private Limited. The Company has claimed adjustments on account of ocean freight, credit cost and packing cost and the same have been allowed by the Authority. The ex-factory export price so determined is indicated in the dumping margin table given below.

Export Price for non-cooperating producers/exporters from Russia

89. The Authority has determined export price of the non-cooperating producers/exporters from Russia on the basis of facts available in terms of Rule 6(8) and the same is indicated in the dumping margin table given below.

Export price for all producers/exporters from Singapore

90. The Authority notes that none of producers/exporters from Singapore have filed exporter's questionnaire response. In view of non-cooperation from the producers/exporters of Singapore, the export price for subject goods from Singapore has been computed based on the DGCI&S transaction-wise import data. Adjustments have been made for ocean freight, marine insurance, commission, inland freight expenses, port expenses and bank charges. The export price so determined is indicated in the dumping margin table below.

Export price for all producers/exporters from UAE

91. The Authority notes that none of producers/exporters from UAE have filed exporter's questionnaire response. In view of non-cooperation from the producers/exporters of UAE, the export price for subject goods from UAE has been computed based on the DGCI&S transaction-wise import data. Adjustments have been made for ocean freight, marine insurance, commission, inland freight expenses, port expenses and bank charges. The export price so determined is indicated in the dumping margin table below.

G.3.Dumping margin

92. Based on normal value and export price determined as above, the dumping margin for producers/exporters from the subject countries has been determined by the Authority and the same is provided in the table below:

Country	Producer	Normal Value (US\$/MT)	Export Price (US\$/MT)	Dumping Margin (US\$/MT)	Dumping Margin (%)	Dumping Margin Range (%)
Australia	All	***	***	***	***	10-20%
Canada	White Birch Paper Company	***	***	***	***	40-50%
	Kruger Group	***	***	***	***	20-30%
	All Others	***	***	***	***	50-60%
EU	Holmen Paper AB	***	***	***	***	10-20%
	Stora Enso Group	***	***	***	***	10-20%
	UPM Group	***	***	***	***	30-40%
	Papresa S. A.	***	***	***	***	60-70%
	All Others	***	***	***	***	65-75%
Russia	Karjala Pulp LLC	***	***	***	***	10-20%
	Mondi Syktyvkar JSC	***	***	***	***	20-30%
	JSC Solikamskbumprom	***	***	***	***	20-30%
	Joint Stock	***	***	***	***	10-20%

	Company Volga					
	All Others	***	***	***	***	30-40%
Singapore	All	***	***	***	***	10-20%
UAE	All	***	***	***	***	10-20%

93. It is noted that the dumping margins for the subject countries are more than the *de-minimis* limits prescribed under the Rules, and are significant.

H. ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK

H.1 Submissions of the domestic industry

94. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to injury and causal link:

- i. Despite decline in demand, the volume of imports has increased.
- ii. The customers of newsprint industry determine price based on import price. While the prices are transacted on weight basis, the consumption is on length and width basis. Since the products of different GSM have different SQM per gram, price undercutting on weight basis can be misleading.
- iii. The subject imports are priced below the cost of sales and non-injurious price and have had a depressing effect on the prices of domestic industry.
- iv. Production, sales and capacity utilisation of the domestic industry has declined while the inventories have increased. The market share of the domestic industry increased till 2018-19 and then declined.
- v. The domestic industry has incurred losses which are more than double when compared with 2016-17 and is earning returns less than the bank interest on fixed deposits. The cash profits have also declined.
- vi. The domestic industry has recorded a negative growth over the injury period.
- vii. Post-period of investigation (April – June '20), the domestic industry has suffered aggravated injury which is evident from the following:
 - a. The import price has further declined and the volume has increased.
 - b. Sales, production and capacity utilisation have declined.
 - c. The domestic industry was forced to use the plant for production of other products.
 - d. Market share of domestic industry has declined and that of subject imports has increased.
 - e. The subject imports have had a suppressing / depressing effect on the prices of domestic industry.
 - f. The losses incurred by the domestic industry are 8 times more than the losses in the period of investigation and 18 times more than that in 2016-17.
 - g. The domestic industry has incurred cash losses and recorded negative return on investment.
- viii. The injury to the domestic industry is not on account of decline in demand which is evident from the fact that the demand declined but the imports increased. The domestic and foreign producers should have received the same impact. There is enough demand in the country as compared to the capacity of the Indian industry.
- ix. No other known factor such as imports from other countries, change in pattern of consumption, trade restrictive practices, development in technology, performance of other products, productivity and export performance have caused injury to the domestic industry.
- x. There is causal link between dumping and injury.
- xi. Correlating price undercutting and profitability of domestic industry is not appropriate as the prices were suppressed due to dumped imports.

- xii. Decline in demand has not caused injury as imports have increased despite the declining demand and have entered the market at price below the cost of domestic industry.
- xiii. Increase in production of NPUC and decline in production of newsprint is a result of dumping and injury. A number of mills have closed or switched over to other products, as they are not able to sell their products.
- xiv. Replying to contention that Shree Rama has stated that use of wastepaper has caused injury to the domestic industry, it is submitted that the prices of wastepaper between 2016-17 and period of investigation have declined but the losses have increased.
- xv. The Authority is not required to conduct non-attribution analysis with features inherent in the domestic industry and injury to the domestic industry is to be seen as it exists.
- xvi. The fire at Shree Rama Newsprint was in 2018-19, that is prior to the period of investigation, and the company earned profits in that year.
- xvii. The applicant never agreed for exclusion of 2018-19 from injury analysis and only stated that domestic industry has suffered injury even if 2018-19 is disregarded and comparison is made to 2016-17.
- xviii. Contrary to claims of interested parties, injury is not on account of increasing finance cost as the profit before interest has also declined.
- xix. Statements regarding dumping in the annual reports of domestic producers have been overlooked by the consumers.
- xx. The domestic producers were compelled to curtail production of newsprint and switch over to other products due to losses sustained in newsprint.
- xxi. The volume of imports or price thereof from an individual country are not relevant as the respondents have not demonstrated that cumulative analysis of injury is not appropriate.
- xxii. Lack of working capital of Hindustan Newsprint limited and Mysore Paper Mills is a consequence of adverse competition in the market. The order of shutdown by CPCB was later revoked.
- xxiii. The statement regarding satisfactory performance of Emami Paper Mills in its annual report, relied upon by other interested parties, is related to the company as a whole and not for newsprint.
- xxiv. The shutdown of PM1 of Shree Rama Newsprint happened in January 2020 and not in period of investigation. The production was lower due to lack of orders, as acknowledged in the annual report, because of dumping.
- xxv. When compared to the previous year, the overall customs duty has increased and not declined. In case the dumping is not checked, the domestic industry will have to close down and in such a case the exporters are likely to sell at higher prices in India which will be against consumer interest.
- xxvi. The CIF price of imports was below the cost of sales of the domestic industry in 2016-17 and 2017-18. Even though the price has increased, it is still below the cost of sales of the domestic industry.
- xxvii. The producers were forced to lay off employees due to falling production.
- xxviii. Any cost relating to the expansion project / abandonment of the project have not been included in determining the cost, revenue and profitability of the product under consideration, and the loss suffered is not on account of such expenses.
- xxix. Khanna Paper Mills suffered fire in 2012 and 2015, which is prior to period of investigation and thus, not relevant.
- xxx. The non-injurious price claimed by the producers is based on their actual data and an inter-se comparison is not appropriate.
- xxxi. In Indian Spinners Association vs. DA, relied upon by the other interested parties, the parties had provided evidence that domestic industry historically recorded a lower rate of return. On

that basis it was contended that return of 22% is not correct in determining non-injurious price. As against this, the Tribunal has routinely held that 22% should be considered as a reasonable return.

- xxxii. The decision for capacity expansion was taken when the industry was profitable.
- xxxiii. Investment by Emami Mills Limited was in packaging board and not newsprint and was undertaken in 2018-19.

H.2 Submissions of other interested parties

95. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to injury, likelihood and causal link:

- i. Post-POI developments are not relevant for an original investigation, particularly when the non-confidential version of data for such period has not been shared by the petitioner. The Authority has followed such practice in findings like Tolune di-isocyanate and Acrylic fibre.
- ii. The domestic industry has provided post-POI data for the first quarter of financial year at the final stages of the investigation, which should not be accepted.
- iii. An increase in the volume of subject imports was to fill the demand-supply gap in the market.
- iv. Market share of the domestic industry has remained stable through the injury period and the period of investigation.
- v. Price undercutting by imports from subject countries is negative in the period of investigation and the previous year.
- vi. Domestic industry has been able to increase its selling price commensurate with the increase in cost of sale.
- vii. While both the import price and selling price declined in the period of investigation due to adjustment after global shock, the difference in decline is pronounced, i.e, 21%, implying that imports have no price effect.
- viii. Imports from Canada should not be cumulatively analyzed with subject countries as they differ from both, domestic and other imported newsprint. Further, domestic industry has not suffered any injury due to imports from Canada.
- ix. Imports from Canada have declined through the injury period and there is marginal increase in the period of investigation.
- x. The market share of imports from Canada remained stable in relation to total imports through the injury period and period of investigation.
- xi. Price undercutting by imports from Canada is negative in the period of investigation and the previous year and there has been no decline in the landed price of exports from Canada.
- xii. It is an admitted position that the domestic industry is selling subject goods in the domestic market at a price below the landed value of imports from the subject countries proving that the domestic industry has not attempted to benchmark its domestic price with the landed value despite sufficient scope for price increment.
- xiii. The volume of imports from subject countries have not increased consistently, either in absolute terms or in relative terms to domestic production.
- xiv. Market share of imports from the subject countries has not increased consistently or drastically.
- xv. There is no consistency in the domestic Industry's return on capital employed, and it does not have any correlation with the volume of imports.
- xvi. There is no substantial decline in the employment provided by the domestic industry, implying no correlation to the volume of imports.
- xvii. The domestic industry has not provided non-injurious price range and price underselling/injury margin in the original or updated petition.

- xviii. The data submitted by the domestic industry on relevant economic parameters is unreliable and inconsistent and does not permit objective examination of material injury.
- xix. The installed capacity of the domestic industry has increased during the period of investigation.
- xx. Capacity utilization has increased in 2018-19 but declined in the period of investigation.
- xxi. Downfall in only 9 months cannot be a ground of alleged dumping and consequently for imposition of duty.
- xxii. Domestic sales and production of specified so called supporting domestic producers during the period of investigation is higher than sales for base year i.e., 2016-17.
- xxiii. Imports from Russia have decreased between 2017-18 and period of investigation and further in post- period of investigation period.
- xxiv. Price undercutting for imports from Russia is negative in the period of investigation.
- xxv. Imports from the EU have not increased in either absolute or relative terms in the period under investigation and decreased since 2017-18.
- xxvi. The import price trend merely reflects the cyclical nature of prices for newsprint.
- xxvii. Economic data demonstrates that fiscal year 2018-19 was an exceptional year when global paper industry experienced radical shifts in business environment due to policy changes by the Government of the China PR and any downward movement in economic parameters for the Domestic Industry is result of global market conditions stabilizing after initial shock from changing China PR's policies and cannot be attributed to alleged dumped imports.
- xxviii. The applicant agreed to exclude 2018-19 for the purpose of injury analysis during the oral hearing. The Authority should ignore this period.
- xxix. Decline in capacity utilisation of the domestic Industry is due to multiple factors – shifts in consumer preference from print media to digital media, declining advertisement revenues, markets stabilizing and readjusting after the storm caused by change in policies by China PR Government, and diversification of business activities.
- xxx. Factors such as slowdown in economy, cost competitive raw material, increasing competition from electronic media etc are the cause of injury to the domestic industry. Same have been stated in the annual reports of Emami Paper Mills and Shree Rama Newsprint. Decline in demand and increase in finance cost of the applicants are also factor of injury.
- xxxi. Increase in export sales by the domestic industry may have led to decline in domestic sales forcing Indian customers to import newsprint.
- xxxii. Increase in production of non-PUC products by the domestic industry from 16,535 MT in previous year to 96,203 MT in the period of investigation may have led to decline in production of product under consideration which cannot be attributed to the imports.
- xxxiii. The domestic industry is suffering injury due to its inefficiency caused by devastating accidents and incurring wasteful expenses, which have contributed towards their reduced profitability.
- xxxiv. A major fire at the factory of Shree Rama newsprint in May 2018 led to a loss of newsprint worth 847.09 Lakhs.
- xxxv. Closure or shutting down of production cannot be attributed to alleged dumping of the product under consideration.
- xxxvi. Exports are not under compulsion but on account of export obligation undertaken by the domestic industry to be met for taking advantage of schemes under the Foreign Trade Policy.
- xxxvii. COVID pandemic has impacted market of newspaper. Imposition of ADD will force print industry to import Newsprint at high cost on account of technical non-feasibility of use of domestically produced Newsprint.
- xxxviii. Poor quality of product manufactured domestically is forcing users to import.

- xxxix. Shutdown of 67 newsprint paper mills following the orders of National Green Tribunal and Central Pollution Control Board for violation of pollution control norms has adversely impacted the domestic industry. Further, Emami Paper Mills Ltd. has also been notified by the Central Pollution Control Board as one of the most polluting mills.
- xl. Unorganized collection of waste paper to be recycled and used as raw material in production has led to stoppage of production and uneconomic productivity.
- xli. Absorption of import duty by exporter/producer has adversely impacted domestic industry.
- xlii. The submission made by the petitioner that price undercutting on weight basis is misleading is erroneous in as much as the petitioner cannot conveniently oppose determination of price undercutting on weighted basis only because the price undercutting determined in petition is negative. Further, the petitioner in its submissions have relied on an injury margin calculation that is also based on weight as the unit of measurement for unit prices, clearly establishing that the petitioner is selectively relying on data which corroborates their claims and advocating for rejection of parameters that contradict their claim of injury
- xlili. Injury, if any, to the Domestic Industry is self-inflicted or a consequence of global demand and supply rebalancing following a major market shock.
- xliv. 50% of manufacturing entities were closed or discontinued prior to the period of investigation as per DIPP Verified data. Further, number of entities engaged in the production of subject goods during 2018-19 and 2019-20 remained the same implying that domestic producers have not discontinued production due to alleged dumped imports.
- xlv. The petitioner's comparison of export price from Canada to USA and that from Canada to India to demonstrate declining export prices is irrelevant in the present investigation in light of Article 2.1 of the Anti-Dumping Agreement and Section 9A (1) of the Customs Tariff Act. Further, source of such information has not been provided in the submissions.
- xlvi. Import price from the subject countries was lower than cost of sales of the domestic industry only in 2017-18. Import price was much higher than cost of sales in 2018-19 and period of investigation.
- xlvi. The domestic industry was able to recover cost of sales in 2018-19 and make reasonable profits. Additionally, the import prices were higher than the selling price in 2018-19 and period of investigation.
- xlvi. The increase in inventories of the domestic industry was only in 2018-19 due to increased production and expansion of capacities by the domestic industry in anticipation of continuing boom in the newsprint market caused by change in Chinese policies.
- xlix. If the import data of 40 and 42 GSM is excluded, the remaining volumes are very low for any injury.
1. Post-POI period of April-June 2020 was at the start of COVID pandemic, during which market fluctuations prompted by global lockdown were particularly hard for newsprint industry. An analysis of such data during final stages of investigation is likely to be skewed.
 - li. The performance of other domestic producers in India is irrelevant as injury analysis is conducted taking into consideration the constituents of the Domestic Industry and not all the other producers.
 - lii. Hindustan Newsprint Ltd, which was ordered shut due to pollution reasons could not operate due to lack of working capital.
 - liii. Mysore Paper Mills, stopped production in November 2015 due to certain losses as it could not operate due to lack of working capital

H.3 Examination by the Authority

96. The Authority has taken note of the arguments and counter-arguments of the interested parties with regard to injury to the domestic industry. The injury analysis by the Authority hereunder addresses the various submissions made by the interested parties.

97. Article 3.3 of WTO agreement and para (iii) of Annexure II of the Rules provides that in case where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigation, the Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that:
- a. The margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than 2% expressed as a percentage of export price and the volume of the imports from each country is 3% (or more) of the import of like article or where the export of individual countries is less than 3%, the imports collectively account for more than 7% of the import of like article, and
 - b. Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in the light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.
98. At the time of initiation of the investigation, imports of Newsprint of all GSM was considered. However, during the course of the investigation, as explained above, the Authority limited the scope of the PUC to 42 and above GSM only. Since the imports of Newsprint of 42 and above GSM from Hong Kong during the POI is below *de-minimis*, Hong Kong has not been included in the injury analysis hereinbelow.
99. The Authority notes that:
- a. The subject goods are being dumped into India from the subject countries. The margin of dumping from each of the subject countries is more than the *de minimis* limits prescribed under the Rules.
 - b. The volume of imports from each of the subject countries is individually more than 3% of the total volume of imports.
 - c. Cumulative assessment of the effects of import is appropriate as the exports from the subject countries not only directly compete with the like articles offered by each of them but also the like articles offered by the domestic industry in the Indian market.
100. In view of the above, the Authority considers it appropriate to cumulatively assess the effects of dumped imports of the subject goods from Australia, Canada, European Union, Hong Kong, Russia, Singapore and UAE on the domestic industry.
101. Rule 11 of the Rules read with its Annexure-II thereto provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “... *taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles.*” In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the Domestic Industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Rules.
102. The submissions made by the Domestic Industry and other interested parties during the course of investigations with regard to injury and causal link and considered relevant by the Authority are examined and addressed as under:

I. Assessment of Demand / Apparent Consumption

103. The Authority has defined, for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product concerned in India as the sum of domestic sales of the domestic industry and other Indian producers and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
					Actual	Annualized
Subject imports	MT	9,19,952	8,89,047	7,73,119	6,83,688	9,11,585
Australia	MT	65,679	45,034	43,148	26,102	34,802
Canada	MT	2,57,966	1,91,659	1,54,782	1,06,447	1,41,929
European Union	MT	2,00,399	2,08,787	1,52,274	1,58,648	2,11,531
Russia	MT	3,95,883	4,42,770	3,56,242	3,16,123	4,21,497
Singapore	MT	-	794	35,095	35,625	47,500
UAE	MT	26	2	31,579	40,744	54,325
Other imports	MT	5,00,071	2,84,835	3,26,566	1,41,624	1,88,833
Domestic sales by domestic industry	MT	3,28,205	3,33,728	3,53,235	2,01,275	2,68,367
Sales of Other Indian Producers	MT	7,65,480	7,59,618	7,97,828	3,99,220	5,32,293
Sales of Indian industry	MT	10,93,685	10,93,346	11,51,063	6,00,495	8,00,660
Demand	MT	25,13,708	22,67,228	22,50,748	14,25,808	19,01,077

104. It is seen that the demand for the subject goods has declined over the injury period, whereas, the imports from the subject countries have declined till 2018-19 but increased in the period of investigation.

II. Volume Effects of Dumped Imports

105. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the transaction wise import data procured from DGCI&S. The import volumes of the subject goods from subject countries and share of the dumped import during the injury investigation period are as follows:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
					Actual	Annualized
Australia	MT	65,679	45,034	43,148	26,102	34,802
Canada	MT	2,57,966	1,91,659	1,54,782	1,06,447	1,41,929
European Union	MT	2,00,399	2,08,787	1,52,274	1,58,648	2,11,531
Russia	MT	3,95,883	4,42,770	3,56,242	3,16,123	4,21,497
Singapore	MT	-	794	35,095	35,625	47,500
UAE	MT	26	2	31,579	40,744	54,325
Subject imports	MT	9,19,952	8,89,047	7,73,119	6,83,688	9,11,585
Indian Production	MT	10,99,833	10,67,232	12,01,495	5,92,188	7,89,584
Imports in relation to Indian production	%	84%	83%	64%	115%	115%
Imports in relation to consumption	%	37%	39%	34%	48%	48%

106. It is seen that:

- The volume of imports from the subject countries declined till 2018-19 by 16% and then increased by 18% in the POI.
- Whereas overall demand declined by 24% over the injury period, and by 16% as compared to previous years, subject imports have increased when compared to the preceding year.
- The volume of subject imports has increased significantly in relation to production and consumption in India.

- iv. The subject imports account for highest share in consumption in the country, with imports from subject countries and non-subject countries accounting for majority share, and the domestic producers commanding minority share.

III. Price Effect of Dumped Imports

107. In terms of Annexure II (ii) of the Rules, with regard to the effect of the dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. In this regard, a comparison has been made between the landed price of imports from the subject countries with the net sales realization of domestic industry for the subject goods.

i. Price Undercutting

108. To determine price undercutting, a comparison has been made between the landed value of the product and the average selling price of the domestic industry, net of all rebates and taxes, at the same level of trade. The prices of the domestic industry were determined at the ex-factory level.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Subject Countries					
Landed value	Rs./MT	35,221	34,081	49,962	39,692
Net sales realisation	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	106	132	105
Price undercutting	Rs./MT	***	***	***	***
Price undercutting	Indexed	***	***	***	***
Price undercutting	%	***	***	***	***
Price undercutting	% Range	(0-10)	0-10	(0-10)	(0-10)
Australia					
Landed value	Rs./MT	36,743	37,205	53,086	40,623
Net sales realisation	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	106	132	105
Price undercutting	Rs./MT	***	***	***	***
Price undercutting	Indexed	***	***	***	***
Price undercutting	%	***	***	***	***
Price undercutting	% Range	(0-10)	(0-10)	(10-20)	(10-20)
Canada					
Landed value	Rs./MT	35,486	33,672	50,606	39,026
Net sales realisation	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	106	132	105
Price undercutting	Rs./MT	***	***	***	***
Price undercutting	Indexed	***	***	***	***
Price undercutting	%	***	***	***	***
Price undercutting	% Range	(0-10)	0-10	(0-10)	(0-10)
European Union					
Landed value	Rs./MT	35,612	34,622	47,500	39,207
Net sales realisation	Rs./MT	***	***	***	***

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Trend	Indexed	100	106	132	105
Price undercutting	Rs./MT	***	***	***	***
Price undercutting	Indexed	***	***	***	***
Price undercutting	%	***	***	***	***
Price undercutting	% Range	(0-10)	0-10	(0-10)	(0-10)
Russia					
Landed value	Rs./MT	34,599	33,687	50,337	39,849
Net sales realisation	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	106	132	105
Price undercutting	Rs./MT	***	***	***	***
Price undercutting	Indexed	***	***	***	***
Price undercutting	%	***	***	***	***
Price undercutting	% Range	(0-10)	0-10	(0-10)	(0-10)
Singapore					
Landed value	Rs./MT	-	33,246	49,671	40,021
Net sales realisation	Rs./MT	-	***	***	***
Trend	Indexed	-	106	132	105
Price undercutting	Rs./MT	-	***	***	***
Price undercutting	Indexed		***	***	***
Price undercutting	%	-	***	***	***
Price undercutting	% Range	-	10-20	(0-10)	(0-10)
UAE					
Landed value	Rs./MT	33,799	44,453	50,495	39,866
Net sales realisation	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	106	132	105
Price undercutting	Rs./MT	***	***	***	***
Price undercutting	Indexed	***	***	***	***
Price undercutting	%	***	***	***	***
Price undercutting	% Range	0-10	(10-20)	(0-10)	(0-10)

109. It is noted that price undercutting for subject countries as a whole was positive for 2017-18 only and negative in rest of the injury period and POI.

Price Suppression and Depression

110. In order to determine whether the effect of imports is to depress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred, the information given by the domestic industry for the changes in the costs and prices over the injury period has been compared with the landed value.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Selling price	Rs./MT	***	***	***	***
	Indexed	100	106	132	105
Cost of sales	Rs./MT	***	***	***	***
	Indexed	100	107	122	107
Landed price	Rs./MT	35,221	34,081	49,962	39,692
	Indexed	100	97	142	113

111. It is noted that landed price, as well as cost of sales and selling price of the domestic industry have increased in 2018-19 over the base year. However, when compared to 2018-19, it is seen that the landed price, cost of sales and selling price have declined during the POI. Further, selling price has declined more than the cost of sales and the domestic industry has been forced to sell the product at a loss. Hence, the subject imports have depressed/suppressed the prices of the domestic industry.

ii. Price Underselling

112. The Authority has examined price underselling suffered by the domestic industry on account of dumped imports from the subject countries. For this purpose, the NIP, determined based on average NIP for the domestic industry, has been compared with the landed price of imports, as obtained from the DGCI&S import data.

Particulars	Unit	Canada	European Union	Russia	UAE	Singapore	Australia	Subject Countries
Non-injurious price	₹/MT	***	***	***	***	***	***	***
Landed price	₹/MT	39,026	39,207	39,849	39,866	40,021	40,623	39,692
Price underselling	₹/MT	***	***	***	***	***	***	***
Price underselling	%	***	***	***	***	***	***	***
Price underselling	Range	0-10%	0-10%	0-10%	0-10%	0-10%	Negative	0-10%

113. It is noted that the price underselling for subject countries except Australia is positive, indicating that the imports are entering the market at injurious prices.

IV. Impact on Economic Parameters of the Domestic Industry

114. Annexure II to the Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. Various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below.

i. Production, Capacity, Capacity Utilization and Sales Volumes

115. The performance of the domestic industry with regard to production, domestic sales, capacity and capacity utilization is as follows:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
					Actual	Annualised
Capacity	MT	4,04,400	4,04,400	4,14,400	3,10,800	4,14,400
Production PUC	MT	3,36,659	3,33,160	3,86,604	1,89,532	2,52,709
Production NPUC	MT	51,242	36,619	16,535	72,152	96,203
Production Total	MT	3,87,901	3,69,779	4,03,139	2,61,684	3,48,912
Capacity utilization	%	96%	91%	97%	84%	84%
Domestic sales	MT	3,28,205	3,33,728	3,53,235	2,01,282	2,68,376

116. It is noted that:

- The capacity of domestic industry has increased over the injury period.
- However, the capacity utilisation, production and sales of domestic industry have decreased during the POI.
- It is further noted that while part of the decline in domestic sales may be attributable to the decline in demand, during the period of investigation, the percentage decline in domestic sales exceeds the percentage decline in demand significantly.

ii. Market Share in Demand

117. Market share of alleged dumped imports and domestic industry have been examined as below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Subject imports	%	37%	39%	34%	48%
Other imports	%	20%	13%	15%	10%
Domestic industry	%	13%	15%	16%	14%
Other producers	%	30%	34%	35%	28%
Indian industry	%	44%	48%	51%	42%

118. It is noted that the share of imports from the subject countries has increased from 37% to 48% while the share of Indian industry as a whole has declined from 44% to 42%. The market share of the domestic industry increased in 2017-18 and 2018-19, but declined during the period of investigation.

iii. Inventories

119. Inventory position of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
					Actual	Annualised
Opening inventory	MT	3,143	7,235	1,976	30,508	30,508
Closing inventory	MT	7,235	1,976	30,508	12,403	12,403
Average inventory	MT	5,189	4,605	16,242	21,455	21,455
Trend	Indexed	100	89	313	413	413

120. It is seen that the average inventories of domestic industry have quadrupled over the injury period indicating build-up of inventories. Further, even when compared to the preceding year, the inventories of the domestic industry have shown an increase.

iv. Profits, Cash Profits and Return on Capital Employed

121. Profits, return on investment and cash profits of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
					Actual	Annualised
Cost of sales	₹/MT	***	***	***	***	***
	Indexed	100	107	122	107	107
Selling price	₹/MT	***	***	***	***	***
	Indexed	100	106	132	105	105
Profit/(loss)	₹/MT	***	***	***	***	***
	Indexed	-100	-152	335	-210	-210
Profit/(loss)	₹ Lacs	***	***	***	***	***
	Indexed	-100	-155	361	-171	-171
Cash profits	₹ Lacs	***	***	***	***	***
	Indexed	100	75	472	28	37

Return on capital employed	%	***	***	***	***	***
	Indexed	100	51	614	80	80

122. It is noted that:

- The domestic industry incurred losses during 2016-17 and 2017-18. While the situation of the domestic industry improved and it earned profits in 2018-19, its profitability has suffered again during the period of investigation.
- The domestic industry has earned highest losses during the period of investigation, when compared over the injury period.
- The cash profits and return on capital employed of the domestic industry have also shown a decline when compared to the preceding year, as well as when compared to the base year.
- The domestic industry is earning negligible returns on its capital employed.

v. Employment, Wages and Productivity

123. The Authority has examined the information relating to employment, wages and productivity, as given below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
					Actual	Annualised
No. of employees	Nos	2711	2722	2753	2652	2652
	Indexed	100	100	102	98	98
Productivity per day	MT/Day	124	122	140	95	95
	Indexed	100	99	113	77	77
Productivity per employee	MT/Nos	935	925	1,074	702	702
	Indexed	100	99	115	75	75
Wages	₹ Lacs	***	***	***	***	***
	Indexed	100	94	130	53	70

124. It is seen that the number of employees has decreased over the injury period, with a decline in wages. The productivity of the domestic industry has also declined with a decline in production.

vi. Growth

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	POI Annualised
Capacity	%	-	2.47	-
Production	%	(4.67)	8.60	(13.98)
Domestic sales	%	1.68	5.94	(25.86)
Profit/(loss) per unit	%	(52.11)	487.17	(544.60)
Cash profit	%	(25.46)	397.78	(435.54)
Return on capital employed	%	(48.61)	562.59	(533.58)

125. It is seen that the domestic industry has recorded a negative growth in terms of both volume and profitability parameters during the period of investigation. Further, the decline in the profitability parameters is extremely steep, indicating significant adverse impact of the dumped imports.

vii. Ability to Raise Capital Investment

126. The Authority notes that the domestic industry is incurring significant losses, and has earned a low return on its capital employed. Clearly, the ability of the domestic industry to raise capital investment has been adversely affected by the subject imports.

viii. Factors Affecting Prices

127. With regard to factors affecting prices, the Authority notes that the subject imports command a dominant share in the market, holding 54% of the demand. It is also noted that the price of the domestic industry increased when the price of imports increased in 2018-19. But the domestic industry was forced to reduce its prices, when the price declined in the period of investigation, and sell at a loss.

ix. Magnitude of Dumping

128. It is noted that the subject goods are being dumped into India and the dumping margin is positive and significant.

I. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

129. The Authority has determined the NIP for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the PUC has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the POI. The NIP has been considered for comparing the landed price from the subject countries for calculating injury margin. For determining the NIP, the best utilisation of the raw materials by the domestic industry over the injury period has been considered. The same treatment has been carried out with the utilities. The best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e. average net fixed assets plus average working capital) for the PUC was allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules and being followed.
130. Based on the landed price and non-injurious price determined as above, the injury margin for producers/exporters has been determined by the Authority and the same is provided in the table below: -

Country	Producer	Non-Injurious Price (US\$/MT)	Landed Price (US\$/MT)	Injury Margin (US\$/MT)	Injury Margin (%)	Injury Margin (Range in %)
Australia	All	***	***	***	***	Negative
Canada	White Birch Paper Company	***	***	***	***	0-10%
	Kruger Group	***	***	***	***	10-20%
	All Others	***	***	***	***	10-20%
EU	Holmen Paper AB	***	***	***	***	0-10%
	Stora Enso Group	***	***	***	***	0-10%
	UPM Group	***	***	***	***	0-10%
	Papresa S. A.	***	***	***	***	10-20%
	All Others	***	***	***	***	10-20%
Russia	Karjala Pulp LLC	***	***	***	***	0-10%
	Mondi Syktyvkar JSC	***	***	***	***	10-20%
	JSC Solikamskumprom	***	***	***	***	10-20%
	Joint Stock Company Volga	***	***	***	***	0-10%
	All Others	***	***	***	***	20-30%
Singapore	All	***	***	***	***	0-10%
UAE	All	***	***	***	***	0-10%

J. CAUSAL LINK AND NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

131. As per the Rules, the Authority, *inter alia*, is required to examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the Domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, *inter alia*, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry. It has been examined below whether factors other than dumped imports could have contributed to the injury to the domestic industry:

a. Volume and Prices of Imports from Third Countries:

132. It is seen that the subject imports account for 86% of total imports in the period of investigation. Other than the subject countries, there are significant imports from Korea RP and New Zealand. However, the Authority has already examined such imports at the stage of initiation and concluded that they are not injurious. Even now, it is noted that the price of such imports is significantly higher than the price of the subject imports and thus, they are not injurious to the domestic industry.

133. Other than Korea RP and New Zealand, the imports from other countries are insignificant in volume and thus, not capable of causing any injury to the domestic industry.

b. Contraction in Demand

134. It is seen that the demand of the subject goods has declined over the injury period. However, the imports have increased despite the declining demand, thereby taking away the market of the domestic producers. As a result of dumping, the market share of the domestic industry and Indian industry has declined during the period of investigation. Thus, the injury suffered by the domestic industry is not on account of contraction in demand.

c. Developments in Technology

135. It is noted that the technology for producing subject goods has not undergone any change and therefore, could not have caused injury to the domestic industry.

d. Conditions of Competition and Trade Restrictive Practices

136. It is noted that there are no trade restrictive practices in India which could have caused injury to the domestic industry.

e. Export Performance of the Domestic Industry

137. It is noted that the injury analysis is based on domestic performance. Hence, the injury is not on account of the export performance of the domestic industry.

f. Productivity

138. The productivity of the domestic industry has declined only due to the decline in production and thus, the injury to the domestic industry is not on this account.

g. Performance of other products of the company

139. It is noted that domestic industry has segregated its performance with respect of different products. The performance of other products those are being produced and sold by the domestic industry are not a cause of injury.

J.1 Conclusion on Injury and Causal Link

140. The Authority notes the following:

- a. There is significant dumping of the subject goods in the Indian market.
- b. The imports have increased in absolute terms as well as in relation to production and consumption despite decline in demand.
- c. The increased imports have taken away the market share of the domestic producers and the domestic industry.

- d. The domestic industry has suffered a decline in its production, sales and capacity utilization, while its inventories have increased.
- e. The imports have depressed/suppressed the prices of the domestic industry.
- f. The losses of the domestic industry have increased, and its cash profits and return on capital employed have declined.
- g. The growth of the domestic industry in terms of both volume and profitability parameters is negative.
- h. The price underselling is positive.
- i. Price suppression/depression has caused deterioration in performance of the domestic industry on account of profits, cash profits and return on capital employed.
- j. Increase in market share of the subject countries has prevented increase in market share of the domestic industry. Further, the performance of domestic industry has deteriorated in respect of production, sales and capacity utilisation.
- k. It is thus seen that the dumping of the product has caused adverse volume and price effect on the domestic industry.

K. POST DISCLOSURE COMMENTS

141. The Authority notes that most of the submissions made by the interested parties in response to the disclosure statement are repetitive in nature and the interested parties have largely reiterated their earlier submissions, which have already been examined and addressed by the Authority. Following are new submissions made by the domestic industry and other interested parties on the disclosure statement.

K.1 Submissions of the domestic industry

142. The domestic industry has submitted as under:
- a. The domestic industry can produce newsprint below 42 GSM as well. Newsprint of various GSM is produced using same machines, technology and raw material, and thus, any producer producing Newsprint of 42 or 45 GSM can produce newsprint of less than 42 GSM. The certificates from technology providers of the domestic industry also demonstrate their capability to produce newsprint of 40 GSM.
 - b. Chaddha Papers Limited had communicated to the Ministry of Commerce and Industry as well, regarding ability and willingness to produce newsprint of 40 GSM depending on the orders from users.
 - c. Website of Shree Rama Newsprint Limited states that their machines can produce newsprint of 40 GSM and above.
 - d. The domestic industry has produced other papers of 40 GSM on same machines and thus, can produce newsprint of 40 GSM also but has failed to do so due to lack of demand in the market.
 - e. Newsprint with 40 GSM, 42 GSM and 45 GSM have no difference other than GSM and have comparable technical and physical characteristics. Further, they are used interchangeably by the users and compete in the same price range. Thus, subject goods of different GSMs are like article. As held in the case of Kajaria Ceramics Ltd. v. Designated Authority, substitutable products can be included in the scope of levy.
 - f. Exclusion of newsprint below 42 GSM would defeat the purpose of the anti-dumping duties as the users are likely to switch to imports of newsprint of 40, 41 and 41.5 GSM which are technically and commercially substitutable. As held in Huawei Technologies Co. Ltd. v. Designated Authority, coverage of product should be such that the purpose and intent of levy is achieved.
 - g. Even the BIS Standards allow tolerance of 4% in GSM.
 - h. Domestic industry is suffering injury due to imports of newsprint of 42 or 45 GSM besides imports of newsprint of 40 GSM, which has taken away the market of domestic industry and has had adverse price impact, forcing the industry to sell at losses.

- i. Exclusion of newsprint of less than 42 GSM would be inconsistent with past practices of the Authority where substitutable or comparable goods have been included in the scope of product under consideration.
- j. Since exclusion of newsprint of less than 42 GSM is not warranted, exclusion of Hong Kong as well is not warranted.
- k. Difference in GSM of the imported and domestic goods must be adjusted while determining the price undercutting and injury margin.
- l. Injury margin and price undercutting should be determined by taking into account only the injurious imports, as held by the WTO Panel Report in EC – Anti-Dumping Duties on Malleable Cast Iron Tube or Pipe Fittings from Brazil and the Tribunal in Kothari Sugars & Chemicals Limited v. Designated Authority.
- m. While the domestic industry is forced to compete with the current booking price of imports, there is considerable time lag of almost 3 months between the placement of order and actual imports, which has not been considered in determination of injury margin.
- n. There exists no demand-supply gap in the country and the country is self-sufficient in the product.
- o. Dumping of subject goods is an attempt to drive the Indian producers out of market and has been noted in market reports as well.
- p. A number of plants had already closed down earlier due to adverse conditions of competition. More plants have shut down since the initiation as per recent report of Fastmarkets RISI.
- q. Newsprint industry has been generating employment directly as well as indirectly for individuals engaged in collection of waste paper and if such industry is put out of operation, the livelihood of 10 lakh people will be impacted, at a time when the country is reeling under the effects of the pandemic and global recession.
- r. The domestic industry contributes significantly to sustainable development by using recycled waste paper, in contrast to foreign producers who use wood pulp, which has higher impact on the environment. Further, in the event of closure of Indian industry, waste papers destined for recycling are likely to end up in landfills, causing a set back to the objective of sustainable development.
- s. Imposition of duty shall boost the foreign exchange reserves by reducing unnecessary imports.
- t. Imposition of duty is not likely to have adverse impact on users, who earn significant revenues through advertising and not through sale of newspapers.
- u. Considering the significant decline in prices over and subsequent to period of investigation, trigger price or benchmark form of duty should be recommended.

K.2 Submissions of other interested parties

143. The other interested parties reiterated their submissions with regard to scope of product under consideration, like article, quality of domestic newsprint, injury and causal link. Additionally, the other interested parties submitted as under:
- a. Newsprint produced using virgin pulp is more sustainable, than that produced using recycled pulp and thus, can be used for high speed and high-quality printing and thus, the two are different in terms of quality and end use.
 - b. The WAN-INFRA report, which shows inferior quality of domestic newsprint, has not been considered.
 - c. The interested parties have submitted test reports which show major quality deficiencies of domestic newsprint and that it even fails to satisfy some of the reference points in the Indian and International standards for Newsprint.
 - d. The users have submitted copies of email correspondence with domestic producers complaining about quality issues in domestic newsprint.

- e. The domestic industry has not produced newsprint with 42, 42.5 and 43 GSM during the period of investigation and thus, newsprint below 44 GSM should be excluded.
- f. Newsprint of 42 GSM should also be excluded as applicants have not produced it in commercial quantities during the period of investigation.
- g. Almost 85-90% of the imports are of 42 GSM and below, which the domestic industry is not able to supply and as a result, the users are forced to import. At least 10 domestic mills should be able to produce and sell quality 42 GSM newsprint to fulfil this demand.
- h. Domestic newsprint of 42 GSM cannot be used on high speed printing machines as it would lead to constant bad printing quality, web breaks, ink seepage and printing latches.
- i. Heinzl exported Improved Newsprint, which is higher priced, has brightness levels of 70 plus and is used for newspaper supplements and magazines. Such newsprint is not produced in India. The price of such newsprint being higher, there can be no dumping or injury to the domestic industry.
- j. NewsPress HB, which is of less than 42 GSM and UPM Eco Lite, which is of less than 40 GSM should be excluded.
- k. Supporting mills have low capacity and produce inferior newsprint and any injury suffered by them cannot be attributed to imports.
- l. During the period of investigation, global newsprint prices were not stable, after, admittedly, a global supply shortage had led to exceptionally high price levels in 2018.
- m. There is a demand-supply gap as the production of Indian producers is 11,11,493 MT less than the demand in the country.
- n. Singapore should also be excluded from the scope of investigation since it is merely a trading hub / invoicing country for the PUC of other originating subject countries. If Singapore is included in the investigation, it may lead to absurd situation wherein any exports / billing from Singapore even if originating in non-subject country would get subjected to anti-dumping duties in India.
- o. Individual dumping and injury margin should be determined for Corner Brook Pulp and Paper Limited, Kruger Trois-Rivieres L.P. and Kruger Brompton L.P. based on the information submitted in the questionnaire response.
- p. Questionnaire response by White Birch Paper Company must be rejected since such response has been filed post the stipulated time allowed by the Authority. There is compensatory arrangement between White Birch Paper Company, its traders namely VC Paper Resources Pte Ltd, Singapore, Amigo Techpro Ltd, Hong Kong and importers of subject goods. The trading entities of White Birch Paper Company are engaged in over-invoicing of goods to India to reflect higher landed value and compensate the importer by way of credit notes.
- q. The normal value for Papresa SA should not be determined based on domestic selling price as the products sold by Papresa in EU and in India are not like products.
- r. The landed price for Volga needs to be corrected.
- s. Laakirchen Papier AG and Wilfried Heinzl AG Austria should be allowed an individual dumping margin.
- t. Injury parameters annualized for the period of 9 months, have been compared with full financial years in the injury period, which is not appropriate.
- u. The imports have occurred to meet the demand-supply gap. Even if the domestic producers are able to sell their entire production, imports are necessary to meet the demand particularly of lower GSM.
- v. Demand for subject goods declined in the period of investigation, with a commensurate decline in imports from Canada. However, imports from EU and Russia have increased despite declining demand, causing injury to the domestic industry which cannot be attributed to Canadian imports.
- w. The domestic industry is in a profitable position and no injury can be claimed on this account.

- x. The losses of the domestic industry are on account of huge interest costs.
- y. The fact that the domestic industry is expanding capacities is an indicator that the imports have not impacted the ability to raise capital investments. Further, Shree Rama Newsprint Limited has been regularly investing in plant and machinery, paying off their loans and raising fresh short-term loans.
- z. Injury margin for the subject goods as a whole from all subject countries is below 2.5% which cannot be said to have caused material injury to the domestic industry as required under Rule 17 of the Anti-dumping Rules.
- aa. The Authority has inexplicably increased landed price of imports from Australia, whereas high priced newsprint of 40 GSM is now excluded from the scope.
- bb. The Authority should examine injury to the domestic industry due to imports from New Zealand and Korea RP based on the revised product scope, to ascertain whether newsprint of 42 GSM and above from these countries is causing injury to the domestic industry.
- cc. The Authority has failed to factor in the breakdowns and fires and out-of-order printing machines during the period, as in case of Shree Rama Newsprint, and increase in raw materials costs.
- dd. Decline in economic parameters is due to the increase in production of other products, lack of raw material, contamination in imported raw material and low recycling rates in the country.
- ee. The impact of cost of capacity expansion on the cost structure of subject goods during or immediately before the period of investigation has not been examined resulting in the non-injurious price determination and injury analysis being vitiated.
- ff. The Authority has not considered the fact that as many as 46 domestic producers of newsprint have shutdown due to pollution issues and not due to dumping.
- gg. The issue of Emami Paper Mills reporting 100% of its revenue from Paper and Paperboard has not been addressed by the Authority.
- hh. The publishers are facing challenges on account of reduction in advertisement revenue and decline in readership due to increase in use of digital media. The publishers are operating on tight margins, and just break even.
- ii. Imposition of anti-dumping duty would make the reduction in customs duty from 10% to 5% redundant.
- jj. Newspaper is a product with about 24 crore copies in circulation every day. Any additional cost on publishers in the form of payment of anti-dumping duty would be a burden on common man and the avowed objective of making the news available to public at large.

K.3 Examination by the Authority

144. The Authority notes that most of the submissions by the domestic industry and other interested parties are repetitive in nature. These submissions have already been examined at appropriate places in this Final Findings. Further, the Authority has examined additional submissions of the interested parties as under:
- a. With regard to the request for exclusion of newsprint of 42 GSM, it is noted that the domestic industry has produced and sold newsprint of 42 GSM even though such production and sales are in limited quantity. So, newsprint of 42 GSM is not being excluded from the scope of product under consideration. However, the authority is mindful of the fact that production of 42 GSM newsprint by domestic industry is very low and extremely inadequate to meet the demand of 42 GSM newsprint in India. Huge gap between the demand and domestic supply of 42 GSM is clearly evident and the same has been considered by the Authority while recommending the imposition of anti-dumping duty.
 - b. As regards exclusion of newsprint of less than 42 GSM, it is noted that the domestic industry does not manufacture newsprint of less than 42 GSM and therefore it has been found appropriate to exclude newsprint of less than 42 GSM from the scope of product under consideration.

- c. With regard to the domestic industry's submission that the difference in GSM of the imported and domestic goods must be adjusted while determining the price undercutting and injury margin, the Authority notes that the domestic industry itself has contended that newsprint of different GSMs are used interchangeably and hence this argument of the domestic industry is contradictory to its own submission. It is noted that the price undercutting and injury margins have been calculated for the PUC as a whole.
- d. With regard to the domestic industry's contention that the lag in placement of order and actual imports has not been considered in determination of injury margin, the Authority notes that the lag has been factored in the calculation of landed value and accordingly in the determination of the injury margin.
- e. Regarding demand-supply gap in the country, the Authority notes that demand-supply gap cannot justify dumping and that the imports at fair price should not hurt the interest of the consumers.
- f. With regard to claim of other interested parties about inferior quality of the newsprint produced by the domestic industry, the Authority notes that no product exclusion can be permitted on the ground of quality of the PUC. However, the authority would duly address the quality and supply concerns raised by opposing interested parties, particularly with regard to 42 GSM newsprint manufactured by the domestic industry, while recommending imposition of anti-dumping duty in this case.
- g. As regards determination of individual dumping and injury margins, it is noted that the same is computed on the basis of information furnished in the questionnaire response by the co-operating producer(s)/exporter(s). However, wherever manufacturers form part of a group, the weighted average margin is determined for the group as a whole. It is further noted that a trader without any linkage with any producer cannot be given an individual margin.
- h. Regarding the comparison of the data of POI with that of full financial years, the Authority notes that data of full financial years have been compared with that of annualised (12 months) data of the POI.
- i. With regard to assessment of injury by imports from individual countries, the Authority notes that a cumulative assessment has been undertaken after due examination of the requirements laid down in para (iii) of Annexure II to the Rules.
- j. With regard to the submissions made by other interested parties regarding injury to the domestic industry, it is noted that all relevant parameters of injury have been appropriately examined in this finding.
- k. As regards the issue raised in respect of landed price of imports from Australia, it is noted that the Authority has relied on DGCIS import data in the absence of participation of any producer of newsprint from Australia.
- l. With regard to the submission of other interested parties that the Authority should examine injury to the domestic industry due to imports from New Zealand and Korea RP also, the Authority notes that the current investigation is limited only against the subject countries mentioned in the initiation notification.
- m. With regard to examination of injury due to other factors, it is noted that the Authority has carried out non-attribution analysis to establish the causal link between the dumped imports and the injury to the domestic industry.
- n. With regard to the request made by Volga for correction of its landed value, the authority has examined the request made by the interested party and has made suitable corrections in the present final findings.
- o. The interested parties have suggested exclusion of Singapore from the scope of investigation on the ground that it is a trading hub / invoicing country for the PUC of other originating subject countries. In this regard, it is noted that the goods have been exported from Singapore claiming the same as originating in Singapore, and therefore Singapore is one of the subject countries in the present investigation.

L. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST

145. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duty, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country/territory in any way, and, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.
146. It is recognized that the imposition of anti-dumping duty might affect the price levels of the product manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of this product. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measure, particularly if the levy of the anti-dumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. On the contrary, imposition of anti-dumping measure would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the decline in the performance of the Domestic Industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.
147. The authority notes that the production and sales of 42 GSM newsprint by domestic industry is very low and extremely inadequate to meet the demand of 42 GSM newsprint in India. Besides a significant portion of imports of newsprint into India are of 42 GSM. There is a clear asymmetry between the quantity of imports of 42 GSM newsprint and the production of 42 GSM newsprint by the domestic industry. Huge difference in demand and domestic supply of 42 GSM is evident and cannot be overlooked by the Authority while recommending the imposition of anti-dumping duty on 42 GSM newsprint. Accordingly, the authority recommends that anti-dumping duty should not be levied on imports of newsprint of 42 GSM.

M. CONCLUSION

148. Having regard to the contentions raised, submissions made, information provided and facts available before the Authority as recorded above and on the basis of the above analysis of dumping and consequent injury to the domestic industry, the Authority concludes that:
- The product under consideration has been exported at dumped prices from the subject countries.
 - The domestic industry has suffered material injury.
 - There is causal link between dumping of the product under consideration and injury to the domestic industry.
 - The production and sales of newsprint of 42 GSM by the domestic industry is extremely low taking into account the demand for this product in India. The domestic industry may not be able to immediately substitute imports of 42 GSM newsprint through domestic supply and meet the domestic demand of 42 GSM newsprint.

N. RECOMMENDATIONS

149. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide information on the aspects of dumping, injury and the causal link. Having initiated and conducted an investigation into dumping, injury and the causal link thereof in terms of the Rules and having established positive dumping margin as well as material injury to the domestic industry caused by such dumped imports, the Authority is of the view that imposition of anti-dumping duty is necessary to offset dumping and injury.
150. The Authority has considered 42 GSM newsprint as part of the product under consideration because domestic industry is actually producing and selling 42 GSM newsprint. However, the production of 42 GSM newsprint by domestic industry is extremely low and very inadequate to meet the demand of 42 GSM newsprint in India. On the other hand, approx. 60% imports of newsprint into India are of 42 GSM. There is thus a clear asymmetry between the quantity of imports of 42 GSM newsprint and the production of 42 GSM newsprint by the domestic industry. The difference in demand and domestic supply of 42 GSM is evident and cannot be overlooked while recommending imposition of anti-dumping duty on 42 GSM newsprint. Imposition of anti-dumping duty on 42 GSM newsprint will also increase cost burden on newspaper industry. This is because domestic newsprint industry

may not be able to immediately substitute imports of 42 GSM newsprint through domestic supply and meet even reasonable portion of the domestic demand of 42 GSM newsprint. Thus, to balance the interest of domestic industry and the consumers, it is considered appropriate not to recommend imposition of anti-dumping duty on imports of 42 GSM newsprint.

151. In view of above, the Authority, in terms of provisions contained in Rule 17(1) (b) read with Rule 4(d) of the Rules, recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the Domestic Industry. The Authority accordingly recommends imposition of anti-dumping duty equal to the amount indicated in Column 7 of the table below on all imports of goods described in Column 3 of the duty table originating in or exported from Canada, European Union, Russia, Singapore, Australia and UAE for a period of five years, from the date of notification to be issued in this regard by the Central government.
152. The landed value of imports for this purpose shall be assessable value as determined by the Customs under Customs Act, 1962 and applicable level of custom duties except duties levied under Section 3, 3A, 8B, 9, 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

DUTY TABLE

S. No.	Heading	Description	Country of origin	Country of export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	4801	Newsprint *	Australia	Any Country including Australia	Any	NIL	USD	MT
2	4801	Newsprint *	Any Country other than Canada, European Union, Russia, Singapore, Australia and UAE	Australia	Any	NIL	USD	MT
3.	4801	Newsprint *	Canada	Any Country including Canada	i. White Birch Paper Company ii. FF Soucy WB L.P. iii. Papiers Masson WB L.P. iv. Stadacona WB L.P.	14.70	USD	MT
4	4801	Newsprint *	Canada	Any Country including Canada	i. Corner Brook Pulp and Paper Limited ii. Kruger Trois-Rivières L.P. iii. Kruger Brompton L.P.	54.25	USD	MT
5.	4801	Newsprint *	Canada	Any Country including Canada	Any producer other than at serial numbers 3 and 4	81.38	USD	MT
6.	4801	Newsprint *	Any Country other than	Canada	Any	81.38	USD	MT

			Canada, European Union, Russia, Singapore, Australia and UAE					
7	4801	Newsprint *	European Union	Any Country including European Union	i. Stora Enso Paper AB, Sweden ii. Stora Enso Langerbrugge n.v., Belgium iii. Stora Enso Sachsen GmbH, Germany	48.78	USD	MT
8	4801	Newsprint *	European Union	Any Country including European Union	i. Gebruder Lang GmbH Papierfabrik, Germany ii. Rhein Papier GmbH, Germany iii. UPM Communication Papers Oy, Finland iv. UPM France SAS, France v. UPM GmbH, Germany vi. UPM-Kymmene (UK) Ltd, United Kingdom vii. UPM-Kymmene Austria GmbH, Austria	23.26	USD	MT
9	4801	Newsprint *	European Union	Any Country including European Union	Holmen Paper AB, Sweden	48.49	USD	MT
10	4801	Newsprint *	European Union	Any Country including European Union	Papresa, S.A., Spain	74.95	USD	MT
11	4801	Newsprint *	European Union	Any Country including European Union	Any producer other than at serial numbers 7, 8, 9 and 10.	91.31	USD	MT
12	4801	Newsprint *	Any Country other than Canada, European Union, Russia, Singapore, Australia and UAE	European Union	Any	91.31	USD	MT

13	4801	Newsprint *	Russia	Any Country including Russia	Joint Company Syktyvkar Stock Mondi	88.60	USD	MT
14	4801	Newsprint *	Russia	Any Country including Russia	Joint Company Solikamskumprom Stock	14.27	USD	MT
15	4801	Newsprint *	Russia	Any Country including Russia	Karjala Pulp LLC	50.09	USD	MT
16	4801	Newsprint *	Russia	Any Country including Russia	Joint Company Volga Stock	35.34	USD	MT
17	4801	Newsprint *	Russia	Any Country including Russia	Any producer other than at serial numbers 13, 14, 15 and 16 above.	98.60	USD	MT
18	4801	Newsprint *	Any Country other than Canada, European Union, Russia, Singapore, Australia and UAE	Russia	Any	98.60	USD	MT
19	4801	Newsprint *	Singapore	Any Country including Singapore	Any	5.15	USD	MT
20	4801	Newsprint *	Any Country other than Canada, European Union, Russia, Singapore, Australia and UAE	Singapore	Any	5.15	USD	MT
21	4801	Newsprint *	UAE	Any Country including UAE	Any	7.33	USD	MT
22	4801	Newsprint *	Any Country other than Canada, European Union, Russia, Singapore, Australia and UAE	UAE	Any	7.33	USD	MT

**The product on which anti-dumping duty is being recommended is newsprint, in rolls or sheets, excluding:*

a. Glazed newsprint

b. Newsprint of 42 GSM and less than 42 GSM.

L. FURTHER PROCEDURE

153. An appeal against the order of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise and Service tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

B. B. SWAIN, Spl. Secy & Designated Authority